खण्ड-205, अंक-6
सोमवार, 12 श्रावण, शक संवत् 1881
(3 अगस्त, 1959 ई0)

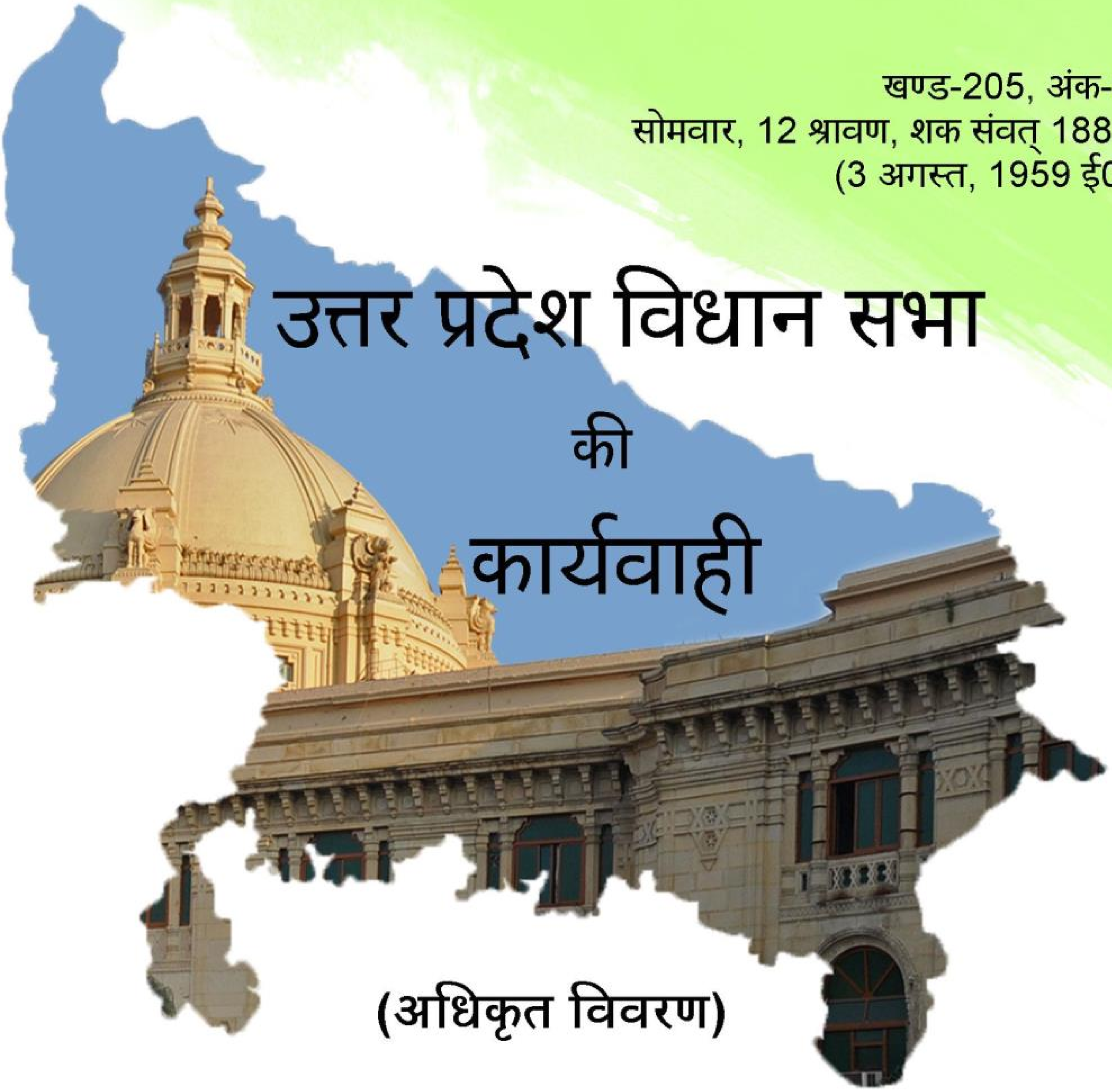

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 205 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

## सोमवार, ३ अगस्त, १९५९

---

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

---

## उपस्थित सदस्य—३५७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इर्तजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविंदसहाय, श्री
गोविंदसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती

प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजुरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन , श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे,राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री

रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती

सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सुरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल, घुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

---

# प्रश्नोत्तर

---

## सोमवार, ३ अगस्त, १९५९

---

## अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

---

### इण्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम संबंधित विनियम का संकलन

---

****१—श्री मोतीलाल अवस्थी (ज़िला कानपुर)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि Intermediate Education (Amendment) Act, 1958 के सम्बन्ध में Regulations कब तक संकलित हो जायेंगे ?

**गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)**—इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ में विनियम बनाने के लिये एक वर्ष का समय दिया गया है, आशा है उसके अन्दर ही तैयार हो जायेगा ।

****२—श्री मोतीलाल अवस्थी**—क्या यह सही है कि अभी तक माध्यमिक स्कूलों की Scheme of Administration सम्बन्धी धारा कार्यान्वित नहीं हो पाई है ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—जी हां । क्यों कि संबंधित धारा के अन्तर्गत अभी वांछित विनियम तैयार हो रहे हैं ।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) बिल को ११ महीने हुये पास हुये, इसमें जो धारा १६ के मुताबिक आर्बिट्रेशन बोर्ड बनने वाला था क्या उसका भी निर्माण अभी तक नहीं हो पाया ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—वह तो रेग्युलेशन के अधीन बनेगा और रेग्युलेशन शीघ्र ही आपके सम्मुख उपस्थित करने वाला हूं ।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**—क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन न बनने के कारण अभी तक मैनेजमेंट कमेटी में अध्यापकों के प्रतिनिधि नहीं जा सके हैं, अतः क्या उन अध्यापकों के प्रति मैनेजमेंट कमेटी द्वारा अन्याय होने की सम्भावना है, इस पर सरकार कोई ध्यान दे रही है ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—अब अध्यापकों की जो शिकायत आती है उस पर विचार किया जाता है ।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**—माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जैसा उन्होंने अभी पूर्व उत्तर दिया है, आर्बिट्रेशन बोर्ड न बनने की वजह से यह अध्यापकों की शिकायतें किस माध्यम के द्वारा निश्चय की जाती हैं ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—मेरा खयाल है कि जब तक कि नया आर्बिट्रेशन बोर्ड नहीं बन जाता कुछ प्रश्न ऐसे उपस्थित हो गये हैं, कुछ थोड़ी सी कानूनी अड़चन थी, लेकिन विचार यह किया जा रहा है कि वह पुराना बोर्ड काम करे ।

## सर्वदलीय खाद्य समिति की बैठक

****३—श्री मोतीलाल अवस्थी**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष विरोधी दलों द्वारा संचालित खाद्य आन्दोलन के उपरान्त सरकार द्वारा जो खाद्य सम्बन्धी समिति बनाई गई थी उसकी अन्तिम बैठक कब हुई थी और उसमें क्या-क्या सुझाव सरकार ने स्वीकार किये थे ?

**खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)**—सर्वदलीय खाद्य समिति की अन्तिम बैठक १३ जुलाई, १९५९ को हुई थी । बैठक में कोई सुझाव नहीं दिया गया ।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**—क्या माननीय खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य-सलाहकार समिति का विघटन कर दिया गया है? यदि नहीं,तो अब उसका अधिवेशन कब तक होने की सम्भावना है ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**—वह अभी विघटित तो नहीं हुई है । जब कभी आवश्यकता होती है, बुला लेते हैं, मेम्बर लोग रिक्वीजीशन कर लेते हैं ।

**श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)**—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समिति के बारे में यह कहा गया है कि यह अस्थायी बनाई गई थी और अब इसका अस्तित्व नहीं है ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**—नहीं, ऐसी बात तो कोई नहीं कही गई ।

**श्री राजनारायण**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस कमेटी में सोशलिस्ट पार्टी का कोई मेम्बर नहीं है ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**—वह तो उसके सदस्य हैं, अगर न आवें तो उसमें हमारा कोई दोष थोड़े ही है ।

**श्री राजनारायण**—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उसके सदस्य को इस बात की सूचना दी गई थी कि इस कमेटी की बैठक इस वक्त होगी ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**—सूचना तो बराबर दी जाती है । वह आते ही नहीं तो क्या किया जाय ।

**श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)**—क्या खाद्य मंत्री जी बतायेंगे कि खाद्य समिति ने खाद्यान्नों के बढ़े हुये मूल्यों को नियंत्रित करने का कोई सुझाव दिया था ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**—खाद्यान्न तो नियंत्रित हैं ही । सुझाव देने न देने का प्रश्न ही नही उठता ।

**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी तक इस समिति को क्या-क्या सुझाव दिये गये थे और उनमें से कौन-कौन से सुझाव कार्यान्वित किये गये हैं ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**—यह जितने सुझाव दिये गये थे उनके अनुसार हम कार्य कर ही कार्य रहे थे। इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता।

**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १३ जुलाई सन् १९५८ को जो आखिरी बैठक हुई थी उसमें कौन-कौन से विषय विचाराधीन थे ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**—वर्तमान खाद्य स्थिति।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**—क्या माननीय मंत्री जी उन सुझावों में से कोई मुख्य सुझाव बतलाने की कृपा करेंगे जिसको सरकार ने स्वीकृत कर लिया हो ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**—उनकी संख्या बहुत बड़ी है। मैंने कहा कि जिन कामों को हम कर रहे थे उनके मुताबिक ही उन्होंने सुझाव दिये थे। वह काम हम पहले से कर ही रहे थे।

**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि खाद्य समिति की अन्तिम बैठक में यह सुझाव दिया गया कि गत वर्ष खाद्य आन्दोलन में जो मुकदमे चलाये गये या अभी तक चल रहे हैं उनको वापस ले लिया जाय ?

**श्री जगमोहन सिंह नेगी**—ऐसा कोई सुझाव नहीं आया।

## बकाया पंचायत कर मुआफ करने की प्रार्थना

****४—श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश भर के पंचायत टैक्स के सभी बकाये की माफी का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

**स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)**—जी नहीं।

**श्री झारखंडेराय**—क्या स्वशासन मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किसी प्रकार की रियायत का आदेश जिलाधीश को सरकार की ओर से पंचायत टैक्सों के सिलसिले में दिया गया है ?

**श्री जयराम वर्मा**—सन् १९५७–५८ में शासन के सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ था। उस समय शासन ने यह निर्णय लिया था कि टैक्स लगाने का अधिकार गांव सभाओं को है। इसलिये टैक्स को माफ करने का अधिकार भी उनको दिया जाय और शासन इसमें हस्तक्षेप न करे। तदनुसार पंचायत राज्य रूल संख्या २२९-ए के अनुसार टैक्स माफ करने का अधिकार गांव सभाओं को दे दिया गया।

**श्री झारखंडेराय**—क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि प्रदेश भर में कुल कितना पंचायत टैक्स अभी तक बाकी है जो शुरू से ही वसूल नहीं किया जा सका ?

**श्री जयराम वर्मा**—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को यह पता है कि ग्राम सभाओं में टैक्स की मुआफी के लिये प्रस्ताव हुआ लेकिन फिर भी वह मान्य नहीं हुआ ?

**श्री जयराम वर्मा**—इसकी सूचना सरकार को नहीं है।

**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कोई ऐसा जी०ओ० प्लानिंग ए०डी०एम० के पास भेजा गया है कि ब्लाक विकास अधिकारी चाहें तो विकास खंड की मीटिंग बुलाकर इस टैक्स को माफ कर सकते हैं ?

**श्री जयराम वर्मा**—यह अधिकार तो गांव सभाओं को दिया गया है ।

**श्री राजनारायण**—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वाराणसी जिले में कुछ गांव सभाओं में गांव पंचायतों द्वारा टैक्स माफ करने की सिफारिश की गई और वहां के अधिकारियों ने वह सिफारिश लौटा दी और कहा कि टैक्स वसूली नहीं करोगे तो निकाल दिये जाओगे ।

**श्री जयराम वर्मा**—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

**श्री राजेन्द्र सिंह** (जिला हरदोई)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गांवसभाओं को पूर्णरूप से पंचायत टैक्स माफ करने का अधिकार नहीं है इसलिये कोई आदेश भेजने की कृपा करेंगे ?

**श्री जयराम वर्मा**—गांव सभाओं को जो अधिकार है वह कुछ शर्तों के अन्तर्गत है । वह प्रस्ताव द्वारा टैक्स को पूरा या उसका कुछ हिस्सा माफ कर सकती हैं, लेकिन वह परिस्थिति बतलाई गई है जिसके अन्तर्गत माफी कर सकते हैं । एक तो सूखा पड़ जाय, बाढ़ आ जाय, बड़ी आग लग जाय या जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया हो वह गरीबी के कारण दे न सकता हो या और गांव सभा को सन्तोष हो कि वह टैक्स देने के लिये समर्थ नहीं है तो प्रस्ताव द्वारा इस तरह के टैक्स माफ हो सकते हैं । लेकिन साथ ही साथ यह भी शर्त है कि वह प्रस्ताव तब ही प्रभावकर होगा जब नियत अधिकारी उसकी स्वीकृति प्रदान करे ।

**श्री झारखंडे राय**—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुए कि अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में विशेषकर पंचायत टैक्स शुरू से ही बकाया पड़ा हुआ है, एक बार सरकार उदारतापूर्वक इस पूरे टैक्स को राइट आफ करने का आदेश देगी ?

**श्री जयराम वर्मा**—यह अधिकार गांव सभाओं को दे दिया गया है और परिस्थिति का उनको पूरा ज्ञान है । सरकार अपनी तरफ से कोई आदेश देने को तैयार नहीं है ।

## लखनऊ में सहकारी सम्मेलन

****५—श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सहकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिछली २८ और २९ अप्रैल को पूरे प्रदेश के लोगों का जो सहकारी सम्मेलन सरकार ने बुलया था उसका उद्देश्य क्या था ?

**सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)**—सहकारी सम्मेलन जो गत २८ और २९ अप्रैल को लखनऊ में हुआ था उसका उद्देश्य था, इस राज्य के सहकारी समितियों से संबंधित सरकारी व गैर सरकारी कार्यकर्त्ताओं को नई सहकारी नीति से परिचित कराना, उनको राष्ट्र विकास परिषद द्वारा पास किये गये सहकारी नीति संबंधी प्रस्ताव को समझना तथा उक्त प्रस्ताव में निहित नीति को कार्यान्वित करने के लिये उपरोक्त कार्यकर्त्ताओं को पथ प्रदर्शन कराना ।

****६—श्री गौरीशंकर राय**—क्या सहकारिता मंत्री, कृपया यह भी बतलायेंगे कि इस सम्मेलन में कितने और किस-किस प्रकार के लोगों ने भाग लिया ?

**श्री मोहनलाल गौतम**—इस सम्मेलन में लगभग दो हजार व्यक्तियों ने भाग लिया जिनमें राज्य के सहकारी समितियों के प्रतिनिधिगण, कर्मचारीगण, अर्थशास्त्रीगण, सहकारी विषय के विशेषज्ञ, देश के कर्मठ सहयोगी इत्यादि थे ।

# तारांकित प्रश्न

## खानाबदोश पशु पालकों की आर्थिक दशा सुधारने के कार्य

*१—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि Nomedic cattle Breeders की आर्थिक स्थिति सुधारे जाने हेतु बनायी गयी योजना के कार्यान्वित करन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**श्री मोहनलाल गौतम**—वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५५२ पर)

## सहकारी गृह निर्माण समिति, इटावा की बैठक न हो सकना

*२—**श्री अभयराम यादव** (जिला इटावा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इटावा कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की सालाना बैठक पिछले ६ वर्ष से नहीं हुई है और न किसी पदाधिकारी का या संचालक मंडल का कोई चुनाव ही हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

**सहकारिता उपमंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)**—यह सही नहीं है।

*३—**श्री अभयराम यादव**—क्या यह सही है कि इस सोसाइटी को उत्तर प्रदेश सरकार ने २९ जनवरी सन् १९५६ को लगभग ७५ या ७६ एकड़ आराजी इस मुआहिदे पर कि वे कम से कम सौ मकान तीन साल में यानी २९ जनवरी, ५९ तक तैयार करावेंगे एक्वायर करके दी और उस आराजी में अभी तक एक भी मकान नहीं बना और न उक्त आराजी का निर्धारित मूल्य भी जमा हो सका ? यदि हां, तो सरकार इसमें क्या कार्यवाही कर रही है ?

**श्री वीरेन्द्र वर्मा**—जी हां, २९ जनवरी, १९५६ को भवन निर्माण हेतु ७१.१२ एकड़ भूमि हस्तगत करके उक्त समिति को दी गई थी। इस संबंध में मुआवजे का कुल रुपया जमा हो चुका है और भवन निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने का आयोजन किया जा रहा है।

**श्री अभय राम यादव**—क्या सहकारी मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ६ वर्षों में कितनी बार मीटिंग हुई ?

**श्री वीरेन्द्र वर्मा**—कुल ३ बार मीटिंग बुलाने की कोशिश की गयी. लेकिन कोरम न पूरा होने की वजह से तीनों बार मीटिंग को स्थगित करना पड़ा।

**श्री अभयराम यादव**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कोरम पूरा न होने पर क्या कार्यवाही की गयी ?

**श्री वीरेन्द्र वर्मा**—बैठक स्थगित कर दी गयी। फिर दुबारा बुलाई गयी और स्थगित कर दी गयी, फिर तिबारा बुलाई गयी और फिर कोरम न होने के कारण स्थगित कर दी गयी।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह तीन बैठकें किन-किन तारीखों में बुलाई गयी थीं ?

**श्री वीरेन्द्र वर्मा**—२-६-५७ को, १२-६-५७ को और १-७-५७ को।

**श्री उग्रसेन**—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां के संचालक मंडल का चुनाव अबतक क्यों नहीं हुआ ?

**श्री वीरेन्द्र वर्मा**—१२ मई, १९५९ ई० को चुनाव हो चुका है।

**श्री राजेन्द्रसिंह**—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि कोरम न पूरा होने पर उन सदस्यों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

**श्री वीरेन्द्र वर्मा**—सदस्यों के खिलाफ कोई कार्यवाही करना संभव नहीं है, न वह वैधानिक ही है।

**श्री अभयराम यादव**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कुल कितने सदस्य इसमें हैं और कौन कौन पदाधिकारी इसमें चुने गये ?

**श्री वीरेन्द्र वर्मा**—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

**श्री राजनारायण**—क्या सरकार इसका कारण स्पष्ट करेगी कि तीनों मीटिंगें सन् १९५७ में ही बुलायी गयीं, ऐसा क्यों ?

**श्री वीरेन्द्र वर्मा**—इस बीच में जो जमीन भवन निर्माण के लिये हाउसिंग सोसाइटी ने ली थी उसका मुआवजे का प्रश्न हाईकोर्ट के विचाराधीन था और सोसाइटी के सभी सदस्य हाईकोर्ट में अपने मुकदमे की पैरवी में लगे हुए थे। न किसी ने प्रार्थना-पत्र दिया कि एलेक्शन कराया जाय और न किसी ने आपत्ति उठायी।

## अलीगढ़ जिले के वर्षा पीड़ित क्षेत्रों में सस्ते अनाज की दुकानें

*४—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले के उन क्षेत्रों में जहां वर्ष से सारी फसलें नष्ट हो गयीं और आज भी वहां पानी भरे रहने के कारण फसल नहीं बोयी जा सकी है उन क्षेत्रों में किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गयी हैं ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**—ऐसे क्षेत्रों में २६ सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गयी थीं। स्थानों की सूची संलग्न हैं।

यह दूकानें कम बिक्री के कारण स्वतः ही बन्द हो गई हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५५३ पर)

**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ**—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है पिछली वर्षा का पानी बरमाना बन्दीपुर, ऐहन, वसगोई, सुसाइत, बगराया, नगला, इमालिया, मित्तनपुर नयाबास, फरसौठी और नगला काशी में भरा हुआ है, परन्तु उनमें सस्ते गल्ले की दुकान एक भी नहीं खोली गयी, क्यों ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**—वहां की खाद्य समिति तथा जिलाधीश ने जिन स्थानों को उपयुक्त समझा उनमें तो खोल दी गयीं। २६ दुकानों का ब्योरा दे दिया गया है।

**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस के पास लाखनू और सिकन्द्राराऊ के पास हसायन में जहां पर पानी था वहां दुकानें नहीं खोली गयीं और अन्य स्थानों पर खोली गयीं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ऐसी कार्यवाही क्यों की ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**—यह तो जिला खाद्य सलाहकार कमेटी में बातें आ गयी होंगी। अगर लिखकर देंगे तो जानकारी प्राप्त करा लूंगा।

**श्री उग्रसेन**—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन क्षेत्रों में जहां पानी लगा हुआ है जो दुकानें खुली हैं वे कितने हजार व्यक्तियों के लिये एक दूकान है ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**—लगभग ४–५ हजार आदमियों के लिये।

## अलीगढ़ जिले में ईंटों के सहकारी भट्ठों को कोयला

*५—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में कोआपरेटिव के कितने ईंटों के भट्ठे हैं और वे कहां-कहां हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—निम्नलिखित २२ भट्ठे चल रहे हैं—

१—रोरावर अलीगढ़
२—हरदुआगंज
३—अतरौली
४—हाथरस
५—दादों
६—बीरपुरा
७—गांवरी
८—पिसावाह
९—जवां
१०—जट्ठारी
११—लाखनू
१२—सिकन्द्राराऊ
१३—जलाली
१४—हसायन
१५—अगसौली
१६—सलेमपुर
१७—धनसारी
१८—गमाना
१९—सुनाना
२०—संडेहा
२१—सियारौल
२२—गोपालादर्श (हाथरस ज०)

*६—श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८ में इन भट्ठों को कितना-कितना कोयला दिया गया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—सन् १९५२ में अलीगढ़ जिले में सहकारी भट्ठे ही नहीं थे।

श्री रामप्रसाद देशमुख—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न ६ के संबंध में कहना है कि मैंने जो प्रश्न पूछा है वह सन् १९५८ के बारे में है और उत्तर १९५२ के बारे में है। १९५२ का कोई सवाल नहीं उठता। मैं समझता हूं यह ठीक कर लिया जाय और फिर मैं इसके बारे में पूछूं।

श्री अध्यक्ष—सहकारिता मंत्री, इसका स्पष्टीकरण आप करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—अगर आप आज्ञा दें तो मैं १९५८-५९ का भी जवाब दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप दीजिये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—वर्ष १९५८-५९ में कुल २२ भट्ठे चल रहे हैं।

विधान सभा

**श्री राम प्रसाद देशमुख**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो आपने २२ भट्ठे बतलाये हैं, १९५८ में इनको कितना कितना कोयला दिया गया है?

**श्री वीरेन्द्र वर्मा**---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

**श्री अध्यक्ष**---यह मुल्तवी किया जाता है, क्योंकि बात यह है कि उसका जवाब ही नहीं आया। तो इसको मुल्तवी करके दूसरे रोज रख दिया जायगा।

[प्रश्न ६ स्थगित किया गया।]

## शाहजहांपुर जिले में रबी आन्दोलन में वितरित खाद

*७---**श्री देवनारायण भारतीय** (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर में रबी आन्दोलन के लिये कितना मन रासायनिक खाद किसानों को तकावी पर अथवा नकद मूल्य पर दिया गया?

**कृषि उपमंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)**---रबी १९५८-५९ आन्दोलन में जिला शाहजहांपुर में किसानों को तकावी एवं नकद मूल्य पर दिये गये रासायनिक खाद की मात्रा निम्नलिखित है:---

| | म० | से० | छ० |
|---|---|---|---|
| तकावी पर .. .. .. | २,०८९ | २७ | ० |
| नकद मूल्य पर .. .. .. | ६,५६१ | १७ | २ |

**श्री देवनारायण भारतीय**---गत वर्ष रबी आन्दोलन के सिलसिले में कितना खाद बांटा गया किसानों को, उसके आधार पर चालू वर्ष के लिये सरकार ने कोई योजना बनायी है कि कितना खाद शाहजहांपुर जिले में बांटा जायगा?

**श्री कालीचरण अग्रवाल**---चालू वर्ष के तो मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

**श्री देवनारायण भारतीय**---क्या सरकार को विदित है कि गत रबी आन्दोलन में किसानों को विवश करके यह रासायनिक खाद दी गयी थी जो कम गुणकारी होने के कारण उपयोग में नहीं लायी गयी और उसका अधिक भाग किसानों के पास अब भी मौजूद है जिसकी वजह से वह इस वर्ष किसी भी शर्त पर खाद लेने के लिये तैयार नहीं हैं?

**श्री मोहन लाल गौतम**---जहां तक खाद का संबंध है हमारे देश और प्रदेश में रासायनिक खाद की कमी है और हम कोशिश करते हैं कि सेंटर से ज्यादा खाद मंगायें। हमको कम मिलती है और उसके लिये फैक्टरियां खोली जायंगी तभी पूर्ति होगी और उसके लिये रा मैटीरियल बाहर से मंगाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिये खाद तो इतनी है नहीं। जब यह खाद बांटी गयी तो हर जिले में कुछ हिसाब करके दे दी गयी और कहीं ऐसा नहीं है कि जब किसान न चाहे या जहां उसका उपयोग न हो सके वहां बांटने जायेंगे। अगर शिकायत हो तो हम उसको दूर कर देंगे। हमारे पास इतनी इफरात नहीं है कि हम उसको जबर्दस्ती बांटें।

**श्री देवनारायण भारतीय**---क्या सरकार ऐसे आदेश जिला शाहजहांपुर के अधिकारियों के पास भेजने की कृपा करेगी कि जिन किसानों के पास नगद दामों पर खरीदी हुई खाद मौजूद है उसे उसी दाम पर वापस ले लिया जाय?

**श्री मोहन लाल गौतम**---इसकी मैं जानकारी करा लूंगा।

**श्री उग्रसेन**---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि द्वितीय आयोजन के लिये इस प्रदेश में कोई ऐसा खाद का कारखाना खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं?

**श्री मोहन लाल गौतम**---कोशिश भी हो रही है और खुलेंगे भी।

## आगरा जिले के सहकारी विभाग में कथित गबन

*८--श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--क्या यह सत्य है कि जिला आगरे के सहकारी विभाग के किसी स्टोर में पिछले तीन वर्षों में ५,००० रुपया का गबन हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी नहीं।

## गोरखपुर क्षेत्र में जब्त किया गया चावल

*९--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लेवी स्कीम में गोरखपुर रीजन के अन्तर्गत दिसम्बर, सन् १९५८ तथा जनवरी, १९५९ में कुल कितना चावल गोदामों में मिला जो जब्त हुआ और सरकार ने उसकी डिलेबरी ली ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--गोरखपुर रीजन के लेवी जिलों में दिसम्बर. सन् १९५८ तथा जनवरी, सन् १९५९ में लाइसेंसदार अन्न व्यापारियों तथा चावल की मिलों के गोदामों में १,७४,२०७ मन चावल पाया गया जिसमें से ८८,१०५ मन सरकार ने लेवी आर्डर के अन्तर्गत खरीदा।

*१०--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त स्कीम लागू होने के बाद आज तक एजेंटों द्वारा स्वेच्छा से कितना चावल सरकार को प्राप्त हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--चावल की कोई मात्रा किसी ने स्वेच्छा से नहीं दी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह १,७४,२०७ मन गल्ला कितने दिनों तक जब्त था और ८६,१०२ मन गल्ला कितने दिनों के बाद छोड़ा गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--सरकार में जितना समय लग जाता है, यानी जितना समय आवश्यक था उतना ही समय लगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह ८६,१०२ मन गल्ला जो छोड़ा गया उसे किस रेट पर बेंचने के लये इजाजत दी गई थी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--भाव पर कोई कंट्रोल नहीं था।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार को पता है कि जो १,७४,२०७ मन गल्ला जब मंडियों में जब्त कर लिया गया तो बजारों में एकदम हाहाकार मच गया और १०,१२ रुपये भाव चढ़ गया और जो गल्ला छोड़ा गया वह बढ़े हुए भाव पर खरीदना पड़ा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--अध्यक्ष महोदय, हमने प्रदेश के सभी जिलों में ६५ परसेंट लेवी की गोरखपुर रीजन में केवल कुल ४०,४५ और २५ परसेंट ही की गई और दूसरी जगह का चावल खरीदकर गोरखपुर जिले में ग्रामीण और शहरी इलाके में वितरण किया। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। भाव तो बढ़े ही नहीं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--मैंने यह सवाल किया था कि जिस समय यह माल बाजारों में जब्त हुआ था उस समय एक छटांक भी बाजार में नहीं बिक रहा था यानी भाव बढ़ गया था और उसके १५-२० दिन बाद जब छोड़ा गया तो महाजनों ने १०-२१ रुपये बढ़े हुए भाव पर बेचा।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मैंने अर्ज किया कि कभी भी वहां २२-२३ रु० मन के ऊपर अच्छे किस्म का चावल गया ही नहीं।

## कृषि विकास योजनाओं के लिए प्राप्त धन का व्यय

*११—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९५८–५९ से अब तक भारत सरकार द्वारा कृषि विकास के लिये कितना ऋण प्राप्त हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम—कृषि विकास योजनाओं के लिये, जिनमें अल्प सिंचाई और भूमि विकास योजनायें भी सम्मिलित हैं, सन् १९५८–५९ में भारत सरकार से २०७.०७ लाख रुपये का एक मुश्त ऋण मिला। इसके अतिरिक्त ३ करोड़ रुपये का प्लान से बाहर अल्प-कालीन (Short term) ऋण रासायनिक खाद वितरण के हेतु मिला है।

*१२—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस धन में से कितना खर्च हो चुका है ?

श्री मोहनलाल गौतम—चूंकि भारत सरकार ने २०७.०७ लाख रुपये की एक मुश्त धनराशि दी है और यह नहीं सूचित किया है कि उक्त २०७.०७ लाख रुपये के ऋण में से किस योजना के लिये कितनी धनराशि है, यह अभी नहीं बताया जा सकता है कि उपरोक्त धन में से वास्तव में कितना खर्च हो चुका है। तथापि उन योजनाओं पर, जिनके लिये केवल ऋण अथवा ऋण और ग्रान्ट दोनों ही भारत सरकार से मांगे गये थे, सन् १९५८–५९ में मार्च के अन्त तक रिवाइज्ड एस्टिमेट्स (Revised Estimates) के अनुसार लगभग ३४६.६८ लाख रुपये का व्यय हुआ। १९५८–५९ वर्ष में हुए खर्च के वास्तविक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। उर्वरक (Fertilizers) पर मार्च, सन् १९५९ के अन्त तक लगभग ४७१.०० लाख रुपये खर्च हुए। उसमें से ३००.०० लाख रुपये का ही ऋण मिला। बाकी व्यय राज्य सरकार ने अपने पास से किया।

## कृषि प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता

*१३—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी सरकारी तथा गैर-सरकारी सहायता प्राप्त, कृषि प्रशिक्षण संस्थाएं हैं और गत तीन वर्षों में उन्हें पृथक्-पृथक् कितनी सहायता दी गई है ?

श्री मोहनलाल गौतम—सरकारी तथा गैर सरकारी कृषि प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या ८ है। उनकी सूची संलग्न तालिका १ में दी हुई हैं। सरकारी संस्थाओं का पूरा व्यय शासन वहन करता है, अतएव उनको सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता। गैर सरकारी संस्थाओं में से कृषि विद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरद्वार, तथा कृषि विद्यालय, राजघाट वाराणसी, को गत तीन वर्षों में संलग्न तालिका २ में उल्लिखित सहायता दी गई।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५५४ पर)

## पूर्वी जिलों में आलू तथा मटर की फसलों को क्षति की शिकायत

*१४—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के पूर्वी जिलों में इस वर्ष फ० १३६६ में आलू तथा मटर की फसलों की क्षति की शिकायत सरकार के पास आई है ? यदि हां, तो क्षति का कारण क्या है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि यह जवाब किस आधार पर दिया गया है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—इस तरह की कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आई।

श्री प्रतापसिंह—क्या मन्त्री जी के पास यह खबर आई है कि पहले से वहां फसल अच्छी हुई है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—नोटिस चाहिये।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—सन् १३६६ फ़सली में आलू और मटर की फसल की क्षति हुई और इसकी जानकारी सही तौर से सरकार ने की ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—क्षति की कोई सूचना नहीं है। हमको अपने विभाग से खबर मिली कि वहां कीड़ों का थोड़ा प्रकोप है, उसके लिये उचित कार्यवाही की गई।

श्री उग्रसेन—क्या सरकार इसकी जांच करावेगी कि ऐसी कोई रिपोर्ट पुर्वी जिलों के कार्यालयों में मौजूद है कि वहां आलू और मटर की फसल बरबाद हो गई है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—अगर इस प्रकार की कोई शिकायत होगी तो उस पर उचित कार्यवाही अवश्य की जायगी।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—इस प्रश्न का उत्तर सचिवालय से ही लेने की कोशिश की गई या जहां से आलू का बीज गोदामों से लिया गया वहां से भी उतर लेने की चेष्टा की गई ?

श्री मोहनलाल गौतम—कोई उत्तर सेक्रेटेरियट के दफ्तरों से ही नहीं दिया जाता है सारी जानकारी विभाग से कर के उत्तर दिया जाता है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को मालूम है कि राजनारायण ने स्वयं वाराणसी जिले की आलू की फसल के मारे जाने के संबंध में सरकार के पास कोई पत्र भेजा था ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जहां तक सरकार को मालूम है, राजनारायण जी ने कोई पत्र नहीं भेजा।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को हमारे पत्र भेजने की जानकारी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—सभी कागजात याद नहीं रहते हैं। उसे देखा जा सकता है।

## राजकीय कृषि यांत्रिक फार्म

*१५—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती) तथा श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में इस समय कितने State mechanised farms हैं और उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—राज्य में इस समय कुल १२ राजकीय कृषि यांत्रिक फार्म हैं जिनकी सूची संलग्न तालिका "अ" में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५५५पर)

*१६—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी तथा श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन State mechanised farms में अलग-अलग प्रत्येक पर वित्तीय वर्ष १९५५-५६, १९५६-५७ तथा १९५७-५८ व १९५८-५९ में कितना व्यय हुआ और कितनी आय हुई ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—१९५५-५६, १९५६-५७ तथा १९५७-५८ के आय तथा व्यय के आंकड़े संलग्न सूची "ब" में दिये हुए हैं। १९५८-५९ का आय-व्यय का ब्योरा अभी तैयार किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५५६ पर)

*१७—श्रीमतीराजेन्द्र किशोरी तथा श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार इन State mechanised farms पर अलग-अलग प्रत्येक पर वर्ष १९५५–५६, १९५६–५७, १९५७–५८ व १९५८–५९ में Establishment खर्च (व्यवस्था खर्च) कितना हुआ और प्रत्येक के कार्य-क्षेत्र में कितनी-कितनी एकड़ भूमि है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—१९५५–५६, १९५६–५७, १९५७–५८ के वर्षों की सूचना संलग्न सूची "स" में दी है। १९५८–५९ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५५७ पर)

श्रीमती राजेन्द्र किशोरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १२ फार्मों की आमदनी और खर्चे के ३ सालों के आंकड़ों के हिसाब से चरगांव, गंजरिया, सैदपुर, झांसी और नीलगांव सीतापुर फार्मों को छोड़ कर सब जगह गड़बड़ी हुई है ? इसका क्या कारण है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—यदि कोई गड़बड़ी की बात बताई जायगी तो उसकी अवश्य तहक़ीकात की जायगी।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—३ वर्ष के आय-व्यय के आंकड़ों से साफ है कि आराजी लाइन बनारस में, भरारी फार्म, में झांसी के फ़ार्मों में हर साल खर्चा बढ़ता गया है और आमदनी घटती गई है, क्या सरकार इसके कारणों पर प्रकाश डालेगी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—य फ़ार्म व्यापार के सिद्धान्त पर नहीं चलाये जाते हैं। वहां कैटिल ब्रीडिंग तथा डेयरी भी हैं और हम जानवरों की नस्लों को भी सुधारना चाहते हैं जो कि क़रीब-क़रीब खत्म होती जा रही हैं। वहां डिमांस्ट्रेशन और प्रदर्शन भी होते हैं। इसलिये वहां थोड़ा-सा नुक़सान होना सम्भव है।

श्री राजनारायण—सरकार ने जो लिस्ट दी है उसमें मगरहा–मिर्जापुर का सरकारी फ़ार्म शामिल है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—प्रश्न मैकेनाइज्ड़ फ़ार्मों के सम्बन्ध में है।

## राय बरेली जिले में सस्ते अनाज की दुकानें

*१८—श्री चन्द्रिकाप्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली में कुल कितनी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं तथा उनका जिले में किस आधार पर वितरण किया गया है आबादी या अन्य आधार पर ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—रायबरेली जिले में १५–४–५९ से पूर्व सस्ते गल्ले की १२ दुकानें थीं। इन दुकानों का वितरण विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता तथा जिलाधीश द्वारा नियुक्त जिला खाद्य सलाहकारिणी समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था।

## केन्द्र से प्राप्त तथा राज्य द्वारा खरीदे गये खाद्यान्न

*१९—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष (१९५८–५९) में कितनी मात्रा में कौन खाद्यान्न भारत सरकार से प्राप्त हुआ तथा किन-किन खाद्यान्नों की कितनी मात्रा में प्रदेशीय सरकार ने सीधे खरीदारी कहां-कहां से की और इन सभी खाद्यान्नों में से जिलेवार कितनी मात्रा में किस खाद्यान्न का एलाटमेंट २५–२–५९ तक किया गया (यानी वितरण के हेतु दिया गया) ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**---वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में भारत सरकार से कुल प्राप्त किये गये तथा राज्य सरकार द्वारा खरीदे गये और जिलेवार २५ फरवरी, १९५९ तक वितरित किये गये खाद्यान्नों की सूची† क, ख व ग सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

## शाहजहांपुर जिले में ईंट के कुछ सहकारी भट्ठों में गबन

*२०---**श्री देवनारायण भारतीय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले में कितने ईंटों के भट्ठे सहकारी विभाग द्वारा कहां-कहां इस वर्ष चलाये जा रहे हैं?

**श्री वीरेन्द्र वर्मा**---निम्नलिखित चार स्थानों पर :---

१---काट, २---पुवायां, ३---ईदगाह, ४---सिगरइया।

*२१---**श्री देवनारायण भारतीय**---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कुछ भट्ठों के गबन के मामले पिछले कई वर्षों से सहकारी विभाग में विचाराधीन पड़े हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है?

**श्री वीरेन्द्र वर्मा**---शाहजहांपुर जिले के कुरिया कलां सहकारी भट्ठे में ईंटों की कमी के मामले के अतिरिक्त और कोई भी गबन का मामला विभाग के विचाराधीन नहीं है।

*२२---**श्री देवनारायण भारतीय**---क्या यह सही है कि खेड़ा बझेड़ा सहकारी भट्ठा में कई वर्षों से गबन की शिकायत है? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कर रही है?

**श्री वीरेन्द्र वर्मा**---जी हां। सुपरवाइजर को, जिन पर इस ग़बन का उत्तरदायित्व रखा गया है, नौकरी समाप्त कर दी गई है। ग़बन की अधिकांश राशि उनसे वसूल हो चुकी है और शेष वसूली उनकी जमानत से की जायगी।

**श्री देवनारायण भारतीय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुरिया कलां के भट्ठे में ईंटों की कमी की जिम्मेदारी किसकी है, इसका पता लगाने की कोशिश की गई?

**श्री वीरेन्द्र वर्मा**---वहां १,४७४ रु० की ईंटें कम थीं, लेकिन जिम्मेदारी मुन्शी की ठहराई गई है। उनसे १००रु० जमा कराये जा चुके हैं, २५० रु० जमानत से वसूल हो चुके हैं और बाक़ी वसूल किया जा रहा है।

**श्री देवनारायण भारतीय**---क्या सरकार को विदित है कि १९५८ में कांच के भट्ठे में प्रायः १५,००० रुपये का ग़बन था और उसकी जांच जिला अधिकारियों ने की थी?

**श्री वीरेन्द्र वर्मा**---इसकी सूचना सरकार के पास नहीं है।

**श्री देवनारायण भारतीय**---कुल कितने का ग़बन खेड़ा बझड़ा के भट्ठे में हुआ? उसमें से कितना सुपरवाइजर से वसूल कर लिया गया है और कितना शेष है?

**श्री वीरेन्द्र वर्मा**--- २,८७६ रुपये सवा ११ आने काग़जात में दिखाये गये हैं। उसमें से १,५२७ रुपये जमा करा लिये गये हैं, शेष उनकी जमानत से वसूल किया जा रहा है।

**श्री देवनारायण भारतीय**---सुपरवाइजर की जमानत की तादाद कितनी है और क्या उससे शेष रकम वसूल हो सकेगी?

**श्री वीरेन्द्र वर्मा**---कितना उनका जमा है, इसके ठीक फ़ीगर्स इस समय उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन ५०० रु० उनकी जमानत के हैं और क़रीब इतना ही और जमा है, लेकिन ठीक कितना इस समय है, इसके लिये नोटिस चाहिये।

---

†सूचियां छापी नहीं गयीं।

**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा)---क्या सरकार यह बतायेगी कि सुपरवाइजर पर जो ग़बन साबित हुआ है वह अदालत द्वारा मुकदमा चलाये जाने पर साबित हुआ है, या वैसे ही हो गया तथा उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गई ?

**श्री वीरेन्द्र वर्मा**--- विभागीय इन्क्वायरी पर ही यह साबित हुआ तथा विभाग ने ही उसकी नौकरी को समाप्त किया। जमानत से व दूसरे तरीकों से रुपया जमा कराया जा रहा है।

## खाद्य एवं पूर्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी

*२३---**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदश खाद्य एवं पूर्ति विभाग में ऐसे कितने नान-गजटेड कर्मचारी हैं और उनकी नौकरी कितने, कितने दिनों की है, जिन्हें अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**--- खाद्य एवं पूर्ति विभाग में ३,१२३ नान-गजटेड कर्मचारी अस्थायी रूप में हैं तथा इनकी कार्यकाल की अवधि २ माह से १७ वर्ष तक की है।

*२४---**श्री रामस्वरूप वर्मा** (अनुपस्थित)---क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उनको स्थायी न करने का क्या कारण है ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**---विभाग तथा उसके कर्मचारियों को स्थायी करने का कई बार प्रश्न उठा, किन्तु यह विचार करके कि सामयिक स्थिति के बदल जाने पर, मकान बनाने की सामग्री सुलभ हो जाने पर, तथा खाद्य स्थिति के आसान हो जाने पर, इस विभाग की कोई आवश्यकता न रहेगी। इन्हीं कारणों से यह विभाग अभी तक अस्थायी रूप से चल रहा है।

## सिंगारनगर हाउसिंग सोसाइटी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*२५---**श्री रामस्वरूप वर्मा** (अनुपस्थित)---क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उनके पास ५-७-५८ को कोई शिकायती-पत्र सिंगारनगर हाउसिंग सोसाइटी के सम्बन्ध में दिनांक ३०-६-५८ का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें मुख्य आरोप क्या थे और जांच के बाद सरकार किस नतीजे पर पहुंची ?

**श्री मोहनलाल गौतम**---जी हां। उक्त पत्र में मुख्य आरोप निम्नलिखित थे :--- सोसाइटी के ठीक ढंग से कार्य न करने के कारण जैसे कि अनियमित रूप से टाउन प्लानर द्वारा स्वीकृत प्लान के प्रतिकूल इमारतों को बनवाना, शेयर मनी पर सोसाइटी द्वारा लाभांश (डिवीडेण्ड) घोषित न करना, सोसाइटी के अनियमित ढंग से खर्च किये गये धन को पूरा करने के लिये सोसाइटी के मेम्बरों से अनियमित फीसें तथा प्लाटों की ऊंची कीमतें वसूल करना। प्रार्थी का सोसाइटी की सदस्यता से इस्तीफा स्वीकार न करना तथा उसे परेशान किया जाना और जान व माल को खतरे की आशंका होना इत्यादि।

डिप्टी कमिश्नर, लखनऊ ने जो उक्त समिति के पदेन अध्यक्ष भी हैं सोसाइटी के वर्किंग प्रेसीडेंट की रिपोर्ट को देख कर फाइल करा दिया।

## राजकीय कृषि फार्मों में गन्ने पर उत्पादन-व्यय

*२६---**श्री ब्रजनारायण तिवारी तथा श्री यशपालसिंह** (जिला सहारनपुर)--- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के राजकीय कृषि फार्मों में पिछले १९५१ ई० से १९५८ ई० तक गन्ने के ऊपर प्रति मन उत्पादन-व्यय कितना पड़ा है ?

**श्री कालीचरण अग्रवाल**---सूचना एकत्रित की जा रही है। प्राप्त होने पर उत्तर दिया जायगा।

**श्री ब्रजनारायण तिवारी**---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न केवल राजकीय फार्मों से ही संबंध रखता है तो फिर सूचना एकत्रित करने में क्या कठिनाई हुई? सूचना एकत्रित हो जायगी तो किस प्रकार से जवाब दिया जायगा?

**श्री कालीचरण अग्रवाल**---सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन वह नहीं आ पायी, इसका खेद है। सूचना मांगी गयी है, आ जाने पर उत्तर दिया जायगा।

**श्री राजनारायण**---क्या सरकार को पता है कि सरकार की ओर से एक प्रश्न के उत्तर में सरकारी फार्म मगराहा के सम्बन्ध में कहा गया था कि वहां ७२ एकड़ खरीफ की फसल बोयी गयी, लेकिन ७ मन अन्न पैदा हुआ?

**श्री अध्यक्ष**---इस पूरक प्रश्न से मूल प्रश्न का कोई ताल्लुक नहीं है। मूल प्रश्न में उत्पादन व्यय प्रति मन पूछा गया था।

## इटावा जिले के सहकारी नलकूपों पर व्यय

*२७---**श्री गजेन्द्रसिंह** (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इटावा जिले के कोआपरेटिव ट्यूबवेलों में सरकार का कितना रुपया लगा है?

**श्री मोहनलाल गौतम**---२,४७,८७० रु० (दो लाख सैंतालिस हजार आठ सौ सत्तर रुपये)।

*२८---**श्री गजेन्द्रसिंह** (अनुपस्थित)---इन ट्यूबवेलों से सन् १९५७-५८ व १९५८-५९ में कितने एकड़ जमीन सींची गई?

**श्री मोहन लाल गौतम**---इन वर्षों में कुछ भी सिंचाई नहीं हुई।

## किरावली तहसील में सस्ते अनाज की दुकानों की व्यवस्था

*२९---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी तथा श्री गनेशीलाल चौधरी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आगरा की किरावली तहसील में पिछली कार्तिक की फसल बहुत खराब होने से अन्न की अत्यधिक कमी हो गई है?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**---जी हां, परन्तु इस समय गल्ले की कमी नहीं है।

*३०---**श्रीमती राजेन्द्र किशोरी तथा श्री गनेशीलाल चौधरी**---यदि हां, तो सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिये क्या-क्या कदम उठाये हैं?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**---सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गईं।

*३१---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी तथा श्री गनेशीलाल चौधरी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा की किरावली तहसील में सस्ते गल्ले की कितनी दुकानें २८-२-५९ को थीं और प्रतिदिन कितना गल्ला बेचे जाने की व्यवस्था है?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**---१४ दुकानें थीं। किरावली के शहरी क्षेत्र की ५ दुकानों से २५ मन गेहूं ५ मन चावल और देहाती क्षेत्र की ९ दुकानों से २० मन गेहूं, २० मन मोटा अनाज प्रतिदिन बेचा जाता था।

## सहकारी समिति, अलीपुर पट्टी को शिमला से प्राप्त आलू का बीज

*३२--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में अलीपुर पट्टी सहकारी समिति के सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जनवरी व फरवरी, १९५९ ई० में जिला अधिकारियों के पास जनता की तरफ से ऐसी शिकायतें आई हैं कि शिमला से जो आलू का बीज सहकारी समिति, अलीपुर पट्टी में दिसम्बर, सन् १९५८ में व जनवरी, १९५९ ई० में आया था, उसमें से बोरियों में से निकाल निकाल कर काश्तकारों को कम करके दिया गया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--जी हां ।

*३३--श्री गनेशचन्द्र काछी--यदि हां, तो उन शिकायतों में क्या हुआ है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--इन पर जांच की जा रही है ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार के पास कोई ऐसी शिकायत आयी थी कि शिमला से आलू का बीज आया था, लेकिन उसमें से बीज निकाल लिया गया और बोरे कम करके काश्तकार को दे दिये गये ? इसकी जांच किस अधिकारी के द्वारा करायी गयी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी ने इसकी जांच की थी। सुपरवाइजर महोदय को इस संबंध में दोषी समझा गया ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि जिस सुपरवाइजर को दोषी पाया गया क्या उसको निलम्बित कर दिया गया है या अभी जांच ही हो रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--अभी तो केवल उसको दोषी समझा गया, पूरी जांच अभी हो रही है ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--यह जांच कब की गयी और कब खत्म होगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--२४-२५ दिसम्बर, ५८ को इस संबंध में जांच शुरू हुई। प्रश्न स्थगित हो गया था। आखिरी सूचना सरकार के पास नहीं है। यह जो जवाब दिया गया है वह २६-३-५९ की सूचना के आधार पर दिया गया है।

## बैंकिंग यूनियन, हरदोई द्वारा सहकारी बैंकिंग सोसाइटियों को ऋण

*३४--श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)--क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई में कितनी और किन-किन गांवों में सहकारी बैंकिंग सोसाइटी हैं जिनको बैंकिंग यूनियन, हरदोई द्वारा कर्ज दिया जाता है ?

श्री मोहनलाल गौतम--हरदोई जिले में ऐसी सोसाइटियों की संख्या ५५५ है जिनकी सूची† सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

*३५--श्री बुलाकीराम (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में उक्त बैंकिंग यूनियन द्वारा सहकारी बैंकिंग सोसाइटीज के माध्यम से अलग-अलग कितना रुपया कर्ज दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम--वर्ष १९५७-५८ में ३,४२,१२७ रु० (तीन लाख बयालीस हजार एक सौ सत्ताइस रुपया) तथा वर्ष १९५८-५९ में (३१-३-५९ तक) ३,४०,७८९ रु० (तीन लाख चालीस हजार सात सौ नवासी रुपया) कर्ज दिया गया ।

---

†सूची छापी नहीं गयी ।

## सगड़ी तहसील में बीज वितरण

*३६--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--रबी आन्दोलन के समय किसानों के बीज के लिये दिये गये गल्ले से संबंधित २-३-५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७ व ८ के उत्तर के क्रम में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सहकारी बीज गोदामों से उन्हीं लोगों को गल्ला दिया गया जो केवल सोसाइटियों के सदस्य थे और सरकारी बीज भंडारों से उन्हीं ग्रामों के कुछ लोग गल्ला पा सके जो ग्राम उक्त सरकारी बीज भंडारों के अन्तर्गत पड़ते थे ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--जी हां।

*३७--श्री मुक्तिनाथ राय--यदि हां, तो तहसील सगड़ी के शेष भागों में बीज वितरण की क्या व्यवस्था सरकार ने की थी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--इसके अतिरिक्त तहसील सगड़ी तथा जिले के अन्य तहसीलों में भी रीजनल फूड कंट्रोलर द्वारा प्राप्त बीज सदस्यों और गैर-सदस्यों को भी नकद मूल्य पर सहकारी बीज भंडारों द्वारा वितरित किया गया।

*३८--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत रबी आन्दोलन के सिलसिले में आजमगढ़ जिले में कुल कितना मन गल्ला नकद मूल्य पर किसानों के वितरण हेतु दिया गया था और तहसील सगड़ी के अतिरिक्त जिले की अन्य तहसीलों में कितना-कितना गल्ला नकद मूल्य पर किसानों ने लिया ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--गत रबी आन्दोलन के सिलसिले में आजमगढ़ जिले में २,६९५ मन गल्ला नकद मूल्य पर सहकारी बीज गोदामों द्वारा वितरित किया गया जिसमें सगड़ी तहसील के अतिरिक्त ५ शेष तहसीलों में निम्नलिखित गल्ला वितरित किया गया :--

| नाम तहसील | गल्ले की मात्रा |
|---|---|
| फूलपुर .. .. .. | ३०० मन |
| घोसी .. .. .. | ६०० " |
| मुहम्मदाबाद .. .. | ५०० " |
| सदर .. .. .. | ३४० " |
| लालगंज .. .. .. | ५२५ " |

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सहकारिता मंत्री जी को पता है कि सगड़ी तहसील के उत्तरी भाग में जो घाघरा नदी का दियारा है उसके विस्तृत क्षेत्र में एक भी सहकारी या सरकारी बीज गोदाम नहीं है, तो क्या सरकार उस विस्तृत क्षेत्र में सहकारी या सरकारी बीज गोदाम खोलने का प्रयत्न करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम--सहकारी बीज भंडारों की स्थिति यह है कि अभी तक योजना है कि हर ब्लाक में ३ बीज भंडार हों, एक सरकारी और २ सहकारी। अभी इस पर भी विचार हो रहा है और खोलते चले जा रहे हैं। ज्यों-ज्यों मौका लगता जायगा वे आगे बढ़ते जायेंगे।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सहकारी मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस विस्तृत क्षेत्र में आज तक २-४ कोआपरेटिव सोसाइटीज के अतिरिक्त एक भी कोआपरेटिव सोसाइटी य हां नहीं खुली ? इतना उपेक्षित क्षत्र वह है ?

श्री मोहनलाल गौतम—कोआपरेटिव सोसाइटीज खोलने के लिये मैं माननीय सदस्य की सहायता चाहूंगा। यदि वे उनको आर्गनाइज करें तो उनका रजिस्ट्रेशन जल्दी ही करा दूंगा।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कुल कितना गल्ला रिजनल फूड कंट्रोलर द्वारा आजमगढ़ जिले में वितरण हेतु दिया गया था ?

श्री मोहन लाल गौतम—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो बीज आर० एफ० सी० द्वारा सहकारी विभाग को दिया गया था वह किस दर पर दिया गया था ? और बीज देने से पहले उसको टेस्ट कर लिया गया था या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम—ये जो बीज थे, दो तरह के थे। एक तो वे बीज थे जो हमारे बीज भंडार के थे और पिछले वर्ष रबी की फसल कम होने की वजह से हमें बाहर से बीज मंगाने पड़े। लगभग साढे ३ लाख मन बीज हमने पंजाब से लिये। यहां से आफिसर भेज कर अच्छी तरह से पहले उनका टेस्ट कर लिया गया था और उसकी शिकायत भी हमारे पास कोई नहीं आयी है।

*३९—श्री ऊदल—[मुख्य मंत्री से संबंधित होने के कारण दूसरे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

## पलिया उपनिवेशन पर व्यय

*४०—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पलिया कालोनी, जिला खीरी में ६२५ किसान बसाये गये और ७,३४५ एकड़ भूमि तुड़वाई गई है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां। ३१ मार्च, १९५८ तक खीरी उपनिवेशन योजना में ७,३४५ एकड़ भूमि तोड़वाई गई और ६३५ पुर्नवासित बसाये गये।

*४१—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि जमीन तुड़वाने में और उक्त किसानों को बसाने में ऋण, अग्र-ऋण, सड़कों, इमारत व मकानों के निर्माण आदि पर जो ६१,२०,७८६ (इकसठ लाख बीस हजार सात सौ छियासी रुपया) खर्च हुआ है वह पृथक्-पृथक् मद में कितना किया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—६१,२०,७८६ रु० जो खीरी उपनिवेशन योजना में मार्च, १९५८ तक खर्च हुआ है उसका व्योरा संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५५८ पर)

## मैनपुरी जिले में ट्रैक्टर खरीदने के लिए तकावी

*४२—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ट्रैक्टर खरीदने के लिये मैनपुरी जिले में कितने लोगों को तकावी दी गई तथा कितनी कितनी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अब तक ट्रैक्टर खरीदन क लिये मनपुरी जिल में दो व्यक्तियों को पांच-पांच हजार रुपये तकावी दी गई।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो ट्रैक्टर खरीदने के लिये तकावी का रुपया दिया गया था, उसके ट्रैक्टर खरीद भी लिये गये या उस रुपये को दूसरे कामों में लगा दिया गया ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—एक ट्रैक्टर के लिये सबसे पहले लाखन सिंह को ५ हजार रुपया १९५७–५८ में दिया गया था जिसका ट्रैक्टर उन्होंने खरीद लिया। सन् १९५८–५९ में श्री शिवनारायण सिंह को एक ट्रक्टर खरीदने के लिये तकावी का रुपया दिया गया। ज्ञात यह हुआ है कि उन्होंने अभी तक ट्रैक्टर नहीं खरीदे हैं जो उन्हें १३ जून, १९५९ तक खरीद लने चाहिये थे।

श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस अवधि में कुल कितनी दरख्वास्तें ट्रैक्टर खरीदने के लिये आई ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—सन् १९५६–५७ में कोई धन प्राप्त नहीं हुआ था और कोई प्रार्थना-पत्र नहीं मांगे गये। सन् १९५७–५८ में श्री लाखन सिंह को ५,००० रुपया दिया गया और ५ दरख्वास्त आई थीं। १९५८–५९ में श्री शिव नारायण सिंह को टैक्टर दिया गया और इसके अलावा ४ दरख्वास्तें और आयी थीं। एक दरख्वास्त थी श्री हमीर सिंह की, एक श्री शशिकांत की, एक श्री पहलवानसिंह की और एक थी श्री रामसेवक की।

*४३—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—[मुख्य मंत्री से संबंधित होने के कारण पांचवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

## विलीन टेहरीराज के कर्मचारियों की कृषि विभाग में स्थिति

*४४—श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी गढ़वाल) (अनुपस्थित)—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विलीन टेहरी राज के कितने कर्मचारी उनके विभाग में इस वक्त हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—सूचना एकत्र की जा रही है।

*४५—श्री सूरतचन्द रमोला (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि वे किस किस 'पे स्केल' (pay scale) पर टेहरीराज्य काल के वक्त नियुक्त थे और इस वक्त उनका वेतन क्रम क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम—सूचना एकत्र की जा रही है।

*४६–४७—श्री गनेश चन्द्र काछी—[हटा दिये गये।]

## सहकारी खेती योजना तथा सर्विस कोआपरेटिब्स के संबंध में जानकारी

*४८—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह राज्य में व्यापक पैमाने पर सहकारी खेती की योजना लागू करने के निमित्त चालू वित्तीय वर्ष में क्या-क्या प्रमुख कदम उठाने जा रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—सहकारी खेती की रूप रेखा या व्यवस्था क्या होगी, इस प्रश्न पर केंद्रीय सरकार विचार कर रही है और इस योजना को कार्यान्वित करने से पहले राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के आदेशों की प्रतीक्षा करेगी।

*४९—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सर्विस कोआपरेटिव्स (Service-Co-operatives) की रूप रेखा तथा उद्देश्य क्या हैं ?

**श्री वीरेन्द्र वर्मा**—सर्विस कोआपरेटिव्स प्रत्येक गांव सभा के क्षेत्र में स्थापित की जायेगी। इसमें गांव के हर एक कुटुम्ब के प्रतिनिधि को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया जायेगा। इन संस्थाओं के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे—

१—कृषि उत्पादन योजना बनाना।
२—अच्छे बीज, कृषि के औजार और खेती का प्रबन्ध करना।
३—ऋण का वितरण।
४—कृषि संबंधी अन्य कार्य करना।

**श्री मदन पांडेय**—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब तक केंद्रीय सरकार के आदेशों की प्रतीक्षा है उस समय तक इस दिशा में यह सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि इस योजना के लागू करने में सहूलियत हो ?

**श्री मोहनलाल गौतम**—जहां तक सहकारी खेती का संबंध है वह यहां कोई नई चीज नहीं है, कई ऐसी सोसाइटियां हमारे यहां चल भी रही हैं, कुछ सफलतापूर्वक भी चल रही हैं और उनको मुनाफा भी हुआ है। इस समय हमारे सामने जो प्रश्न है वह सर्विस कोआपरेटिव्स की है। उस के संबंध में विस्तार से विचार होना है, उस में कई समस्याएं हैं उन पर विस्तार से विचार होगा। वैसे अगर कोई कोआपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहे तो बना सकता है, उस की रजिस्ट्री हो सकती है और वह बराबर चलाई जा सकती है।

**श्री मदन पांडेय**—सर्विस कोआपरेटिव्स के संबंध में जो उद्देश्य बताये गये हैं उनमें एक ऋण व्यवस्था भी है, लेकिन वर्तमान नियमों के अनुसार छोटे काश्तकारों को ऋण नहीं मिल सकता है, तो क्या उन नियमों में कोई परिवर्तन करने का सरकार का विचार है ?

**श्री मोहनलाल गौतम**—इस पर काफी विचार हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा ऋण पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है और कई नये तरीके अपनाने का खयाल है, लेकिन यह जरूर है कि यह ऋण उन्हीं को मिल सकेगा कि जिन से ऋण वापस भी मिल सकेगा।

**श्री झारखंडेराय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी कृषि के बारे में भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में सिद्धांत तय हो चुके हैं और विस्तार के विषय में लिखा पढ़ी हो रही है या अभी सिद्धांत भी तय नहीं हुए हैं ? क्या पोजीशन है ?

**श्री मोहनलाल गौतम**—सिद्धांत का सवाल पैदा ही नहीं होता, यह सवाल भी नहीं है कि वह लागू होगी या नहीं, यह चीज तो पहले से ही जारी है सैकड़ों कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, ज्वाइंट फार्मिंग सोसाइटीज भी सफलतापूर्वक लाभ पर चल रही हैं। विषय सिद्धांत का या लागू होगी या नहीं इस का नहीं है, विचाराधीन यह है कि इसका विस्तार कैसे हो और कैसे काम को आगे बढ़ाया जाय। केंद्रीय सरकार की एक समिति इस विषय में जांच कर रही है, उसने हमारे यहां के अफसरों से भी सब बातों की पूछतांछ की है और शीघ्र ही वह अपनी रिपोर्ट दे देगी।

**श्री प्रतापसिंह**—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय हमारे सूबे में कितने कोआपरेटिव फार्म्स चल रहे हैं ?

**श्री वीरेन्द्र वर्मा**—३२१।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सर्विस कोआपरेटिव्ज पर क्या सरकार निकट भविष्य में कोई विधेयक बनाने की सोच रही है ?

**श्री मोहनलाल गौतम**—जहां तक सर्विस कोआपरेटिव्ज के संबंध में विधेयक बनाने की बात है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि जो कोआपरेटिव ऐक्ट है उसका संशोधन शीघ्र ही हम सदन के सामने पेश करना चाहते हैं।

## ऐशबाग, लखनऊ में तीन बछड़ों की सन्देहात्मक रूप से मृत्यु

*५०—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि ऐशबाग, लखनऊ में अभी हाल ही में कुछ गायों के बछड़ों को जहर देकर मारा गया है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—दिनांक ११ मार्च, १९५९ को ऐशबाग, थाना आलमबाग में ३ बछड़ों को जहर देकर मारे जाने की सूचना मिली थी, किन्तु जांच के उपरान्त यह सिद्ध नहीं हो सका।

*५१—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि गौकशी बन्द हो जाने के फलस्वरूप कुछ लोग बछड़ों का नर्म चमड़ा प्राप्त करने के लिये उनको चोरी, छिपे किसी न किसी रूप में जहर खिला देते हैं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जी नहीं। जांच से इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि ऐशबाग के अतिरिक्त शहर के अन्य भागों से भी कई गायों और बछड़ों के सन्देहात्मक रूप में मरने की इत्तला मिली थी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—इसकी अभी तक और कोई सूचना सरकार के पास नहीं आयी।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त बछड़ों का पोस्टमार्टम कराया गया था ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—पोस्टमार्टम के लिये बछड़ों के संबंध में कोई शिकायत ही नहीं थी। वास्तव में पोजीशन यह है कि एक श्री मुकर्जी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि मेरी गाय को जहर देने के लिये ११ तारीख को कोई आया था। वह गाय को जहर न दे सका और कुत्ते को जहर दिया गया। कुत्ते का पोस्टमार्टम कराया गया तो मालूम हुआ कि चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई थी, जहर नहीं दिया गया था। उसी रिपोर्ट में उन्होंने लिखाया कि मेरे तीन बछड़ों को भी जहर दे दिया गया था, लेकिन उनकी न कोई शिकायत मिली और न पोस्टमार्टम कराया गया। यह दो-तीन महीने बाद की रिपोर्ट में उन्होंने लिखाया।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी के पास प्रदेश के अन्य भागों से ऐसी शिकायतें आई हैं कि वहां भी गाय और बछड़ों को ऐसे लोग चमड़े के लालच में मार देते हैं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, यह तो ऐशबाग के बारे में पूछा गया था। माननीय सदस्य इस प्रकार की कोई शिकायत भेजेंगे तो इंक्वायरी की जायेगी।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि चौक की पुलिस ने इस संबंध में ४ आदमी गिरफ्तार किये थे ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—इस संबंध में जिलाधीश, लखनऊ से जो सूचना प्राप्त हुई है वह यह है कि हमारे पास ९ केसेज इस तरह के आये थे जिनमें जहर देने वाली बात थी। इनमें से ६ का पोस्टमार्टम कराया था उनमें यह सिद्ध नहीं हुआ कि जहर दिया गया। ३ केसेज में ५ गायों और १ भैंस को जहर देने की बात थी, इनमें से एक की तफतीश हो रही है और २ में जिन आदमियों द्वारा जहर देने वाली बात है वह लापता हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—माननीय मंत्री जी ने बताया कि पोस्टमार्टम इसलिये नहीं कराया गया कि रिपोर्ट लट लिखाई गई थी, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच किस अधिकारी द्वारा हुई और किस प्रकार साबित हुआ कि जहर नहीं दिया गया ?

**श्री कालीचरण अग्रवाल**---यह जब रिपोर्ट पुलिस में आई तो उनको अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया, उससे यह सिद्ध हुआ।

**श्री मदन पांडेय**---माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की घटनाओं की सूचनायें कई जगहों से प्राप्त हो रही हैं, तो इस आधार पर क्या सरकार कोई ऐसा कदम उठाने जा रही है जिससे इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो?

**श्री कालीचरण अग्रवाल**---यह केवल लखनऊ की घटना थी, और जैसा कि मैंने अभी कहा, यह सिद्ध नहीं हुआ कि गौकशी के संबंध में यह हुआ। कोई कसाई अगर जहर दे दे तो उसको ही लाश थोड़े ही दे दी जायगी। उसके लिये तो ठेकेदार वगैरह जो होते हैं वे ले जायेंगे। इसलिये उसका संबंध गौकशी से करना निरर्थक मालूम पड़ता है।

## अल्मोड़ा जिले में सस्ते अनाज की दुकानें

*५२---**श्री गोविन्दसिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़े में कौन-कौन सी सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गई हैं और लाइसेंस का आधार क्या था?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**---इस समय जिला अल्मोड़े में १९३ सस्ते गल्ले की दुकानें खुली हैं जिन की सूची †सदन की मेज पर रख दी गई है।

सस्ते गल्ले की दूकानों का लाइसेंस सहकारी समितियों तथा अन्य व्यक्तियों को उनकी आर्थिक स्थिति तथा सामान्य प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---क्या यह सही है कि १९३ दुकानें जो दी गई हैं उनमें से तीन चौथाई दूकानें कर्मठ कांग्रेसी सदस्यों को ही दी गयी हैं?

**श्री अध्यक्ष**---अगर माननीय मंत्री जी प्रश्न समझ गये हों तो उत्तर दे सकते हैं।

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**---यह दुकानें तो जिलों में देते हैं, यहां से उसका कोई संबंध नहीं है।

**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**---माननीय मंत्री जी ने अभी बतलाया कि जो दुकानें दी जाती हैं वे या तो कोआपरेटिव सोसाइटियों को या किसी स्थानीय व्यक्ति को उसकी प्रतिष्ठा आदि को देखते हुये दी जाती हैं। तो क्या सरकार बतलायेगी कि इसकी जांच किसके द्वारा की जाती है कि अमुक व्यक्ति इस योग्य है कि उसको दूकान का लाइसेंस दिया जाय?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**---पहले जो दुकानें दी गयी थीं शुरू-शुरू में तो आवश्यकता की वजह से जल्दी-जल्दी में जिलाधिकारियों ने खोलीं अब यह स्पष्ट आदेश है कि जो बन्द हो जावें और नई खुलें उनके लिये प्राथमिकता कोआपरेटिव को दी जाय तो इसमें कोई जांच करने का प्रश्न नहीं उठता। पहले वे उसी को देते हैं।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस दुकानों की लिस्ट में श्री जयलाल वर्मा, श्री कमललाल वर्मा तथा श्री धनीलाल जीवनलाल वर्मा यह सब एक ही परिवार के व्यक्ति हैं और आपस में भाई-भाई हैं तो एक ही परिवार के व्यक्तियों को दूकानें क्यों दी गयी हैं?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**---यह दुकानें तो जैसा मैंने अर्ज किया पहले से चली आ रही हैं। प्लेन्स में तो कुछ बन्द हो गयी हैं, लेकिन पहाड़ों तो में सिलसिलेवार चाहे देहाती क्षेत्रों में हों या शहरी क्षेत्रों में हों कई सालों से चली आ रही हैं।

---

† सूची छापी नहीं गई।

**श्री प्रतापसिंह**—क्या माननीय खाद्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन १९३ दूकानों में से कितनी दूकानें देहातों में हैं और कितनी प्रापर अल्मोड़ा में हैं ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**—इसकी ठीक संख्या के लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

## मत्स्य पालन विभाग के अन्तर्गत रोहुआ ताल

*५३—**श्री ऊदल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रौहुआ ताल, तहसील मछली शहर, जिला जौनपुर को सरकार ने किस सन् में लेकर मत्स्य-पालन विभाग को दिया है और यह ताल कितने एकड़ का है ?

**श्री मोहनलाल गौतम**—रोहुआ ताल, मत्स्य-पालन विभाग को १९५३ में प्राप्त हुआ था। इसका क्षेत्रफल १३६.७० एकड़ है।

*५४—**श्री ऊदल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त ताल को उसके चारों तरफ के १२ गांव सभाओं की कोआपरेटिव बनाकर मछली पालने को देगी और मत्स्य-पालन विभाग का आधिपत्य रोहुआ ताल पर से खत्म करेगी ?

**श्री मोहनलाल गौतम**—यदि रोहुआ ताल के चारों तरफ के १२ गांव सभाओं के मछुवे कोआपरेटिव बना कर वैभागिक अधिनियमों के आधार पर उक्त ताल को सरकार से उचित लगान पर पट्टे पर लम्बे समय के लिये प्राप्त करना चाहेंगे तो सरकार को इसमें आपत्ति न होगी, परन्तु ताल पर मत्स्य-पालन विभाग का आधिपत्य बना रहेगा।

## व्यापारिक निगम

*५५—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार राज्य व्यापार योजना के संबंध में मिडिल मैन का स्थान ग्रहण करने के लिये व्यापारिक निगम (Trading Corporation) भी बनाने जा रही है ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**—जी नहीं।

## गोंदलामऊ की सस्ते अनाज की दुकान का निरीक्षण

*५६—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम एवं परगना गोंदलामऊ, जिला सीतापुर में स्थापित सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान का निरीक्षण क्षेत्रीय एम०एल०ए० ने दिसम्बर, १९५८ के पूर्व या इसी तिथि के लगभग किया था ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**—जी हां। २४ जनवरी, १९५९ को निरीक्षण किया गया था।

*५७—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—यदि हां, तो क्या इस सबंध में जिलाधीश, सीतापुर द्वारा भी क्षेत्रीय एम०एल० ए० की प्रार्थना पर जांच कराई गई थी ?

**श्री जगमोहन सिंह नेगी**—जी हां।

*५८—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—यदि हां, तो क्या खाद्य मंत्री जांच के परिणाम बताने की कृपा करेंग ?

---

नोट—तारांकित प्रश्न ५२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**—विभागीय जांच करायी गई। जो शिकायतें दुकानदार के विरुद्ध आई थीं वे स्पष्टरूप में तो सिद्ध नहीं हो पाईं किन्तु दुकानदार के माइलो के स्टाक में कुछ मात्रा में टूटे-फूटे माल के मिलने के कारण संदेह बना रहा। यद्यपि दुकान २५ प्रतिशत से कम माल उठाने के कारण कुछ समय पूर्व बन्द हो गई फिर भी भविष्य में उक्त दुकानदार को सस्ते गल्ले की दुकान न दिये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

*५९—**श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद)—[३० जुलाई, १९५९ को प्रश्न संख्या ५५ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*६०—६२—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**—[हटा दिये गये।]

## इलाहाबाद मिल्क सप्लाई यूनियन को अनुदान

*६३—**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद स्थित कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई यूनियन को अब तक सरकार की ओर से कितनी आर्थिक सहायता दी गई है तथा उसकी आर्थिक स्थित क्या है?

**श्री मोहनलाल गौतम**—इलाहाबाद मिल्क सप्लाई यूनियन को आरम्भ काल से अब तक ८१,६०० रु० आवर्त्तक तथा २,६२,९०० रु० अनावर्त्तक सहायता दी गई है। इसके अतिरिक्त आरम्भ काल से ३१-३-५७ तक एक डेरी मैनेजर की सेवायें भी इस यूनियन को राजकीय सहायता के रूप में दी गयीं। इस यूनियन की आर्थिक स्थिति अब सुदृढ़ है।

*६४—६५—**श्री गुप्तारसिंह** (जिला रायबरेली)—[१४ अगस्त, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ६१—६२ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

## चीनी मिलों के फार्मों का क्षेत्र

*६६—**श्री सजीवनलाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के कुल फार्मों का रकबा कितना है और कितने पर गन्ना बोया जाता है?

**श्री मोहनलाल गौतम**—प्राप्त सूचनानुसार उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के कुल फार्मों का क्षेत्रफल ३०,०९६ एकड़ है जिसमें से लगभग १२,००० एकड़ पर गन्ना बोया जाता है।

*६७—**श्री उग्रसेन**—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण १७ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*६८—**श्री भीखालाल**—[हटा दिया गया।]

## कानपुर जिले में कोल डिपो

*६९—**श्री उमाशंकर शुक्ल** (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर शहर एवं जिले में कुल कितने कोल डिपो हैं? उनमें से राजनीतिक पीड़ितों एवं पुरुषार्थियों को दिये गये कोल डिपो की क्या संख्या है?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**—कानपुर शहर एवं जिले में कुल ७९ कोल डिपो हैं। इनमें से २० राजनीतिक पीड़ितों एवं २४ पुरुषार्थियों को दिये गये हैं।

## मगराही सरकारी फार्म की निरीक्षण रिपोर्ट

*७०—**श्री राजनारायण**—क्या मगराही (मिर्जापुर), सरकारी फार्म का निरीक्षण डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर (पूर्व) बनारस ने २८-१०-५८ ई० को किया था? यदि हां, तो क्या सरकार उनके मुआइने की रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

**श्री मोहनलाल गौतम**—जी हां। रिपोर्ट की एक प्रति माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५५९–५६० पर)

*७१—७३—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण १७ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

## रबी अभियान के अन्तर्गत उत्पादन

*७४—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि (अ) विगत रबी अभियान में कितना रुपया खर्च हुआ तथा उसमें (ब) कुल पैदावार कितनी हुई ? इससे पहले साल रबी की पैदावार कितनी थी ?

**श्री मोहनलाल गौतम**—(अ) रबी अभियान में कई विभागों का सहयोग था जैसे नियोजन, सिंचाई, सहकारिता, माल आदि। हर विभाग के सामान्य बजट से रुपया खर्च किया गया। रबी अभियान के लिये कोई विशेष धनराशि अलग नहीं रक्खी गई। इसलिये रबी अभियान पर क्या खर्च हुआ यह हिसाब लगाना सम्भव नहीं है। वह खर्चा विभाग के सामान्य खर्चों में शामिल है।

(ब) १९५८–५९ में ७५,९६,७०३ टन और १९५७–५८ में ६६,०५,२९० टन पैदावार का अन्दाजा किया गया है।

## गेहूं, चना तथा ज्वार के भाव

*७५—**श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जून, १९५९ के दूसरे सप्ताह में प्रदेश के बाजार में (अ) गेहूं, (ब) चना और (स) ज्वार का फी मन थोक भाव क्या था ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**—जून, १९५९ के दूसरे सप्ताह में इस प्रदेश के प्रमुख बाजारों में गेहूं, चना व ज्वार के भावों की तालिकायें सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५६१–५६२ पर)

## गोसदन, पुरूषोत्तम नगर ग्राम

*७६—**श्री सजीवनलाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत ग्राम पुरुषोत्तम नगर (मारवी) के गोसदन में सन् १९५८, अप्रैल से फरवरी, १९५९ तक कितनी गायें मरीं और अप्रैल, सन् १९५८ से फरवरी सन् १९५९ तक दर्ज रजिस्टर में कितनी गायें थीं ?

**श्री मोहनलाल गौतम**—गोसदन में अप्रैल, १९५८ से फरवरी, १९५९ तक १४३ गायें मरीं। पहली अप्रैल, १९५८ को गोसदन में ७१ गायें थी। अप्रैल, १९५८ से फरवरी, १९५९ तक १२६ गायें और प्रविष्ट हुईं।

## कोरौना स्टोर का गल्ला चोरी से बेचने की कथित घटना

*७७—**श्री मूलचन्द** (जिला सीतापुर)—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या २०-१२-५८ ई० को जिला कोआपरेटिव अफसर, सीतापुर ने गल्ला स्टोर, कोरौना के सुपरवाइजर द्वारा चोरी से गल्ला बेचने के बाद रास्ते में गल्ला पकड़ा ? यदि हां, तो वह कितना गल्ला था ?

**श्री मोहनलाल गौतम**—जी नहीं।

*७८--श्री मूलचन्द--क्या यह सही है कि गल्ला ले जाने वाली गाड़ियों में गल्ला बरामद होने पर संबंधित गाड़ी वाले जो साथ में थे सभी को पुलिस के हवाले कर दिया गया ? यदि हां, तो अब उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह प्रश्न नहीं उठता है ।

## शाहगंज तहसील में पछुआ हवा से रबी की फसल को क्षति

*७९--कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज में सन् १९५८-५९ की वासन्ती कृषि (रबी) में पछुआ हवा के समय से पहले चल जाने के कारण कितने प्रतिशत का नुकसान अनुमानित किया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम--सूचना एकत्र की जा रही है ।

*८०--श्री अभयराम यादव--[हटा दिया गया ।]

## लेवी स्कीम के अन्तर्गत चावल की खरीद

*८१--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लेवी स्कीम (Levy Scheme) के तहत चावल की खरीदारी में दुकानदारों से कितना प्रतिशत चावल सरकार ले लेती है और उनको किस हिसाब से कमीशन देती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--लेवी स्कीम (Levy Scheme) के तहत दूकानदारों तथा चावल की मिलों से ६५ प्रतिशत चावल नियंत्रित मूल्य पर सरकार खरीद लेती है । इस खरीद पर उन्हें कमीशन नहीं दिया जाता ।

## फरेंदा तहसील में कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने की प्रार्थना

*८२--श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपा करके जिला गोरखपुर की तहसील फरेंदा में कृषि अनुसंधान केन्द्र तत्काल खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम--फरेंदा तहसील में कोई कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने का विचार नहीं है क्योंकि वहां की कृषि सम्बन्धी समस्यायें वैसी ही हैं जैसी और पूर्वी जिलों की और जिन पर पूर्वी क्षेत्र में स्थापित भिन्न-भिन्न अनुसंधान केन्द्रों में कार्य हो रहा है ।

*८३--श्री नन्द कुमारदेव वाशिष्ठ--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण १७ अगस्त, १९५९ के लिए स्थगित किया गया ।]

## रामनगर में चावल के ट्रकों को रोकने तथा कानपुर में गेहूं का मूल्य बढ़ने की शिकायत

*८४--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास कोई ऐसी शिकायत आई है जिससे यह प्रकट होता है कि मिर्जापुर जिले से बनारस शहर में रामनगर द्वारा आने वाले चावल के ट्रकों को रामनगर में रोक कर जांच की जाती है ? यदि हां, तो इस जांच का क्या मतलब है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी नहीं ।

*८५--श्री त्रिलोकीसिंह--क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष १५ जून को गेहूं के क्या भाव कानपुर बाजार में फी मन थे और इस वर्ष क्या भाव है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--कानपुर में गत वर्ष १५ जून को गेहूं का भाव १७.७८ रु० प्रति मन था और इस वर्ष उसी तिथि को १८.८३ रु० प्रति मन था ।

*८६--श्री त्रिलोकीसिंह--क्या खाद्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि भाव में इतनी बढ़ोतरी का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इस समय कानपुर में गेहूं का भाव १८.८३ रु० प्रति मन है परन्तु गत वर्ष इसी समय २०.६४ रु० प्रति मन था। इससे प्रतीत होता है कि इस साल पिछले साल से भाव अधिक नहीं हैं परन्तु भावों में विशेष कमी न होने का कारण मंडियों में गेहूं का कम आना है।

## बाग लगाने के लिए केन्द्रीय सहायता

*८७--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या केन्द्रीय सरकार से १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में राज्य सरकार को बाग लगाने के सिलसिले में कोई सहायता प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो वह रकम कितनी थी और हर जिले को कितनी-कितनी रकम दी गई थी ?

श्री मोहनलाल गौतम--सूचना एकत्रित की जा रही है।

## बृजमनगंज सीड स्टोर का खराब धान

*८८--श्री गौरीराम गुप्त--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में फरेंदा तहसील के बृजमनगंज छायाखंड व धानीबाजार छायाखंड के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम के कितने एकड़ में बोने के लिये बृजमनगंज सीड स्टोर, कृषि विभाग की ओर से १९५८-५९ में कितने मन धान दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम--सूचना एकत्रित की जा रही है।

*८९--श्री गौरीराम गुप्त--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपरोक्त सीड स्टोर से जो धान किसान खेत में बोने के लिये ले गये थे, खेतों में उस धान की फसल कुछ भी पैदा नहीं हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम--सूचना एकत्रित की जा रही है।

## खाद्यान्नों की दुकानें न्याय पंचायत केन्द्र में खोलने का सुझाव

*९०--श्री हिम्मतसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह उत्तर प्रदेश में गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों की दुकानें प्रत्येक न्याय-पंचायत केन्द्र में खोलने का विचार कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है ?

---

## इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम १९५८ के अधीन प्रख्यापित विनियम †

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--मान्यवर, मैं इंटरमीडियेट एजूकेएन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ की धारा ८ की उपधारा (१) के अधीन बनाये गये तथा शिक्षा (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या क--१/१६१२-१५-१७९२--५८, दिनांक ८ अप्रैल, १९५९ के अधीन प्रख्यापित विनियम की उक्त धारा ८ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

---

†छापे नहीं गये।

**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। जिस प्रकार यह विनियम आज उपस्थित किया गया है उसी प्रकार का २७ तारीख को कुछ प्रख्यापन माननीय परिवहन मंत्री और न्याय मंत्री ने किये थे। उस पर मैंने आपत्ति की थी कि पहले ही सेशन के समय वह विज्ञप्तियां सदन के सामने रखी जा सकती थीं किन्तु नहीं रखी गयीं। आपने भी यह व्यवस्था दी थी कि उसके सम्बन्ध में परिवहन मंत्री अपना स्पष्टीकरण देंगे। उसका स्पष्टीकरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अब आप उनको पुनर्निदेश कर दें . . . .

**श्री अध्यक्ष**---८ अप्रैल को . . . .

**श्री मोतीलाल अवस्थी**---इसके बारे में नहीं कह रहा हूं। इससे संबंधित जो बातें आपने कहीं उनका स्पष्टीकरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। २७ तारीख को आपने आज्ञा दी थी।

**श्री अध्यक्ष**---उसके लिये तो वे जवाब दे चुके।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**---परिवहन और न्याय मंत्री के बारे में . . . .

**श्री अध्यक्ष**---यह तो शिक्षा मंत्री का है। उससे संबंधित यह चीज नहीं है। कोई प्वाइंट आफ आर्डर इसमें नहीं उठता।

## इटावा जिले में अस्पृश्यता के संबंध में अनशनकारियों की गिरफ्तारी के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

**श्री अध्यक्ष**---श्री भजन लाल जी का एक कामरोको प्रस्ताव है---"अस्पृश्यता निवारण (अपराध) कानून, सन् ५५ की खुल कर जिला इटावा में हत्या की जा रही है। और सार्वजनिक स्थान पर छुआछूत का भेदभाव प्रदर्शित किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप हरिजनों को सार्वजनिक स्थानों पर पानी नहीं पीने दिया जाता और थानों के अन्दर उनको अछूत कह कर तिरस्कृत किया जाता है। फलस्वरूप इटावा में आज ४० व्यक्ति अनशन पर बैठे हैं। ये लोग १ अगस्त से २४,२४ घंटे के अनशन पर बैठे रहे हैं। प्रारम्भ में सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया परन्तु कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गई है। दिनांक ३१ जुलाई / १ अगस्त की रात को साढ़े ३ बजे अनशनकारियों को गिरफ्तार कर जेलों में बन्द कर दिया, ये लोग १८ जुलाई से अनशन कर रहे थे। औरतें भी जनता की ओर से इसमें सम्मिलित हैं। १०, १० हजार लोगों के प्रदर्शन हो रहे हैं। अनशनकारियों की गिरफ्तारी, अनशनकारियों की तादाद बढ़ती जाना व पुलिस व सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन आदि के फलस्वरूप जिले में विषम परिस्थिति व्याप्त हो गई है।

अतः इस तात्कालिक महत्त्व के प्रश्न पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

इस विषय में कई दिन पहले से बातचीत चल रही थी। तो अभी श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जो आम बहस हुई थी उस समय इसका जिक्र इस विषय में आ जाना चाहिये था। इसलिये यह कामरोको प्रस्ताव की तो मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, लेकिन माननीय मंत्री जी चूंकि इस विषय में कोई चर्चा बहस में नहीं छिड़ी थी शायद गृहमंत्री जी से यह संबंधित है---तो वे इसके बारे में सदन को सूचना दे दें कि मामला क्या है?

†गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, यह प्रश्न दो तीन बार पहले भी उठा और इस सम्बन्ध में जो सूचनायें मुझे मिली थीं उनको आपकी आज्ञा से मैं भजनलाल जी को भेज भी चुका हूं। अब इस समय जो स्थिति वहां है उसके विषय में कुछ रिपोर्ट मुझे मिली है। ३१ तारीख की रात को और पहली को ४ भूख-हड़ताल करने वाले सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य ३०९ आई०पी०सी० में गिरफ्तार किये गये और जेल में पहुंच कर उन लोगों ने अपना अनशन समाप्त भी कर दिया। यह भी रिपोर्ट मिली है कि २ तारीख से १४ आदमी २४ घंटे के उपवास पर कोतवाली के सामने बैठे हुये थे और प्रदर्शन इत्यादि की कोई रिपोर्ट मेरे पास है नहीं। जहां तक इस झगड़े का सम्बन्ध है उस विषय में जैसा मैंने निवेदन किया कुछ सूचना मैं भजनलाल जी को भेज चुका हूं। यह सही है कि सोशलिस्ट पार्टी के कुछ सदस्यों की ओर से १८ तारीख से वहां अनशन होता रहा है और उनकी खास शिकायत यह रही है कि यहां का पुलिस का प्रशासन आपत्तिजनक है। यह रिपोर्ट मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष---इसमें यह कहा गया है अस्पृश्यता के सम्बन्ध में कि अछूत जैसा व्यवहार उनके साथ होता है अन्य प्रशासन के सम्बन्ध में कोई बात नहीं है। अस्पृश्यता से संबंधित कोई और सूचना आपके पास आई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां। ऐसा कोई बर्ताव भेदभाव का उनके साथ नहीं हो रहा है और न हरिजन होने के नाते किसी प्रकार की उनके साथ ज्यादती की जा रही है। एक घटना घटी थी बीच में कि कोई एक सज्जन खुशीलाल जी सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता हैं जो २३ तारीख से उपवास कर रहे हैं। उनके लड़के को जो प्याऊ पर पानी पीने के लिये गया यह कहा जाता है कि प्याऊ ने अपना लोटा देने से इंकार किया। इसकी रिपोर्ट उन्होंने पुलिस में की। पुलिस ने इसकी जांच की। जांच में यह साबित हुआ कि वह जो लोटा था वह प्याऊ वाले का निजी लोटा था। पुलिस ने कहा कि इस पर कोई ऐक्शन डिस्क्रिमिनेशन ऐक्ट के मुताबिक हम नहीं ले सकते। इस पर फिर कलेक्टर के यहां रिपोर्ट की गयी कि पुलिस ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। एस०डी०एम० ने इन्क्वायरी की और उनकी इंक्वायरी से यह मालूम हुआ कि उनके लड़के प्याऊ पर गये थे और उन्होंने उससे जबरदस्ती लोटा ले लिया जिसे उसने छीन लिया। जब जांच पड़ताल की गयी तो मालूम हुआ कि वह लोटा उस आदमी का निजी था लिहाजा एस०डी०एम० ने कहा कि इस पर पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर सकती।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)---श्रीमन्, एक मिनट मुझे मौका मिल जाय। मैं आपका ध्यान इसलिये आकर्षित कर रहा हूं क्योंकि खुशीलाल जाटव लिखित रिपोर्ट लेकर थाने पर पहुंचे और जब दारोगा जी को दीवान ने पढ़ने के लिये दी तो दारोगा जी ने स्वयं उनसे यह कहा कि "अछूत के बच्चे, चमार, ठाकुर ब्राह्मण की औलाद हैं जो हमारे बराबर कुर्सी पर आ कर बैठते हैं।" मेरा कहना तो यह है कि यहां पर जो विधान सभा के सदस्य हैं उनमें से दो सदस्य उस तरफ के और तीन सदस्य इस तरफ के ले लिये जायं और एक निष्पक्ष जांच करा ली जाय।

श्री अध्यक्ष---लेकिन दारोगाजी ने क्या कहा इसका तो आपने अपने प्रस्ताव में कोई जिक्र किया नहीं। आपने तो गोल बातें लिख दीं। मैंने इसलिये जानकारी हासिल कर ली और आपको भी मालूम हो गया।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, इस संबंध में मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं। माननीय कमलापति जी की ओर से श्री भजनलाल जी के पत्र का उत्तर मेरे पास ३१ तारीख की शाम को आया। भजनलाल जी यहां नहीं थे। मगर अफसोस तो

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

यह है कि जो उत्तर उनकी ओर से आया है वह बिल्कुल अंग्रेजी में टाइप है और आप समझ सकते हैं कि इस सदन के कितने सदस्य अंग्रेजी पढ़ते हैं। फिर भी जो उन्होंने लिखा है आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों की जानकारी के लिये उसे पढ़ देना चाहता हूं। माननीय कमलापति जी ने लिखा है कि खुशीलाल जी के लड़के को प्याऊ पर जिस व्यक्ति ने पानी नहीं पिलाया वह अपना निजी लोटा नहीं देना चाहता था और—

"under the Removal of Social Disabilities Act mainly because the lota was the property of the piauwala...."

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर माननीय कमलापति जी इसको पढ़े होते तो उनको मालूम होता कि रेमूवल आफ सोशल डिसएबिलिटीज ऐक्ट उत्तर प्रदेशीय सरकार का है जो सन् ४७ में बनाया गया था और सन् १९५५ में अनटचएबिलिटी आफेंस ऐक्ट जब केंद्रीय सरकार द्वारा बना तो उस कानून की कुछ धारायें स्थगित हो गयीं और कोई भी व्यक्ति अपने प्राइवेट लोटे से सार्वजनिक ढंग पर पानी पिलाने का काम करेगा तो उसका प्राइवेट लोटा नहीं माना जायगा।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप बहस कर रहे हैं। आप बहस न करें, प्रत्यक्ष जा कर उनसे निवेदन करें।

श्री राजनारायण—उन्होंने इतना तो मान लिया कि पानी नहीं पिलाया।

श्री अध्यक्ष—मैं कानूनी बहस को उठाने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री राजनारायण—मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कानून तोड़ा गया है, वह लोटा प्राइवेट नहीं माना जा सकता, पुलिस कर्मचारियों को मुकदमा चलाना चाहिये था।

## केरल में केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक श्री दीपंकर तथा दूसरा श्री राजनारायण जी का कार्य-स्थगन प्रस्ताव है कि केरल में जो कार्यवाही केंद्र से की गई है उस संबंध में वह प्रश्न उठाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से प्रेसीडेंट ने कोई कार्य किया है उस संबंध में आलोचना इस सदन में नहीं हो सकती है। इसलिये मैं इन दोनों प्रस्तावों के लिये अनुमति नहीं दे रहा हूं कि यह प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)—श्रीमन्. . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

## इलाहबाद में विश्वविद्यालय तथा अन्य विद्यालयों में कानून के विद्यार्थियों को स्थान न मिलने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री मोतीलाल जी अवस्थी का प्रस्ताव इस प्रकार है कि—

"इलाहाबाद में कानून कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पूर्व के समान विश्वविद्यालय इलाहाबाद में तथा अन्य विद्यालयों में प्रवेश न प्राप्त कर सकने के कारण विद्यार्थियों में अशांति का वातावरण व्याप्त हो गया है। उपरोक्त अशांति के कारण १ अगस्त को उक्त विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल व प्रदर्शन भी किये गये हैं। किन्तु सरकार द्वारा

विद्यार्थियों की सहायता के लिये कोई निश्चित कदम नहीं उठाया जा रहा है। यह विषय तत्कालीन, आवश्यक व सरकार से संबंधित है। अतः यह सदन इस विषय पर विचार करने के लिये आज का अपना कार्य स्थगित करता है"।

यह बहुत गोल सा सवाल है और कोई चीज बिल्कुल निश्चित नहीं है, इसलिये मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, यह कई सौ विद्यार्थियों का प्रश्न है और काफी प्रदर्शन और हड़ताल हुई हैं। वह शिक्षा मंत्री जी से भी मिल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—यहां मंत्री जी से इससे संबंध नहीं है। यहां तो प्रश्न का विषय स्पष्ट होना चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, इस संबंध में सरकार से काफी बातची हुई है। आखिर वे कहां जायं इस पर आप ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

## केरल में केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (क्रमागत)

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव आचार्य दीपंकर और राजनारायण जी के नाम से आये थे उनको आपने पढ़ने का भी कष्ट नहीं किया। जो प्रस्ताव आपके सामने उठाये गये हैं, उनके संबंध में यह सही है कि केंद्रीय सरकार का विषय है, लेकिन अत्यन्त गम्भीर है और यह स्थिति हमारे प्रांत में भी लागू हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री झारखंडेराय—जी हां, प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस विषय पर आप थोड़ा-सा मौका दें कि माननीय सदन अपनी भावना को व्यक्त कर सके क्योंकि अपने प्रदेश में भी यह चीज आ सकती है। एक शासक पार्टी का बहुमत. . . .

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, आप भाषण दे रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप कृपा कर अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री झारखंडेराय—श्रीमन्, मैं यह. . . .

श्री अध्यक्ष—संविधान के विरुद्ध मैं किसी चीज की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री झारखंडेराय—अध्यक्ष महोदय, यह संविधान और सदन की परम्परा के विरुद्ध है।

श्री अध्यक्ष—आप इस विषय में यहां आलोचना नहीं कर सकते हैं। लोक सभा में यह प्रश्न उपस्थित है वहां पर आपके प्रतिनिधि मौजूद हैं।

श्री झारखंडेराय—जो विपत्ति आज केरल पर आई है वह हमारे प्रदेश पर भी आ सकती है इसलिये हम चाहते हैं कि. . . .

श्री अध्यक्ष—आप अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें।

**आचार्य दीपंकर** (जिला मेरठ)—श्रीमन्, व्यवस्था का सवाल है। यह जो कामरोको प्रस्ताव सदन में पेश हुये हैं उनके संबंध में मुझे यह कहना है कि इससे पहले भी दूसरे प्रदेशों के प्रश्नों पर विचार हुआ है जैसे हैदराबाद के सवाल पर हुआ था, सीलोन के सवाल पर हुआ था, आपकी ही अध्यक्षता में हुआ था और गोआ के प्रश्न पर भी हुआ था तो मैं यह जानना चाहता हूं कि एक प्रदेश के शासन के ऊपर जो हमला हुआ है क्या सदन उस पर विचार नहीं कर सकता है और यदि नहीं कर सकता तो इस सदन की कार्यवाही से हम लोग इस सदन का परित्याग करते हैं इसके विरोध में।

**श्री अध्यक्ष**—जो वैधानिक प्रश्न आपने उठाया उसका आप उत्तर चाहते हैं। राष्ट्रपति ने कोई कार्यवाही संविधान के अनुसार जो अपनी राय के अनुसार वह कर सकते थे, की। केंद्र से संबंधित जितनी चीजें होती हैं उनकी आलोचना लोक सभा में हो सकती है। लोक सभा ही ऐसा स्थान है जहां पर इस संबंध की आलोचना हो सकती है। किसी प्रदेश की विधान सभा के सदस्यों को इस विषय में टीका-टिप्पणी करने और आलोचना करने का अधिकार नहीं है। जब नहीं है तो मैं इजाजत नहीं दूंगा। दूसरे प्रांतों के विषय में यदि कोई ऐसी चर्चा हो जिसमें किसी कोई कानून द्वारा या संविधान के अनुसार आप बहस कर सकते हों तो बात दूसरी है। लेकिन केंद्रीय सरकार की तरफ से सिपारिश करने पर राष्ट्रपति ने जो निर्णय किया उसकी आलोचना करने का अधिकार इस सदन के सदस्यों को नहीं है। इसलिये मैं बहस की इजाजत नहीं दे सकता।

**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)—मैं इस संबंध में एक निवेदन करना चाहता था। राष्ट्रपति के निर्णय को यदि छोड़ भी दिया जाय तो इतनी बात तो आप तक भी पहुंच चुकी होगी कि इस प्रदेश के अन्दर जो जनतंत्र के प्रेमी हैं . . . .

**श्री अध्यक्ष**—मैं तो आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

**श्री राजनारायण**—हम जनता की भावना को सामने रखना चाहते हैं क्योंकि यही परिस्थिति हमारे प्रदेश में भी कल को आ सकती है।

**श्री अध्यक्ष**—जब आयेगी तब कहियेगा।

**श्री राजनारायण**—मैं यह मानता हूं कि केरल सरकार को चुनाव कराना चाहिये था, लेकिन जिस ढंग पर राष्ट्रपति जी ने केरल के संबंध में कार्यवाही की वह उन्होंने महाराष्ट्र में क्यों नहीं की?

**श्री अध्यक्ष**—आप ज्यादती कर रहे हैं।

**श्री राजनारायण**—हम पांच मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(समाजवादी दल के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

**श्री झारखंडेराय**—अध्यक्ष महोदय, आपने हमें, इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर अपनी भावनायें व्यक्त करने का मौका नहीं दिया। इसका हम घोर विरोध करते हैं और हाउस से वाक आउट करते हैं।

(साम्यवादी दल के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

**श्री अवधेशप्रतापसिंह** (जिला फैजाबाद)—इससे जनतंत्र पर भी कुठाराघात होता है और भारतीय संविधान पर भी कुठाराघात होता है। ऐसी परिस्थिति में वाक आउट करना हमारे लिये मजबूरी है।

(स्वतंत्र प्रगतिशील विधान सभाई दल के कई सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

## नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

**श्री अध्यक्ष**—श्री उग्रसेन ने नियम ५२ के अनुसार प्रार्थना की है। चूंकि वह उपस्थित नहीं हैं इसलिये मैं उसको पढ़ कर नहीं सुनाना चाहता।

दूसरा प्रश्न नियम ५२ के अनुसार श्री मोतीलाल अवस्थी जी ने उठाया है। वह भी उपस्थित नहीं हैं इसलिये उन का भी प्रश्न खत्म होता है।

## सदन में जलपान का अवकाश पुनः जारी करने के संबंध में सुझाव

**श्री अध्यक्ष**—त्रिलोकीसिंह जी ने एक प्रश्न उठाया है और वह चाहते हैं कि सदन इस बात पर विचार कर ले कि बीच में जो एक घंटे की छुट्टी मिलती थी वह अब नियम के अनुसार नहीं मिलती। उसकी वजह से बड़ी तकलीफ होती है। तो इस विषय में सदन या तो नियम ढीला कर दे या नियम को बदल दें। यानी इस नियम का संशोधन कर दें इस तरह का उनका सुझाव आया हुआ है। तो मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि वह नेता सदन से भी बात इस विषय में कर लें और यदि आवश्यकता हो तो सदन के सामने कोई संशोधन आ जाना चाहिये अगर हमेशा के लिये करना है और अगर महीना पंद्रह रोज के लिये करना हो तो नियम निलम्बित हो सकता है, उसके लिये भी बातचीत वह कर लें, उसके बाद वह सुझाव लायें तो ज्यादा अच्छा होगा।

## स्वामी विश्वेश्वरानन्द द्वारा अपने पत्र के संबंध में जानकारी की मांग

**स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)**—अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक सवाल करना चाहता हूं। मैंने २८ तारीख को आगरे से एक पत्र आपकी सेवा में भेजा था। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह पत्र आपके पास पहुंचा या नहीं?

**श्री अध्यक्ष**—मैं यहां नहीं कह सकता हूं। मेरे कमरे में आप पूछें तो मैं अपने दफ्तर में दिखवाकर फिर आपको बता दूंगा।

## ९ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न २१ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

***खाद्य मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)**—श्री जगन्नाथ लहरी ने तारांकित प्रश्न संख्या २१ में जो कि ९-३-१९५९ के लिये निर्धारित था यह पूछा था कि फीरोजाबाद नगर को सस्ते गल्ले की दूकानों पर बिक्री करने के लिये प्रतिमास कितना अनाज दिया जाता है। इसके उत्तर में मैंने कहा था कि उक्त नगर को प्रतिमास १५,६०० मन गेहूं तथा २६०० मन मोटे अनाज की बिक्री के लिये आदेश दिये गये हैं। तदुपरान्त कई अनुपूरक प्रश्न मोटे अनाज के संबंध में किये गये। उन सभी प्रश्नों के मैंने समुचित उत्तर दे दिये थे, परन्तु एक स्थान पर मैंने यह कहा था कि नगरों में कोई मोटा अनाज नहीं दे रहे हैं इस पर माननीय अध्यक्ष ने मेरा ध्यान मूल प्रश्न के उत्तर की ओर आकर्षित किया जिसमें कहा गया था कि उक्त नगर में गेहूं तथा मोटा अनाज दे रहे हैं। इसके उपरान्त मैंने यह भी कहा था कि मुमकिन है, जो चना हमने सीज किया था वह यहां मोटे अनाज में आया हो। परन्तु शीघ्र ही मुझे यह विदित हुआ कि यह स्थिति कुछ भ्रमपूर्ण थी। सही स्थिति यह है कि गेहूं का तो प्रदेश के अन्य नगरों की भांति पूरा कोटा दिया जाता था, लेकिन फीरोजाबाद में आम नियम के अपवाद स्वरूप गेहूं के पूरे कोटे के अतिरिक्त ऊपर से कुछ मोटा अनाज भी दिया जाता था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

## संसद् के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राज्य-पथों से संलग्न भूमि के प्रयोग के हेतु विनियमन तथा नियन्त्रण के संबंध में संकल्प

**राजस्व मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मसिंह)**---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

"इस उत्तर प्रदेश विधान सभा का यह निश्चित मत है कि सड़कों के किनारे आबादी की पट्टियां बनना रोकने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राज-पथों से संलग्न भूमि के प्रयोग को विनियमित तथा नियन्त्रित करने तथा उनके सुधार से लाभान्वित भूमि पर सुधार-शुल्क आरोपित करने के निमित्त संपूर्ण देश में समाज विधायन की तुरन्त आवश्यकता है,

और उपर्युक्त विषय पर विधायन, जहां तक उसका संबंध "भारत का संविधान" की सप्तम अनुसूची की राज्य सूची (सूची २) की मद १८ तथा ४९ में निर्दिष्ट विषयों से है, केवल राज्य के विधायन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, जिसके कारण राज्य विधान मंडल को उपर्युक्त विषयों पर विधि बनाने का अधिकार है और संसद को नहीं है,

अतः यह विधान सभा "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २५२ के अनुसरण में संकल्प करती है कि उपर्युक्त विषयों का जहां तक कि वे ऐसे विषय हैं जिन पर संसद को राज्य के लिए विधि बनाने का अधिकार नहीं है, विनियमन इस राज्य में संसद विधि द्वारा करे।"

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सादी बात है। यह कार्यवाही भारतीय सरकार को भेजी जायगी और इसमें मैं समझता हूं कि कोई बहस की भी आवश्यकता नहीं होगी।

**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)**---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसे जो प्रस्ताव आयें, चाहे अच्छे हो क्यों न हों, या जैसे भी हों तो उन पर कुछ हम लोग भी अध्ययन कर सकें ऐसी व्यवस्था की जाय। अब आज यह प्रस्ताव मिला उस वक्त जब एजेंडा मिलता है करीब साढ़े नौ बजे और उसके बाद यहां पेश किया जाता है, हमारी समझ में नहीं आता है कि यह क्या है?

**श्री अध्यक्ष**---२९ जुलाई को यह प्रस्ताव सबके पास भेजा गया था। आपको उसका खयाल नहीं आया होगा।

अब इसमें कोई बोलने वाले नहीं है।

तो प्रश्न यह है कि इस उत्तर प्रदेश विधान सभा का यह निश्चित मत है कि सड़कों के किनारे आबादी की पट्टियां बनना रोकने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजपथों से संलग्न भूमि के प्रयोग को विनियमित तथा नियन्त्रित करने तथा उनके सुधार से लाभान्वित भूमि पर सुधार-शुल्क आरोपित करने के निमित्त संपूर्ण देश में समान विधायन की तुरन्त आवश्यकता है,

और उपर्युक्त विषय पर विधायन, जहां तक उसका संबंध "भारत का संविधान" की सप्तम अनुसूची की राज्य सूची (सूची २) की मद १८ तथा ४९ में निर्दिष्ट विषयों से है, केवल राज्य के विधायन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, जिसके कारण राज्य विधान मंडल को उपर्युक्त विषयों पर विधि बनाने का अधिकार है और संसद को नहीं है,

अतः यह विधान सभा "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २५२ के अनुसरण में संकल्प करती है कि उपर्युक्त विषयों का, जहां तक कि वे ऐसे विषय हैं जिन पर संसद को राज्य के लिए विधि बनाने का अधिकार नहीं, विनियमन इस राज्य में संसद विधि द्वारा करे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

# कोर्ट-फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९५९ के अननुमोदनार्थ संकल्प

*श्री जरगाम हैदर (जिला बहराइच)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि " यह सदन कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९५९ का अननुमोदन करता है "।

श्रीमन्, आर्डिनेन्स के जरिये से रूल करने की उत्तर प्रदेश सरकार की आदत होती जा रही है। इसके बारे में इस सदन में यूनिवर्सिटी आर्डिनेन्स के सिलसिले में बहुत मुफस्सल बहस हो चुकी है। इसलिये दोबारा उन बातों को दोहरा कर मैं इस सदन का वक्त हरगिज नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बात यह कह देना जरूरी समझता हूं कि आर्डिनेन्स ईश्यू करने के पहले यह बात जरूरी है कि जो आर्टिकिल २१३ कांस्टीट्यूशन का है उसके मुताबिक जरूरियात पूरी होनी चाहिये । जब तक आर्डिनेन्स के बगैर जारी किये सरकार का काम चलना नामुमकिन न हो उस वक्त तक आर्डिनेन्स जारी करना किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है बल्कि अगर श्रीमन्, इजाजत दें तो मैं यहाँ तक कहने के लिये तैयार हूं कि इस तरह के आर्डिनेन्स जारी करके यह सरकार जम्हूरियत के माथे पर दाग लगा रही है।

अब अगर इस आर्डिनेन्स की तरफ ध्यान दिया जाय तो मालूम होगा कि उसके लिये सिर्फ दो वजहें बयान की गई हैं। एक तो यह है कि हाईकोर्ट खुलने के बाद से जो रिट पिटीशन्स दाखिल हो सकते हैं उनके ऊपर बजाय ५० के ५ रुपये का स्टाम्प लगेगा जिससे सरकार को लास होगा और दूसरी वजह यह कि इस सदन नें इस उसूल को तसलीम कर लिया है कि जो रिट पिटीशन्स दाखिल किये जायं हाईकोर्ट में उनके ऊपर ५० रुपया कोर्ट फीस ली जाय। मैं निहायत ही अदब के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह दोनों बातें जो कही गयीं हैं किसी तरीके से भी इमर्जेंसी केस को मेड आउट नहीं करती हैं। मैं यह समझता हूं कि आर्टिकिल २२६, के जरिये से फंडामेंटल राइट्स हासिल करने की बात कही गयी है। यह उसकी खिलाफ वर्जी है जो कि कांस्टीट्यूशन के नाफिज होने के बाद इस देश के रहने वालों को मिली है। सन् १९५१ से बराबर रिट पिटीशन्स के ऊपर ३ रुपये १२ आने कोर्ट फीस लगती थी। इस १४ जुलाई से हाई कोर्ट खुलने वाले थे और २७ जुलाई को इस असेम्बली की बैठक होने वाली थी लिहाजा इन १३ दिन के अन्दर अगर १००, ५० रिट पिटीशन्स हाईकोर्ट, लखनऊ में दाखिल हो जाते और ४५ रुपया हर एक पर सरकार को नुकसान भी होता तो इससे सरकार को कितना बड़ा नुकसान होता? यह कोई इस तरह की इमर्जेंसी नहीं थी जिसके कारण इस आर्डिनेन्स को जारी करने की जरूरत पड़े। सरकार ने इस तरह का आर्डिनेन्स जारी करके हाईकोर्ट के अधिकारियों के साथ बहुत बड़ी नाइन्साफी की है।

जो दूसरी वजह बतलाई गई है वह यह है कि इस सदन ने इस उसूल को मान लिया है कि जो रिट पिटीशंस या दरख्वास्तें एक्स्ट्रा आर्डिनरी सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट में दाखिल की जायं उनके ऊपर ५० रुपये की कोर्ट फीस लगाई जाय। मुझे अफसोस है कि इस वक्त इस सदन के सामने वह जजमेंट नहीं है जिसको उसने अभी दिया है। मैंने उसको तलाश भी किया, लेकिन हाई कोर्ट में भी वह नहीं मिला क्योंकि उसका फैसला इलाहाबाद में हुआ था। उससे यह जाहिर होता है कि हाईकोर्ट में रिट पिटीशंस के ऊपर ५० रुपया कोर्ट फीस इस बिना पर गलत मानी गयी क्योंकि आर्डिनरी सिविल जुरिस्डिक्शन हाईकोर्ट को हासिल है और इस सदन ने इस उसूल को तसलीम किया था कि अगर कोई आदमी हाई कोर्ट में एक्सट्रा सिविल जुरिस्डिक्शन की ओरिजिनल साइड में जाकर दरख्वास्त दे तो उसको कोर्ट फीस ५० रुपया देनी पड़ेगी। आमतौर पर जो हाईकोर्ट को अख्तियार हैं अगर उनको आप काम में लायें, अगर उनके जरिये आप काम लें तो सिर्फ ५ रुपया फीस देनी चाहिये, ऐसा उस वक्त का खयाल था। इस माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जरगाम हैदर]

सदन में जो प्रस्ताव पास हुआ, इस सदन का हर आदमी उसकी अहमियत और नजाकत पर गौर करता है और काफी छानबीन करने के बाद ही सदन से कोई प्रस्ताव पास किया जाता है, लिहाजा जो आपने असबाब लिखे हैं कि इस माननीय सदन ने यह बात तय कर दी थी कि जो भी रिट पिटीशन्स हाईकोर्ट में दाखिल हों उनमें ५० रुपया कोर्ट फीस का लिया जाय, मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि यह इंटरप्रेटेशन गवर्नमेन्ट की तरफ से जो किया गया है हाईकोर्ट के उस जजमेंट का, सदन के उस ऐक्ट का, प्रस्ताव का, वह हर्गिज इस सदन की नियत नहीं थी। सेटेल्ड प्रिंसिपुल है जुरिसपुडेंस का कि कानून के मकसद का इंटरप्रेटेशन सदन नहीं, हाईकोर्ट करेगा। हाईकोर्ट ने यह इंटरप्रेट कर दिया कि इस सदन ने एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन के बारे में ५०रुपये की फीस तय की है, लेकिन जो ओरिजिनल साइड में दरख्वास्तें दी जाती हैं उन पर इसका असर नहीं पड़ता। संविधान की बिना पर यह आर्डिनेंस ईश्यू किया गया है तो मेरी यह गुजारिश है कि यह रीजनिंग सही नहीं है और किसी तरह से यह बात सही नहीं की जा सकती।

अब श्रीमन्, दूसरी चीज यह है कि आया उसूली एतबार से जो रिट पिटीशंस हों उनके ऊपर आपको कोई कोर्ट फीस लगानी भी चाहिये या नहीं। इस सिलसिले में यह बात भी जेरे बहस आयेगी और हो सकता है कि कोर्ट फीस का जो जनरल प्रिंसिपिल है कि जिसके जरिये से आये दिन सरकार यह कोर्ट फीस बढ़ाती चली जा रही है आया वह जायज है या नहीं। मैं यह मानता हूं कि जिस समय हम एक खास सब्जेक्ट के ऊपर, एक खास आर्डिनेंस के ऊपर बहस कर रहे हों तो आमतौर पर हम कोर्ट फीस के ऊपर बहस नहीं कर सकते, लेकिन बुनियादी उसूलों की तरफ तो हम जरूर सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। इस सिलसिले में अगर हमारी सरकार ने कोशिश की होगी और जानने की जहमत की होगी तो उसको यह बखूबी मालूम होगा कि रिट का उसूल जो है वह हमने इंगलिश जुरिस्पुडेंस से हासिल किया है और जो लाज आफ इंग्लैन्ड हैं या इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिया है उसको अगर मंत्री जी ने देखने की जहमत की होगी तो वह इस बात को तसलीम करेंगे कि रिट का सिलसिला १३ वीं सदी से इंग्लैन्ड में चल रहा है और रिट से आमतौर पर आदमी अपने कामों में फायदा उठाया करता है। उसमें यह भी मकसद है कि एक्जीक्यूटिव की ज्यादतियों पर एक चेक रखा जाय और इंग्लैन्ड में शुरू-शुरू के अरसे में इस पर कोई टैक्सेशन नहीं था। इसी बिना पर कांस्टीट्यूशन में जब हमने रिट्स का अख्तियार दिया, उसी वक्त से यह सिलसिला हमारे मुल्क में भी चालू हो गया और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को, जो कांस्टीट्यूशन के गार्जियन हैं, जो इस देश के सिटीजंस के फंडामेंटल राइट्स के गार्जियन हैं, उनको इस बात का अख्तियार दिया गया कि आप इस बात पर चेक रखें। हाईकोर्ट सिटीजंस और स्टेट के बीच एक स्केल की तरह बैठता है। सिटीजन को यह अख्तियार है कि अगर एक्जीक्यूटिव किसी किस्म की उसके साथ ज्यादती करे, उसको डिस्मिस कर दे, उसके घर पर रेंट कंट्रोल ऐंड एविक्शन आफिसर जबर्दस्ती कब्जा कर ले या सरकार किसी मकान पर जबर्दस्ती कब्जा कर ले तो वह हाईकोर्ट में जाय और फरियाद करे और कहे कि इस तरह की एग्जीक्यूटिव ज्यादती कर रही है और आपको इसको रोकना चाहिये। जो रिट ले कर जाता है वह एग्रीव्ड इंसान होता है जिसके हकूक पर बेजा तरीके से जरब पहुंचता है। जब इस बात की कोशिश की जाती है कि ख्वाह सरकार या कोई और शख्स जो इस देश का सिटीजन है उसके हुकूक के ऊपर कोई हमला होता है तो वह आदमी अपनी फरियाद लेकर हाईकोर्ट के सामने जाकर इस बात का तालिब होता है, दादरसी चाहता है कि हमारी इमदाद की जाय, तो मैं दरख्वास्त करता हूं कि किस तरीके से यह मुनासिब है कि आप यह कहें कि वह मजलूम इन्सान हाईकोर्ट के चबूतरे पर, जीने पर कदम नहीं रख सकता जब तक कि वह ५० रुपये दाखिल न कर दे? यह कहां का इन्साफ है? एक बेकस इन्सान फरियाद करता है कि रेंट कंट्रोल ऐंड एविक्शन आफिसर ने हमें बगैर किसी माकूल वजह के मकान से बाहर निकाल दिया है या वह हमारे मकान पर जबर्दस्ती कब्जा कर रहा है, एविक्शन ऐक्ट की बिना पर लाखों

बेकस इन्सानों की जमीन ली जा रही है, लेकिन आपका कानून कहता है कि कब्ल इसके कि तुम अपनी फरियाद करो तुम्हें ५० रुपये पे करने होंगे। आज आपको देखने से मालूम होगा कि एविक्शन ऐक्ट, १९५३ में सदन में पास हुआ था, वह हाईकोर्ट ने अल्ट्रा वायरस किया है यानी बेदखल करने का अधिकार जो सदन ने दिया उसका अधिकार इस सदन को नहीं था, जायज तरीका नहीं था और उस कानून की वैलिडिटी को रिट के जरिये से चैलेंज किया गया है। इसके बावजूद आप कहते हैं कि बगैर ५० रुपये लिए हम किसी तरह से आपकी बात नहीं सुनेंगे। वह ऐसी बात है जैसे यहां के मंदिर हैं, मजार है, वहां के पुजारी या मुजाविर यह कहें कि तुम दुआ नहीं मांग सकते हो कि तुम्हारे यहां लड़का हो जब तक कि तुम यहां चढ़ावा न दो। इसी तरह से सरकार ने अदालत के मजार की मुजाविर होकर अपना हिस्सा जमा करने का एक तरीका अख्तियार कर लिया है। यह किसी इन्साफ या उसूल की बिना पर जायज नहीं है।

आज एक बात की तरफ और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक तरफ तो आपका ऐक्ट नाजायज हो गया, उसके जरिये जो ५० के बजाय ४५ मिलने लगे तो आपने एक आर्डिनेंस जारी कर दिया ताकि आपको लास न हो। अब मैं एक ऐसे कानून की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं जिसमें ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस के ऊपर टैक्सेशन हो रहा है। साल भर हुआ, मिनिस्ट्री आफ ला की तरफ से एक आर्डर निकला कि जितने भी बयान हलफी क्रिमिनल कोर्ट्स में हों उनमें ३-३ रुपये के नोटिरियल टिकट लगेंगे। ३ महीने हुए हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट के उस आर्डर को नाजायज करार दे दिया, लेकिन सरकार ने बावजूद हाईकोर्ट के उस आर्डर के आज तक कोई आर्डर इश्यू नहीं किया है डिस्ट्रिक्ट आथारिटीज को कि आप बयान हलफी पर नोटिरियल टिकट न लगवाइये। अगर तय करती है हाई कोर्ट कि ५० रुपया फीस आप नहीं ले सकते हैं तब भी आप वसूल करते हैं और जब कहा जाता है कि ३ रुपया का नोटिरियल टिकट न लगाया जाय तब सरकार खामोश बैठी रहती है। इसके तो यह माने हुए कि आप पब्लिक से महज टैक्स वसूल करने की कोशिश करते हैं और जायज और नाजायज हर तरीके से रुपया वसूल करते हैं। डेढ़ साल पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें लाखों रुपया सरकार ने क्रिमिनल केसेज में बयान हलफी में वसूल किया है और अब भी आप उसे विद्ड्रा नहीं करते और डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज को हिदायत नहीं भेजते। साथ ही आप कहते हैं कि रिट पेटीशन में जब एक फरियादी हाईकोर्ट में आता है तो उसको ५० रुपये देने होंगे। श्रीमन् मुझे अफसोस है कि हमारी सरकार जो है वह किसी तौर से किसी किस्म की इंक्वायरीज या जो डाक्यूमेन्ट्स हमारे सामने आते हैं उनको ध्यान नहीं देती है। मैं आपके सामने ला कमीशन की तरफ से जो रिपोर्ट रिफार्म आफ जुडीशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में निकली थी उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। चूंकि यह अंग्रेजी में है इसलिये उसे पढ़ने के लिये आपकी इजाजत चाहता हूं। इस सिलसिले में मैं यह भी अर्ज कर दूं कि कोर्ट फीस का जो मसला है वह हमारे देश में एक बहस का मसला बना हुआ है। श्री तलवार साहब की कमेटी की रिपोर्ट का चैप्टर २२ जो है वह कोर्ट फीस से रिलेटेड है। इसमें यह दिया हुआ है:—

"India is, so far as we know, the only country under a modern system of government which deters a person who has been deprived of his property or whose legal rights have been infringed from seeking redress by imposing a tax on the remedy he seeks. Our States provide hospitals which give free treatment to persons who are physically afflicted. But if a person is injured in the matter of his fundamental or other legal rights, we bar his approach to the Courts except on payment of a heavy fee. The fee which we charge is so excessive that the civil litigant seeking to enforce his legal right pays not only the entire cost of the administration of civil justice but also the cost incurred by the State in prosecuting and punishing criminals for crimes with which the civil litigant has no concern."

[श्री जरगाम हैदर]

श्रीमन् तलवार साहब का कहना है कि जिस तरह से एक आदमी जिसको इन्जरी हो जाती है वह इलाज के लिये अस्पताल जाता है तो उससे कोई पैसा नहीं लिया जाता लिहाजा उसी तरह से अगर किसी के राइट्स पर इन्फ्रिजमेंट होता है तो उससे किसी तरह से टैक्स लेना मुनासिब नहीं है ।

फिर श्रीमन्, आज से पहले सन् १८३५ में लार्ड मेकाले ने इस प्रिन्सिपिल को सपोर्ट किया था बंगाल रेग्यूलेशन के जरिये । हमारी इन्डेपेन्डेन्स को कर्टेल करने के लिये जो मेजर्स उठाये गये थे वह सब बंगाल रेग्यूलेशन्स के जरिये लाये गये । यह इस तरह से है:—

"The preamble to the Bengal Regulation which was described by Lord Macaulay in 1835 as "the most eminently absurd preamble that ever was drawn justified the imposition of these fees on the ground that it would prevent the institution of frivolous litigation. It stated that the imposition of these fees "on the institution and trial of suits and on petition presented to the Courts is considered as the best mode of putting a stop to this abuse without obstructing the bringing forward of just claims."

लार्ड मेकाले ने १८३५ में कहा कि जो वजह बतलाई जाती है कोर्ट फीस लगाने की कि गलत मुकदमे दाखिल न हों वह बिल्कुल बेबुनियाद वजह है । जब कोर्ट फीस अमेंडमेन्ट पेश हुआ था तो मन्त्री जी ने यह वजह पेश की थी । श्रीमन्, स्टेट की यह ड्यूटी है कि वह ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस करे । जो स्टेट है उसकी तीन ब्रान्चेज हैं, एक लेजिस्लेटिव , दूसरी एग्जीक्यूटिव और तीसरी जुडिशियल । लाज बनाना हमारा यानी इस सदन का काम है । एग्जिक्यूटिव यानी गवर्नमेंट का काम उन लाज को इन्फोर्स करना है, और जुडीशियरी का काम उनको इन्टरप्रेट करना है । सरकार का फर्ज है कि वह दो आमदियों के दरमियान इन्साफ कराये । एक सिटिजन और स्टेट के दर्मियान अगर कोई झगड़ा हो तो उसमें इन्साफ कराये । यह फर्ज-अदायगी स्टेट का बुनियादी उसूल है, लेकिन आप टैक्स लगायेंगे और कहेंगे कि हमारा फर्ज है कि उसके साथ इन्साफ करें और हम देखें कि हमारे प्रान्त के रहने वाले किसी आदमी के साथ नाइन्साफी न होने पाये, लेकिन हम कब करेंगे जबकि आप हमको काफी रुपया टैक्सेशन की शक्ल में अदा करेंगे । क्या है, श्रीमन् । १० हजार रुपये एक आदमी को देना है । जिसका रुपया है वह स्टेट के पास आता है तो स्टेट का फर्ज है कि उस का रुपया दिलवाये, लेकिन आप कहते हैं कि तुम्हारा रुपया तो दिलवायेंगे, लेकिन कम से कम ३ बरस लगेंगे और १०हजार रुपये को पाने के पहले १,५०० रुपया स्टेट की ट्रेजरी में जमा करो तब तुम्हारी फरियाद सुनी जायगी । यह कौन-सा तरीका है ? एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस की यह जिम्मेदारी है उसके लिये आप किसी से टैक्स नहीं ले सकते । इस रिपोर्ट में सन् १९३८ से लेकर १९४९ तक के स्टेटिस्टिक्स दिये गये हैं । इनसे मालूम होता है कि यह डिपार्टमेंट हमेशा से सरप्लस डिपार्टमेंट रहा है । सन् १९३८ में इसमें सरप्लस था ३८, ९१ हजार रुपया, ४८—४९ में था ५५,९७ हजार रुपया और इन दो सालों के बजट में डेढ़ करोड़ रुपया सरप्लस हो गया है । जब आलरेडी यह डिपार्टमेंट इतना सरप्लस था तो क्या जरूरत थी आपको इस तरह से रुपया और वसूल करने की ?

अब श्रीमन्, रिट के सिलसिले में और इस प्रिन्सिपिल पर पैरा ३७ में साफ तौर से कहा गया है :—

"We have already indicated our view that the administration of justice is a service which the State is bound to render to its citizens and that the charge for such administration should, broadly speaking, fall on the general taxpayer. The position in regard to his service should, in our view, be no different from that in regard to any other service rendered by the State."

अब रिट के बारे में पर्टीक्यूलर्ली पैरा ३८ की तरफ आपकी तवज्जह दिलाऊंगा । बावजूद इसके कि मंत्री जी ला मिनिस्टर थे, शायद इसको देखा नहीं । अगर उन्होंने नहीं देखा तो अब उसको देख लें ।

**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**—कोरम है। (श्री हैदर से) आप जारी रखिये।

**श्री जरगाम हैदर**—पैरा ३८, पेज ५०९ पर इस तरह से है—

"We are of the view that it is the duty of the State to make it very easy for the citizen to vindicate his fundamental and other legal rights. Making the courts easy of access for this purpose is an important objective of our Constitution. The State must, therefore, further the objective laid down in articles 32 and 226 of the Constitution by providing that court fees payable on applications under these two articles should be very small if not nominal. No further argument is needed in support of this recommendation."

ला कमीशन की यह रिकमेंडेशन है कि रिट पिटीशन्स पर जो कोर्ट फीस लगे वह बिलकुल नामीनल होनी चाहिये और कांस्टीट्यूशन की मंशा भी यही है। अब यह रिपोर्ट २६ सितम्बर, १९५८ को पेश हुई और यह कोर्ट फीस अमेन्डमेंट जो आया वह मार्च में आया, लेकिन फिर भी इस वेल्यूएबिल डाक्यूमेंट पर कोई तवज्जुह नहीं दी गयी या मंत्री जी ने देखने की कोई कोशिश नहीं की। उस कमीशन की रिपोर्ट पर उन्होंने कोई तवज्जेह नहीं दी जिसको शीतलवाद साहब और सेन साहब जैसे लोगों ने तैयार किया, उन्होंने जो मेहनत की उसको उन्होंने बिलकुल बेकार कर दिया। अब इस सरकार को कहां से अक्ल लाऊं जिससे वह ठीक तरह से काम कर सके। कमीशन, आप खुद एप्वाइंट करें, शीतलवाद जैसे आदमी उसको प्रेसाइड करें, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज का उसमें एविडेंस लें और वे डाक्यूमेंट्स पेश करें तो उनको आप वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक देते हैं। नोटोरियस टिकट की तरफ में माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हाईकोर्ट का फैसला हो गया फिर भी यह पर्टिकुलर रुपया सरकार वसूल कर रही है। हाईकोर्ट के फैसले की आपकी नजर में वकत नहीं है, ला कमीशन के रिपोर्ट की आपकी नजर में वकत नहीं है, सदन में हम लोगों की तरफ से जो गुजारिश की जाती है उसकी भी सरकार की नजर में कोई वकत नहीं है। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार दुनिया की किस चीज पर अमल करना चाहती है जिसकी तरफ हम लोग उसकी तवज्जह दिलावें। अगर सरकार हम लोगों की गुजारिश नहीं सुनती, ला कमीशन की बात नहीं सुनती, शीतलवाद जैसे आदमी की बात नहीं सुनती, हाईकोर्ट की बात नहीं सुनती तो कम से कम उसी की तरफ के लोग जो इस सम्बन्ध में एतराज करते हैं, उनकी बात तो सुने। अगर सरकार उनकी भी बात नहीं सुनती तो समझ में नहीं आता कि आखिर जम्हूरियत में किस तरह से हम अपनी बात सुनवा सकेंगे। आखिर क्या आप यह चाहते हैं कि जो तरीका केरल को समझाने के लिये अपनाया गया वही तरीका आपके लिये भी अपनाया जाय? इन सब चीजों की वजह से मैं चाहता हूं कि जो आर्डिनेंस इश्यू किया गया है उसको सदन डिस्ऐप्रूव कर दे।

***श्री अवधेशप्रतापसिंह** (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, मैं अपने माननीय मित्र के समर्थन हेतु खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि इस समय व्योरे में जाने की न कोई आवश्यकता है, न वह मेरे अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन चूंकि आर्डिनेंस हमारे सामने रखा गया है, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इससे मुझे इन्कार नहीं है कि आर्टिकिल २१३ जो इंडियन कांस्टीट्यूशन का है उसके अनुसार राज्यपाल महोदय को यह अधिकार है कि वे आर्डिनेन्स प्रोमुलगेट कर सकते हैं, परन्तु मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय को यह बतला देना चाहता हूं कि जहां तक आर्टिकिल २१३ की स्पिरिट का प्रश्न है, वह इसके विरुद्ध है। आर्टिकिल २१३ का उपयोग उस समय होना चाहिये जब कि सही में कोई इमर्जेंसी हो। समय के अभाव के कारण मैं आपकी तथा माननीय मंत्री महोदय की सेवा में उसे पेश नहीं कर सकूंगा, नहीं तो जब कि कांस्टीटुयेंट असेम्बली में आर्टिकल २१३ पर बहस चल रही थी तो यह बात साफ तौर पर बतलायी गयी थी और इसके बारे में हर तरफ के लोग सहमत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

थे कि इसका उपयोग इमर्जेंसी में या एक विशेष परिस्थिति में होना चाहिये । लेकिन दुर्भाग्यवश देखा यह जाता है कि एक तरह का मौका निकाला जाता है, वक्त की तलाश की जाती है जब कि आर्टिकिल २१३ का नाजायज फायदा उठाया जा सके । कांस्टीट्यूशन के इंटरप्रेट करने में यह चीज लाजमी होती है कि उसकी भावना को देखा जाय । लेटर में यह चीज ठीक है कि गवर्नर इस चीज को लागू कर सकता है, लेकिन उसकी भावना को नहीं बदला जा सकता है । यह किसी भी डेमोक्रेसी में, या कहीं भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि इस तरह के आर्डिनेंस आते रहे हों जिस तरह से कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसे अपना रखा है । अगर इसी तरह से बराबर आर्डिनेंस आते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि एक भयानक परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी ।

मैं आपके द्वारा यह भी बतला देना चाहता हूं कि रिट का एक पुराना इतिहास है । जहां तक इंगलैंड का प्रश्न है, रिट के द्वारा ही वहां के सभी नागरिक अपने अधिकार को पाते थे और उसके बाद अमेरिका में भी सदैव रिट हुआ करते थे । यह तो एकस्ट्रा आर्डिनरी है जब कि एक्जीक्यूटिव के खिलाफ उनके लिये कोई चारा न हो या जुडीशियरी में भी अगर लेजिस्लेचर ने उस को पाबन्द कर दिया हो तो ऐसी परिस्थिति में जब कि रिवीजन, अपील या रिव्यू न हो तो कोई भी अगर फन्डामेन्टल राइट्स पर आघात होता है तो संविधान की २२६ धारा के अनुसार कोई भी नागरिक हाईकोर्ट में जा सकता है । अगर आर्टिकिल २२६–२२७ इस भारतीय संविधान से निकाल दिया जाय तो संविधान का फंडामेन्टल राइट्स का जो चेप्टर है वही बेमानी हो जायगी । जो फण्डामेन्टल राइट्स दिये गये हैं उन की सुरक्षा के लिये ही आर्टिकिल २२६–२२७ हाईकोर्ट के लिये और २३२ सुप्रीम कोर्ट के लिये रखा गया है । कोई अदालत अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला देना चाहती है तो उस के लिये रिट आफ हैबियस कारपस, रिट आफ मेंडमस और रिट आफ सर्टियारारी है और यू० के० में और यू० एस० ए० में इन का एक इतिहास है जिनकी नकल भारत में की गई है । जब कि आप का विश्वास प्रजातंत्र में है तो अगर फण्डामेन्टल हकूक पर किसी कानून के द्वारा हमला हो और उसके साथ ही साथ लेजिस्लेचर को यह भी हक है कि वह रिवीजन, रिव्यू या अपील न प्रोवाइड करे तो उसके माने यह नहीं है कि वे संविधान की धारा २२६ के अनुसार हाईकोर्ट में भी न जा सके और उस कानून को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करा सके ।

भवन में एक भ्रम पैदा किया जाता है, एक फैसला हाईकोर्ट ने दिया उसके खिलाफ स्पेशल अपील हुई । मैं केवल यह दिखलाना चाहता हूं कि वह कौन सी एमर्जेंसी थी कि इसको लाया गया गवर्नमेंट की तरफ से । एक फैसला हुआ, स्पेशल अपील भी हुई, फिर यह प्रश्न उठा आड़ में कि कोर्ट फीस इम्पलीमेंट होना चाहिये लिहाजा आर्डिनेन्स लाने के लिये हाथ खुले हैं । मैं जानना चाहूंगा कि इस स्पेशल अपील का मतलब क्या है, जब आर्डिनेंन्स लाना था तो स्पेशल अपील के क्या माने ? इन दोनों की क्या जरूरत थी ? अगर केस मजबूत है तो अपील में सफलता हो सकती है तो उस हालत में आर्डिनेन्स की कोई जरूरत नहीं थी या अगर आर्डिनेन्स लाना था तो अपील की क्या जरूरत थी ? हम मान लेते हैं कि सरकार का दस बीस लाख का घाटा होता हो, मैं विवाद के लिये स्वीकार कर लूं, लेकिन कोई ऐसी आफत नहीं थी कि जिसके लिये आर्डिनेन्स की आवश्यकता होती । जब कि मंत्री महोदय को मालूम था कि हम जुलाई में बैठ रहे हैं, २ जुलाई को यह आर्डिनेन्स प्रकाशित हुआ, मैंने माना कि ३ जुलाई को नहीं बैठ रहे थे, लेकिन जुलाई में जब भी बैठ रहे थे तो २५–२३ दिन का प्रश्न था, इस बीच में आर्डिनेन्स क्यों लाया जाय । कौन सी ऐसी आफत थी ? हम मान लें कि २५ दिन का फर्क था या मान लें कि १ माह का फर्क था तो एक माह के लिये क्या उलझन थी ? हाईकोर्ट कब खुल रहा था, कितना नुकसान हो रहा था, कितना घाटा होने को था ? जब यह आता है इस सदन के सामने विधेयक के रूप में तो हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं और इस बात पर निगाह डाल सकते हैं कि इसमें क्या गुंजायश है, क्या आवश्यकता है । मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि यह कौन-सा ऐसा कम्प्लीकेटेड लीगल इश्यू था ?

श्रीमन्, यह भी बात थी कि रिट्स की वजह से काम ज्यादा है। यह भी स्वीकार करता हूं कि बहुत-सी जगह जहां रिट्स में लोगों को नहीं जाना चाहिये, जाते हैं। लेकिन, इस पर हाईकोर्ट्स के जजेज के नम्बर में इजाफा हुआ। जहां तक रिट कम्पलेन्ट्स के नियमों का सवाल है, उसमें हाईकोर्ट के रूल सख्त किये गये। लेकिन यह कहना कि सिर्फ वह लोग फन्डामेन्टल राइट्स को पा सकते हैं जिनके पास रुपया है तो मैं यह समझता हूं कि ५ रु० से ५० रुपये हिन्दुस्तान या उत्तर प्रदेश ऐसे गरीब प्रदेश के लिये एक बहुत महत्व की बात है। बहुत से लोग ५ रुपये सर्फ कर सकते हैं, लेकिन १० रुपये सर्फ करने होते हैं तो मुकदमा छोड़ देते हैं। पांच रुपये के लिये न महाजन है और न ५ रुपये से अधिक गुंजायश है। पांच रुपये से एकदम ५० रुपया कर देने का यह मतलब है कि कांस्टीट्यूशन में जो फण्डामेंटल राइट्स हैं उनको आप रुपये के आधार पर रोकना चाहते हैं। यही मंशा है तो यह भी हो सकता है कि आप आइंदा १०० रुपये कर दें और कुछ दिनों के बाद २००, ५०० और फिर १,००० कर दें और उस हद तक पहुंच जाय जबकि पद्मपत सिंहानिया ही रिट फाइल कर सकें और कोई न कर सके। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि हिन्दुस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत सी नई चीजें हुआ करती हैं, कल परसों ही नई चीज हो गई, दो तीन वर्ष के बाद पता लगता है और तब लोग पश्चाताप करते हैं या उन गलतियों पर अफसोस करते हैं जब कि उसके लिये समय निकल जाता है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं श्रीमन्, यह सब चीजें न हों और ज्यादा अच्छा यह है कि हमको कांफीडेन्स में लिया जाय और मौका दिया जाय।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**—श्रीमन्, मैं श्री जरगाम हैदर जी के अननुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं। मुझे इस संबंध में आपके सामने प्रक्रिया नियमावली के कुछ नियम रखने हैं जिनके अन्तर्गत जब कोई विधेयक प्रस्तावित कर दिया जाय और उसके संबंध में जो संबंधित कागजात हों उन्हें पेश करने के लिये .....

**श्री अध्यक्ष**—यह विधेयक नहीं है। अध्यादेश की बात है।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**—खैर, लेकिन आप देखें कि अध्यादेश के संबंध में मेमोरेन्डम में यह शब्द हैं "The position arising out of the aforesaid Judgement was examined in all its aspects...." इस जजमेंट का इसमें हवाला है, और उस जजमेन्ट के आधार पर ही इस अध्यादेश की आवश्यकता भी पड़ी है। इस जजमेन्ट के देखने के संबंध में मैंने वित्त मंत्री जी से आग्रह भी किया था किन्तु मुझे किसी प्रकार का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। आप देखें कि यह जजमेन्ट केवल एक विनय जिसके आधार पर इस अध्यादेश को लाने की आवश्यकता पड़ी और उस जजमेन्ट के कारण जो परिवर्तन करने की बात सरकार ने रखी है उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसी के आधार पर आगे चलकर विधेयक भी परिवर्तित रूप से हमारे सामने आवेगा। इसमें जो मुख्य परिवर्तन है वह इस प्रकार है। सेक्शन २ में दिया हुआ है शब्द :—"in the exercise of its" तथा शब्द "extraordinary civil jurisdiction" के बीच में शब्द "ordinary or" रख दिये जायं, तथा शब्द "in the exercise of its" तथा शब्द "extraordinary original criminal jurisdiction" में शब्द "ordinary" रख दिये जायं। अब आप देखें कि एक्स्ट्राआर्डिनरी और आर्डिनरी इस प्रकार के विशेषण लगाकर एक बचत की बात सोची गई है। किन्तु मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि धारा ४, कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० के अन्तर्गत जो अनाधिकृत है वही परिवर्तन करने की बात इस अध्यादेश में की गई है। उसी के नीचे एक स्कोप दिया हुआ है उस फुटनोट में यह लिखा हुआ है :—

"*Scope*—This section has no application to the High Courts in the exercise of their ordinary original civil and criminal jurisdiction."

इसमें साफ लिखा हुआ है कि इसका ऐप्लीकेशन आर्डिनरी ओरीजिनल सिविल और आर्डिनरी क्रिमिनल ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं हो पावेगा। इस प्रकार लिखे होने के बाद भी अब

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

नये अध्यादेश में उसी आर्डिनरी शब्द को बढ़ाकर अपने स्कीम की पूर्ति यह सरकार करना चाहती है । लेकिन आप ध्यान दें कि एक्स्ट्राआर्डिनरी, आर्डिनरी यानी ऐसी आर्डिनरी जो एक्स्ट्राआर्डिनरी भी हो । मैं नहीं समझ पाया कि सरकार जो नया रास्ता निकाल रही है कानून में कुछ नये शब्दों का समावेश करके और विशेषकर उस समय जब कि कोर्ट फीस ऐक्ट में और उसके एक्स्प्लेनेटरी नोट में स्पष्ट है कि इस प्रकार की चीज को रखकर लागू नहीं किया जा सकता, तब मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा अध्यादेश लाकर अपने कानून का बेजा फायदा उठाने की कोशिश क्यों की जा रही है ।

पहले जब सरकार ने कोर्ट फीस अमेंडमेन्ट ऐक्ट इस सदन के सामने पेश किया और उसमें धारा ४ को लाने की कोशिश की गई । उस समय मैंने भी अपने संशोधन द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने उस संशोधन के मंतव्य को नहीं माना ।

यह अध्यादेश अमान्य भी है और कानून के विरुद्ध भी है । ठीक उस कानून में पहले जो यह ३ धारा शिड्यूल की थी उस धारा के शब्दों से स्पष्ट है कि यह जो फी ली जायगी वह किसी कदर एक साधारण फी के मुताबिक ३ रुपये १२ आने के हिसाब से थी और उसी को बढ़ाकर सरकार ने १०० रुपये करने की कोशिश की और फिर समझौते के रूप में ५० रुपये कर दिया । उस वक्त हाउस के सामने हर प्रकार से दबाव डाला गया था और सरकार के सामने एक आवेदन इस प्रकार का था कि इन रिट्स में जो कि हमारे मूलाधिकारों के अन्तर्गत हमें एक अप्राप्य वस्तु प्राप्त हुई है उसमें इस प्रकार की फी का समावेश करना अनुचित होगा । मैं ध्यान आकर्षित करूं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की जो ३२ वीं धारा है उसमें शब्द यह हैं :—

"The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorai, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this Part."

हमें इसके जरिये रिट्स की विशेष सुगमता प्राप्त हुई है और वह सुगमता यह थी कि इस प्रकार के कानून की अवहेलना होने पर हमें किसी प्रकार का प्रतिकर चाहिये किन्तु उसमें किसी प्रकार का संविधान का अवरोध पैदा न हो, लेकिन कोर्ट फीस अमेंडमेन्ट के जरिये उन अधिकारों का अपहरण किया गया और उसके बाद हाई कोर्ट ने अपनी खुलासा नीति में इस चीज का खंडन किया और फिर उसके मुकाबले में सरकार एक नया अध्यादेश लाकर अपनी योजना रखना चाहती है । सरकार का यह अध्यादेश इस जून में बनाया गया । असेम्बली का सेशन अप्रैल में ही खत्म करके यह मौका नहीं दिया गया कि इन सम्भावित बातों का हम मुकाबला कर सकते । आज यह कहा जाता है कि वेकेशन के बाद बहुत सी ऐसी रिट्स सामने आयेंगी जिनमें कोर्ट फीस का नुकसान होगा इसलिये यह अध्यादेश लाया गया है । वेकेशन में बहुत से लोग अपने इन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और ज्योंही लम्बे वेकेशन के बाद कोर्ट खुलता है तो उन को यह मौका मिलता है. . . .

(इस समय १ बजकर १४ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये । )

मैं यह प्रार्थना करूं कि यह अध्यादेश नार्मली अग्राह्य है और किसी तरह से उचित नहीं माना जा सकता है । इसको अनियमित करार देना चाहिये । हमें संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार मिले हैं उनका इसके जरिये हनन होता है ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि प्रायः ३ मिनट से आप यही बात कह रहे हैं । आगे आप कुछ और बोलें । बार-बार वही बात न दोहराएं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मुझे आश्चर्य है कि आपको ३ मिनट बैठे हुए भी नहीं हुए. . .

श्री उपाध्यक्ष—मैं सदन में बैठा हुआ था ।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**---सौभाग्य है कि उस वक्त आप सुन रहे थे । वैसे आप सुनते तभी हैं जब आप अध्यक्ष का आसन ग्रहण करते हैं । इससे पहले भी जो सज्जन बोले हैं वे भी इसी धारा के सम्बन्ध में बोले हैं । केवल शब्दों का हेर फेर है । लेकिन उन लोगों को आध-आध घंटे बोलने का मौका दिया गया । मुझे भी मौका दिया जाय ताकि मैं अपनी बात की व्याख्या कर सकूं.....

**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)---मैं समझता हूं कि इस समय कोरम नहीं है । इस समय जो कार्यवाही हो रही है वह वैध न मानी जाय ।

**श्री उपाध्यक्ष**---कोरम के सम्बन्ध में सभी दलों ने इस किस्म की परम्परा बना ली है कि १ और २ के बीच में कोरम का प्रश्न न उठाया जाय । लेकिन जब प्रश्न उठ जायगा और मेरे सामने आयेगा तो कोई चारा नहीं रह जाता है सिवा इसके कि कोरम करा कर प्रोसीडिंग चलाई जाय । अतएव परम्परा तभी चल सकती है जब सब दल एक मत हों ।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**---लेकिन आपने यह व्यवस्था भी दी थी कोरम के लिये कि प्रश्न उठ जायगा तो उस समय जो विषय सामने होगा उस पर कोई निर्णय नहीं दिया जायगा यानी वोटिंग नहीं हो सकेगी ।

**श्री उपाध्यक्ष**---इस समय वह प्रश्न नहीं है । आप बोलें ।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**---इसमें जो "आर्डिनरी" शब्द का प्रयोग किया गया है वह शब्द अमान्य है । इसके कोई अर्थ नहीं होते । मैं आशा करता हूं कि इस प्रस्ताव को सभी लोग अननुमोदित करेंगे ।

**श्री मदनमोहन** (जिला फैजाबाद)---श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सदन को इस अध्यादेश का स्वागत करना चाहिये । इसके द्वारा बहुत ही सीमित क्षेत्र में बहस हो सकती है । अध्यादेश का कारण बताते हुये यह कहा गया है कि इस सदन ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया था, चाहे गलत हो या सही कि रिट के ऊपर इतनी कोर्ट फीस ली जायगी । अब उसके लिये दो जगह व्यवस्था करनी थी, एक तो अनुसूची में और दूसरे धारा ४ में । दो जगहों पर उपर्युक्त शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य था पूर्व इसके कि यह कोर्ट फीस का संशोधन स्वीकार किया जाता । इत्तफाक से धारा ४ के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया । परिणाम यह हुआ कि एक्स्ट्राआर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पर विचार नहीं किया गया । सम्भव हो सकता है कि हम इस भ्रम में रहे हों कि रिट की दरख्वास्त हाई कोर्ट में जब गुजरती है तो हाई कोर्ट एक्स्ट्राआर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का प्रयोग करता है और अपना निर्णय देता है । किन्तु हाई कोर्ट ने यह निर्णय किया कि नहीं, इस सम्बन्ध में हमारा जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, एक्स्ट्राआर्डिनरी जुरिस्डिक्शन नहीं, और चूंकि धारा ४ में कोई व्यवस्था नहीं है कि हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते समय रिट के ऊपर, उस प्राविधान का जैसा कि अनुसूची में दिया गया था, उसको व्यवहृत करे, इस कारण से जो अनुसूची बनी है वह अधिकार के बाहर बनी है । इससे उत्पन्न अध्यादेश के ऊपर हम विचार करने आज बैठे हैं ।

अब श्रीमन् देखें कि रिट एप्लीकेशन पर ५० रुपये कोर्ट फीस लेने का निश्चय सदन द्वारा स्वीकृत हो चुका जिससे कि यह बात निश्चित हो चुकी कि इस सदन की राय में, रिट की दरख्वास्तों पर इतनी कोर्ट फीस ली जायगी । उसमें एक कानूनी गलती पायी गयी और हाई कोर्ट ने इस सदन के निश्चय को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की । मैं समझता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस सदन का निश्चित मत था कि रिट एप्लीकेशन पर ५० रुपये कोर्ट फीस ली जाय, यह जानते हुये कि सम्भव हो सकता है कि पूर्व इसके कि कोई विधेयक इस सदन में उपस्थित हो कर पारित किया जाय कि हमारा निश्चय ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को भी लागू होता है, यह विचार करके कि इस बीच में हो सकता है कि कोर्ट फीस का नुकसान सरकार को हो, यह अध्यादेश जारी करना अनिवार्य था । यह तो केवल इस सदन क निश्चय के आदर

[श्री मदनमोहन]

के लिये अध्यादेश जारी किया गया है। यह ठीक है कि हमारे मित्र श्री जरगाम हैदर तथा श्री अवधेशप्रताप जी ने बहुत विद्वता से इस सदन के समक्ष अपने विचार रखे परन्तु मेरा विनम्र निवेदन है कि वे सब इस अवसर पर युक्तियुक्त या संगत नहीं हैं। इस समय केवल प्रश्न यह है कि क्या यह अध्यादेश जारी करना उचित था या अनुचित और क्या इस सदन की यह राय थी या नहीं कि रिट एप्लीकेशन पर अमुक कोर्ट फीस ली जाय। और अगर यह निश्चित था तो सदन का सारा विवाद कि कोर्ट फीस कितनी होनी चाहिए, कोर्ट फीस रिट पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, रिट का अपना महत्व है, फीस कितनी और किन दशाओं में लेनी चाहिये, यह जितने भी प्रश्न हैं, बिल्कुल असंगत हैं। केवल प्रश्न इतना है कि क्या उस समय अनिवार्य था या नहीं, सरकार के लिये या राज्यपाल के लिये कि अध्यादेश जारी करें। अगर सदन की राय या निश्चय के अनुकूल अध्यादेश जारी किया है तो मैं समझता हूं कि उसका स्वागत होना चाहिये।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्मा जी के शब्द मिले हुए शब्दों से हमें भ्रम पैदा होने लगता है और एक नींद आने लगती है उनकी लोरी की तरह की मीठी-मीठी बातें सुनने से, और मुझे डर लगता है कि कोई गुमराह न हो जाय। श्रीमन्, होमर की ओडेसी में पढ़ा था चिरब्डीज का जिक्र, जो अपने सुरीले मोहक गान से समुद्र में के नाविकों को मोह लेती थी और अपनी ओर खींच लेती थी। नाविक जब नाव उधर ले जाते थे तो उसकी मधुर तान में खिंच जाते थे। मैं इससे तो उनकी उपमा नहीं दूंगा, लेकिन संगीत की मधुरता वैसी ही है। श्रीमन्, वर्मा जी की मिठास में हमें बड़ा आनन्द मिलता है और वैसे हम उनका बड़ा आदर करते हैं, लेकिन उन्होंने एक सिद्धान्त की बात कही है कि हम यह मान चुके हैं कि ५० रुपये रिट पेटीशन पर कोर्ट फीस होनी चाहिये लिहाजा वह बढ़ नहीं सकती है। लेकिन मैं ध्यान दिलाऊंगा कि कई फैसले ऐसे हैं जो सदन पहले पास कर चुका है और बाद में गलती जाहिर होने पर हमने उनको बदला है। जैसे इलेक्ट्रीसिटी का अभी अध्यादेश आ रहा है। पहले बिजली पर ड्यूटी एन्हान्स हुई, लेकिन बाद में गलती महसूस हुई तो अब छूट दे रहे हैं। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि जो सिद्धान्त मान चुके हैं उनको बदला नहीं जा सकता है।

श्रीमन् यह तो एक मौका होता है जब हम जनता की बात को सदन के सामने रखते हैं अपने पिछले अनुभव के आधार पर। जनता पर जो कोर्ट फीस का बोझ पड़ रहा है यदि हम उसको यहां नहीं रखते हैं तो न हम अपने फरायज अदा करने से ही चूकते हैं बल्कि जनता के साथ विश्वास-घात करते हैं। जो ५० रुपये का सवाल आया है वह हाई कोर्ट में रिट करने का सवाल है। कहा गया है अगर जून में Ordinance हम जारी न करते तो हाई कोर्ट के खुलने पर ५ रुपये पर ही अर्जियां दायर हो जातीं और इससे सरकार को नुकसान होता। कोर्ट फीस एन्हान्स की गई थी, उसे कार्यान्वित करना था।

श्रीमन्, मैं संविधान के आर्टिकिल १४ को पढ़ दूं। वह इस प्रकार है कि—

"The State shall not deny to any person equality before the Law or the equal protecton of the Laws within the territory of india."

श्रीमन्, अगर इस आर्टिकिल को देखा जाय तो हम यह घोषणा कर चुके हैं कि इस प्रदेश व देश के रहने वाले चाहे गरीब हों या अमीर हों उनको कानूनी मामले में बराबर प्रोटेक्शन मिलेगा।

**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)—श्रीमन् कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गयी)

**श्री उपाध्यक्ष**—मैंने माननीय सदस्यों से कह दिया है कि अगर आप प्रश्न उठायेंगे तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा। इसलिये अगर आप कोरम के लिये इंसिस्ट न करें तो मैं आगे बिजनेस

चला सकता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में नियमित सरक्यूलर निकाल देने चाहिये। किसी को जानकारी नहीं है।

**श्री रामशरण यादव**—कुछ लोगों को मुगालता था कि एक से दो बजे के बीच में भी कोरम की जरूरत है।

**श्री उपाध्यक्ष**—आपने अपनी भूल सुधार ली, लेकिन दूसरे माननीय सदस्य ने उठा दिया।

(कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

**श्री उपाध्यक्ष**—अब माननीय राजनारायण जी भी आ गये। आपकी पार्टी के माननीय सदस्य ने कोरम का प्रश्न उठा दिया। और सम्भवतः सभी दलों में समझौता हो चुका है कि एक और दो के बीच में कोरम का प्रश्न नहीं उठाया जायगा, यह परम्परा कायम की जायगी।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—श्रीमन्, मैं अर्ज कर रहा था कि संविधान की आत्मा यह कहती है कि सब आदमियों को समान अवसर मिलेगा। कोई Discrimination नहीं होगा। जिस देश में जहांगीर का न्याय प्रसिद्ध है और जहां घंटा बजाने पर राजा आता था चाहे महल के अन्दर हो, जिस देश में मुफ्त न्याय दिया जाता था—जिस राम राज्य की बात सरकार की तरफ से कही जाती है जिसमें एक आदमी की शिकायत पर राम ने इतना बड़ा फैसला दे दिया कि सीता तक का परित्याग कर दिया, उस राम राज्य की दुहाई देने वाली सरकार कोर्ट फीस ले और उसे इतनी ज्यादा कर दे कि गरीब अदालत के दरवाजे तक जा ही न सकें। यह कैसी विडम्बना है। अंग्रेजी की एक मसल है—'Man with the longer purse wins' यानी जिसके पास ज्यादा रुपया है वह न्याय खरीद लेता है। पर सरकार उस न्याय को दिन ब दिन महंगा बनाती जा रही है, ताकि सेठों को न्याय मिल सके—सिंघानिया, बिड़ला और टाटा को मिले, लेकिन कल्लू, नत्थू और बुद्धू को न मिले। तो इक्वैलिटी बिफोर ला (Equality before law) कहां रही? आज इस प्रदेश में संविधान का तांडव नृत्य कराया जा रहा है। कोर्ट फीस का भूत दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तमाशा यह है कि पेटीशन तो आर्डिनरी जुरिस्डिक्शन में करें लेकिन फीस एक्स्ट्राआर्डिनरी पड़े। ज्यादातर रिट्स किसमें होते हैं? जैसे पंचायत राज ऐक्ट है जिसमें कोई अपील की व्यवस्था नहीं है। हो सकता है कि पंच Law के interpretation ठीक कर सकें या न कर सकें इसलिए रिट की व्यवस्था है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की नजीरें श्रीमन् ने देखी होंगी। वहां के जजों ने जरूरत पर कहा है कि यह गलत इंटरप्रिटेशन हो गया, यह कानून का मंशा नहीं था। श्रीमन्, मैं तवज्जह दिलाऊंगा कि ऐसे कानून भी हमने पास किये हैं, जहां कि हाई कोर्ट में दस हजार पर कोर्ट फीस लगती है १,४०० और उसी को अगर बाद में सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं तो वहां केवल २५० रु० लगता है। यानी हाई कोर्ट में ज्यादा फीस लेते हैं। इस तरह के कानून हैं श्रीमन्। अगर वाकई आपको पैसे की जरूरत है तो जब कोर्ट फीस अमेंडमेंट बिल आया था उस समय मैंने माननीय मंत्री जी को चुनौती भी दी थी कि बड़े-बड़े दावे जो होते हैं २ हजार से ऊपर के जो कि बड़े-बड़े लोगों के होते हैं, उनके ऊपर आप चाहे जितना बढ़ा लें। अगर मोटे को काटोगे तो कुछ मांस भी मिलेगा, लेकिन अगर एक दुबले पतले आदमी को, गरीब को काटोगे तो केवल हड्डियां ही हड्डियां मिलेंगी। श्रीमन्, आपको याद होगा कि उस पर उधर से एक तरमीम पेश हुई, कांग्रेस पार्टी के ह्विप साहब जो हैं श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट जी उन्होंने यह संशोधन पेश किया था कि २५ हजार से ऊपर के जो दावे हैं उनकी कोर्ट फीस कम कर दो। यानी बड़े-बड़े लोगों की कोर्ट-फीस कम कर दो, पूंजीपतियों का बर्डेन कम करो, ताकि उनको सहूलियत हो। जो रेट गरीबों से लेते हैं उससे कम उन से लो। यह २५ हजार से ऊपर का दावा करने वाले कौन होंगे? यह होंगे, बिरला, टाटा और बड़ी-बड़ी चीनी की मिलों के मालिक जो कि कांग्रेस को चन्दा देते हैं।

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

एक अर्ज मैं यह करना चाहता हूं कि रोज-रोज आप देखते हैं कि अपनी विधान सभा से कोई कानून पास हुआ और हाई कोर्ट में अगर पहुंचा, कोई ले गया, तो वहां वह उलट जाता है---जैसे, सेल्स टैक्स ऐक्ट को ले लीजिए, मोटर-वेहिकिल्स ऐक्ट को ले लीजिए। क्या खूबी है हमारे लीगल डिपार्टमेंट की, कानूनों को क्या तमाशा बना रखा है? मैं श्रीमन्, आपकी आज्ञा से थोड़ा-सा कोर्ट फीस ऐक्ट की नजीरों से पढ़ देना चाहता हूं---

"In deciding the question of Court fees payable on the claims the following principles have to be borne in mind—

(1) It is a fiscal enactment and has to be construed strictly and any ambiguity or doubt arising out of its interpretation has to be resolved in favour of the subject.

(2) The Court must confine its attention to the words of the Act.

(3) The Court fee is payable on the claim as framed and not as it ought to be framed. But the Court shall at the same time insist on the substance and not merely the language of the plaint being taken into consideration to guard against anevasion of the statute.

(4) It can not be made to apply by analogy."

तो मतलब यह है कि एक-एक शब्द बहुत judge करके लिखना चाहिए। मैं सिर्फ इसकी फ्रेमिंग की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। जब कभी कोई कानून बनाना हो तो जरा ठंडे दिमाग से उस पर सोचने का मौका होना चाहिए, मोटर साइकिल नहीं चलानी चाहिए। आप बिल को पेश कर दीजिए, उसके बाद पन्द्रह बीस दिन एक महीना या दो ही हफ्ते सही हम लोगों को दीजिए। श्रीमन्, यह आर्डिनेंस जारी किया गया। यह बहाना किया गया कि लेजिस्लेचर बन्द था, लेकिन श्रीमन्, अगर मैं गलती न करता होऊं तो सदन के समवेत होने के तब समन्स ईश्यू हो गए थे उसके बाद यह लाया गया।

दूसरी बात यह है कि रोजमर्रा हाईकोर्ट जो फैसले देती है उन फैसलों को काम में न लाने देने के लिए सरकार यह कोशिश करती है कि वह आर्डिनेंस निकाले। इससे क्या होता है? इससे जजेज के प्रति जो प्रतिष्ठा जनता की है वह दिन पर दिन खत्म होती जाती है। वह रसातल को चली जा रही है, दिन पर दिन। वास्तव में (As a fact) वह कमेटी जिसकी रिपोर्ट अभी जरगाम हैदर साहब पढ़ रहे थे उसमें आपने देखा श्रीमन्, कि जजेज के अप्वाइंटमेंट के बारे में क्या लिखा है? उससे तो किसी भी सरकार का सरशर्म से झुक जाना चाहिए। कमीशन ने लिखा है कि चीफ मिनिस्टर्स से इंटरफियर करते हैं, वह अपने कैंडीडेटों को रखवा देते हैं। जातिवाद के आधार पर वह रखे जाते हैं: निपोटिज्म, जाबरी वगैरह का वातावरण होने की बातें कहीं हैं, और यह कौन कहता है, आपके एटार्नी जनरल आफ इंडिया व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इतना तो डैमेज कर चुके अब तो आपको इस पर गौर करना चाहिये। सरकार की यह पालिसी अब हो गई है कि वहां के किये हुये जो फैसले हैं वह उन पर यह चलना नहीं चाहती है और जो नजीर हाई कोर्ट में एक बार हो चुकी हैं, उसे काम में यह सरकार नहीं लेना चाहती है। इस वजह से हमारे यहां जजेज की प्रतिष्ठा दिन ब दिन कम होती जा रही है। जब न्याय के बल पर इस डेमोक्रेसी को नहीं चलाया जायगा तो वह स्वयं खत्म हो जायगी। जिस तरह से श्याम और पाकिस्तान में हो रहा है, मैं इस सरकार को आगाह करता हूं कि वह यहां भी, अगर सरकार ने डिक्टेटोरियल एटीट्यूट को नहीं बदला, हो जायगा। मैं चाहता हूं कि जजेज के काम में कोई किसी तरह से दखल नहीं होना चाहिये। तभी जजेज की प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। अगर इन जजेज की प्रतिष्ठा नहीं की जायगी और इनके काम को नहीं सराहा जायगा तो रूल आफ ला भी बदनाम हो जायगा। यह जो रिट पीटिशन्स होती हैं गरीब या विरोधी दल के पीड़ित लोग ही इनको ज्यादा दायर करते हैं। हमारे यहां राजनारायण जी ज्यादा रिट दाखिल करते हैं

क्योंकि उन्हें बारबार पकड़ लिया जाता है। सरकार जानती है कि गरीबों के पास पैसा ज्यादा नहीं होता है। इसलिये उसका यह खयाल है कि अगर कोर्ट फीस को ज्यादा कर दिया जायगा तो वे लोग फिर रिट पीटिशन्स दाखिल नहीं कर पायेंगे क्योंकि मिलमालिक तो विरोधियों की मदद करने वाले हैं नहीं। मिल मालिक तो कांग्रेस वालों की ही मदद करते हैं और चुनाव में रुपया देते हैं। मगर विरोधियों के पास रुपया न होने से वे लोग जेल में सड़ते रहेंगे। बस यही इस आर्डिनेंस की बुनियाद में बात है और किसी तरह की और कोई बात नहीं है। ५ और ५० के बीच के अन्तर से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता है। सरकार कहती है कि सरकार के पास रुपये की कमी है इसलिये वह कोर्ट फीस बढ़ा रही है। मैं इसको सही नहीं मानता हूं क्योंकि जब सरकार ८ लाख रुपया इस सदन में तस्वीर और दीवारों की पेन्टिंग के लिये सर्फ कर सकती है तो फिर रुपये की कमी कहां है। अभी हमने बजट में देखा कि नई लिफ्टें लगाई जा रही हैं लाखों रुपये के खर्चे से और परदों के लिये २६ हजार रुपया खर्च करने जा रही हैं। यहां पर एक लाउड स्पीकर सिस्टम तो पहले से लगा हुआ है अब यह जो आप ऊपर देख रहे हैं, यहां पर यह दूसरा बढ़िया व बेशकीमती लगने जा रहा है। रोज-रोज सरकार अंधाधुंध रुपया खर्च करती जाती है और नये ऐश के सामान की पर्चेज करती जाती है और इस तरह से लाखों रुपया इसमें सर्फ कर दिया जाता है तो फिर हम कैसे समझें कि रुपये की कमी है। हर दूसरे साल एक मिनिस्टर अपनी कार को बदल देता है। फिर कहा जाता है कि रुपये की कमी है इसलिये कोर्ट फीस बढ़ा दी जाय। बहुत तरह की बेकार की योजनायें भी आजकल चल रही हैं जिसमें करोड़ों रुपया व्यय किया जा रहा है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि अगर सरकार इस गरीब देश को जिन्दा रखना चाहती है तो भगवान् के लिये सरकार कम से कम इस चीज को वापस ले, नहीं तो गरीब की हाय उसे ले जायगी और डुबा देगी।

**श्री रामशरण यादव**---उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अध्यादेश पर विवाद चल रहा है और जिस पर श्री जरगाम हैदर ने अननुमोदन का प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में अपने विचार इस सदन में रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अध्यादेश में दिये गये उद्देश्य और लक्ष्य को अगर पढ़ा जाय और उसके सम्बन्ध में अगर संविधान की धारा को पढ़ा जाय जिसके अन्दर इसके सम्बन्ध में कहा गया है तो यह साफ प्रकट हो जायगा कि इमरजेन्सी की गैरमामूली कोई वजह नहीं थी जिसके कारण यह अध्यादेश जारी किया जाता। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस अध्यादेश को देखा जाय और इसको ठीक से देखा जाय तो मैं कहूंगा कि यह अध्यादेश २ जुलाई, सन् ५९ को जारी हुआ।

यदि मैं भूलता नहीं हूं, ठीक तारीख तो मुझे याद नहीं है, हमारे हाइकोर्ट तो १५ जुलाई के बाद ही खुलते थे, लेकिन मालूम हुआ कि इस वर्ष पहले सप्ताह के अंत में या उसके दो एक रोज के बाद खुले हैं और श्रीमन्, मुझे यह भी याद पड़ता है कि गालिबन १८ जुलाई को गजट में इस विधान मंडल को बुलाने की सूचना थी और जैसा हमारे मित्र विष्ट जी ने कहा, कुछ सदस्यों को सम्मन्स भी चले गये थे। तो ऐसी कोई वजह नहीं थी कि हमारे माननीय मंत्री जी को यह मालूम न होता कि विधान मंडल २७ जुलाई को मिलने वाला है। २ जुलाई को यह अध्यादेश जारी हुआ और जुलाई के पहले सप्ताह के बाद हाईकोर्ट खुले, तो केवल १३, १४ दिन का ऐसा वक्त था कि जिसमें रिट पिटीशन्स हाईकोर्ट में दाखिल किये जा सकते थे। श्रीमन्, उद्देश्य में ऐसा कोई कारण नहीं दिखाया गया है कि जिसमें सरकार को इस के कारण कोई हानि हो सकती थी या किसी बात पर इस अध्यादेश के लागू न करने का असर पड़ता था। यह भी उपाध्यक्ष महोदय, कोई कारण नहीं दिखाया गया कि इस अध्यादेश के लागू होने से जनता को क्या फायदा हो सकता है। न तो सरकार की कोई ऐसी हानि, जिसकी पूर्ति न हो सकती हो और न जनता के लिये कोई बहुत ही जरूरी और लाभ की बात इसमें दिखायी गयी है कि जिसको विधान मंडल के बैठने के पूर्व ही हो जाना चाहिए था। जब ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी तो उस समय अध्यादेश जारी करना सर्वथा अनुचित था और विधान मंडल के प्रति भी एक प्रकार से अविश्वास---यदि यह शब्द

[श्री रामशरण यादव]

संसदीय न हो तो मैं जोर नहीं दूंगा---है, लेकिन यह जरूर है कि विधान मंडल को बुलाये जाने के पहले अध्यादेश जारी करना सरकार के लिये एक विषेष ताकत को अख्तियार करना है । जब कोई उचित कारण न हो और सरकार उन परिस्थितियों में काम करे तो सर्वथा ही उसके काम को अनुचित कहा जायगा । उसी प्रकार से यह अध्यादेश जारी किया गया है । कोई परिस्थिति विशेष न होने के कारण इस अध्यादेश का अननुमोदन किया जाना चाहिये और इसलिये मैं मजबूर हूं कि इस प्रस्ताव का अनुमोदन करूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश द्वारा धारा ४ का संशोधन करके कोर्ट फीस बढ़ाने की बात कही गयी है । हमारे मित्र वर्मा जी ने अभी कहा कि कोर्ट फीस अमेंडमेंट ऐक्ट को पास करके इस विधान मंडल ने कोर्टफीस बढ़ाने के उसूल को मान लिया था । मेरे विचार से ऐसी बात नहीं थी । जिस वक्त अमेंडमेंट ऐक्ट सामने था विधान मंडल के, उस समय भी इस उसूल पर एतराज किया गया था कि कोर्ट फीस बढ़ाना ठीक नहीं है । जहां एक तरफ आप यह घोषणा करें कि इंसाफ सस्ता होना चाहिये उस समय कोर्ट फीस बढ़ाने की बात करना, वह गरीब लोग जो सेमी स्टार्ड्ड हैं, नेकेड हैं, जिन्हें कानून की कोई रेमिडी नहीं मिलती है, उनको जो कुछ सुभीता संविधान के द्वारा या किसी और प्रकार से मिला हुआ है उसको छीनना होगा, उसमें फीस बढ़ाना न्याय के उसूल के खिलाफ है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान संविधान की धारा २२६ की ओर खींचना चाहता हूं । यह एक अमूल्य आर्टिकिल है और यदि मैं इसको पढ़ूं तो आप महसूस करेंगे कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको वहां पर सुरक्षित किया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, आर्टिकिल २२६ संविधान इसका प्रमाण है कि यह वहीं पर लागू है जहां पर आर्डिनरी कोर्स में किसी भी विधान मंडल को, चाहे वह संसद हो, चाहे यहां का विधान मंडल हो स्टेट्स का उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लेजिस्लेशन न बनाया जा सकता हो, कोई ऐसी रेमेडी न मिल सकती हो तो उस समय आर्टिकिल २२६ से हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट को पावर्स दी गयी हैं, उन्हीं को कस्टोडियन बनाया गया है । इसमें साफ लिखा हुआ है कि यह आर्टिकिल किस लिए इस्तेमाल होता है । मैं आपके सामने इसकी शब्दावली पढ़ूंगा :---

"Notwithstanding anything in article 32, every High Court shall have power, throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction, to issue to any person or authority including in appropriate cases any, Government, within those territories directions orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, *quo warranto* and certiorari, or any of them, for the enforcement of any of the rights conferred by Part III and for any other purpose."

उपाध्यक्ष महोदय, और यह रिट्स की जो हिस्टरी है वह हमारे मित्र सैयद साहब ने अभी बतायी, लेकिन जहां तक मैंने लीगल हिस्टरी इंगलैंड की पढ़ी तो मुझे मालूम हुआ कि वहां पर किसी भी आर्डिनरी ला में जहां कहीं भी सिटीजन को किसी प्रकार का रिलीफ नहीं मिलता तो इन रिट्स के द्वारा हर सिटीजन को मौका दिया गया कि चौबीसों घंटे जहां पर वह अपने को एग्रीव्ड समझे और वह यह समझे कि कानून है लेकिन उसके अनुसारउसको रिलीफ नहीं मिलता और उसको इंजरी है तो वाई वे आफ रिट रिलीफ सीक (By way of writ relief seck) कर सकता था । तो इस उद्देश्य और लक्ष्य से यह आर्टिकिल बना हुआ है । अगर कहीं नागरिक को किसी और कानून के जरिये रिलीफ मिल सकता होता तो मेरे खयाल से संविधान में यह आर्टिकिल २२६ न आया होता ।

उपाध्यक्ष महोदय, उस कोर्ट-फीस अध्यादेश के द्वारा यह जो रिट्स पर कोर्ट-फीस लगा दी गयी है इसमें यह भी है कि न केवल रिट्स पर किन्तु "फार ऐनी अदर परपज" (for any other purpose) इस पर मैं जोर दे रहा हूं । उसमें पार्ट थर्ड का जिक्र है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को

डील करता है। इसके साफ माने हैं कि हाईकोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों के कस्टोडियन बनाये गये हैं और कहीं भी हमारे मौलिक अधिकारों पर हस्तक्षेप होता हो वहां पर हम हाईकोर्ट के पास जायं उससे रोएं-धोएं और अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करें। उपाध्यक्ष महोदय, यदि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी हमें कुछ टैक्स देना पड़े तो हमारी नागरिकता कैसे कायम रह सकती है इस कांग्रेस सरकार में और इस स्टेट में। मेरे सुनने में, जहाँ तक मैंने सुना और जाना यह नहीं आया कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कहीं और स्टेटस में रिट्स पर कोर्टफीस बढ़ी हो। उपाध्यक्ष महोदय, यह किसी हद तक माना जा सकता है कि जहां भी नागरिकों के बीच की बात हो तो वह जस्टिस के लिए कुछ खर्च करें, अपने को टैक्स करे, लेकिन यह नहीं माना जा सकता कि हमसे किसी का झगड़ा नहीं, लेकिन फिर भी कानून के होते हुए भी अगर किसी नागरिक को कोई इंजरी है, दुःख है और उसका वह कोई रिलीफ न ले सके तो यह सर्वदा ही जनतंत्र के लिए घातक होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपकी सेवा में बताऊं कि मान लीजिये एक आर्डिनेन्स गलत तरीके से जारी हुआ और उसकी वैधानिकता को चैलेंज करने के लिए कोई भी नागरिक या सदन का सदस्य हाईकोर्ट जा सकता था और कोई दूसरा चारा आर्डिनरी कोर्स में नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, क्या चारा होता ? किसी नागरिक को अगर परेशानी होती तो वह कहा जाता, सिविल कोर्ट में जा नहीं सकता सिवाय इसके कि हाईकोर्ट जाय। अगर गलती विधान मंडल करे या यह सरकार करे अध्यादेश निकाल कर या कानून गलत बनाये तो गरीब टैक्स पेयर को हाईकोर्ट में ५० या १०० रुपया टैक्स अदा करना पड़े। उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि यह क्या जनतंत्र को बढ़ावा देना है, या जनतांत्रिक ढ़ंग से जो जनता को अधिकार दिये गये हैं उनकी रक्षा करना है ? श्री गोविन्दसिंह जी विष्ट ने अभी बताया कि इस कोर्टफीस का असर ज्यादातर किस पर पड़ता है। गरीब, नैकेड, स्टार्व्ड जनता पर इसका असर ज्यादा पड़ता है। बड़ा आदमी तो १०० रुपया नहीं १५० रुपया भी दे देगा। माननीय मन्त्री जी कहेंगे कि हमने हेबियस कारप्स छोड़ दिया है। क्रिमिनल जस्टिस के ऊपर ज्यादा कोर्टफीस नहीं लगाई है लेकिन जो शेड्यूल दिया हुआ है उसमें "एप्लीकेशन्स ऐण्ड पेटीशन्स" दिया हुआ है। हमारा फंडामेन्टल राइट है, लेकिन हमें मन्दिर में नहीं घुसने दिया जाता। बनारस में मंदिर प्रवेश का मामला चल रहा है। हमारा राइट है, हम मन्दिर में जा सकते हैं, हमारा रेलिजस राइट है लेकिन उसमें हस्तक्षेप किया जाता है तो फिर इसके लिये सिवाय हाईकोर्ट के और कौन सा कानून है। वहां पर एक आर्डिनरी एप्लीकेशन दी जायगी लेकिन उस एप्लीकेशन पर भी १०० रुपया अदा करें तब रक्षा की मांग कर सकते हैं। न्याय का सस्ता करना और उसको ऐसा बनाना कि वह सबको उपलब्ध हो सके, तो क्या उसके लिये यही व्यवस्था की जायगी कि आये दिन आपकी कोर्ट फीस पर नजर पड़े उसको बढ़ाने के लिये ? इंक्वायरी कमेटीज इस सरकार की और संसद की बैठी जिन्होंने यह मांग की कि यहां पर न्याय बहुत महंगा है और देशों की अपेक्षा और दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में यहां पर उसे सिविल और क्रिमिनल दोनों न्याय महंगे पड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप उस पर विचार नहीं करते और उनको वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक देते हैं और बराबर अमेंडमेंट करके कोर्ट फीस बढ़ाते चले जाते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**--आपका समय समाप्त।

**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जरगाम हैदर जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हमारे सामने एक आर्डिनेन्स है जिसके द्वारा रिट पेटीशन्स पर ५० रुपया कोर्टफीस लगाने का विचार हो रहा है। यह आर्डिनेन्स आया ठीक है या गलत, इस पर विचार हो रहा है। इसके पहले हमारी समाज के अन्दर कोई ऐसी खराबी नहीं पैदा हो गई थी कि हमारा समाज छिन्न भिन्न हो जाता या समाज के लिये कोई बहुत बड़ा खतरा था जिसकी वजह से आर्डिनेन्स लाना जरूरी था बल्कि बताया यह जाता है कि सरकार को कुछ नुकसान होता जो कि कोई माकूल वजह नहीं

[श्री हिम्मत सिंह]

है। जो कोई भी आर्डिनेन्स लाया जाता है वह समाज के हित के लिये लाया जाता है। दूसरे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में जाने का भी विचार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जा कर के हम इसकी अपील करेंगे लेकिन अपील तक का निर्णय देखने तक का सब्र नहीं रह गया और यह आर्डिनेन्स जारी कर दिया।

अब देखना यह है कि आर्डिनेन्स के जारी होने से क्या नुकसान गरीब जनता को पड़ेगा। एक अक्षर के बढ़ा देने से गरीब जनता के साथ बड़ा अन्याय हो जायगा। आर्डिनरी पेटीशन पर, जो हाईकोर्ट में माल या दीवानी के मुकदमों में मर जाते हैं उनमें वारिस बनने का सवाल पैदा होता है, तो क्या उस आर्डिनेन्स पेटीशन पर भी ५० रु० कोर्ट फीस देना होगा? निश्चय ही यह गरीब जनता पर बड़ा भारी अन्याय होगा। हमको कभी कभी हाई कोर्ट में मिस्ल या डाक्यूमेंट्स तलब कराने होते हैं तो उसके लिये भी ५० रु० देने होंगे क्योंकि वे भी आर्डिनरी पेटीशन में आ जाते हैं। कभी-कभी सवालबन्द देते हैं तो उसका भी ५० रु० देना होगा। इस प्रकार इस आर्डिनेन्स से बड़ा अन्याय होगा। मंत्री जी को चाहिये कि सस्ते न्याय की व्यवस्था करें। सुप्रीम कोर्ट में सरकार जा रही है या जाने की सोच रही है वहां से निर्णय करा लें।

श्री उपाध्यक्ष--क्या यह विषय सुप्रीम कोर्ट के पास है?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--जहां तक मुझे जानकारी है नहीं है। अभी पुष्टि करके बताता हूं। (कुछ सैकिन्ड रुक कर) नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--इसका फैसला श्रीमन् की टेबिल पर आ जाता। मैंने तो कोशिश की और आपके आफिस में भी मगर . . . .

श्री उपाध्यक्ष--अगर आप नियमों में परिवर्तनकरा लें तो मुझे आसानी होगी सरकार को मजबूर करने के लिये कि वह कागजात दे।

श्री राजनारायण--डेमोक्रेसी के लाभ के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपनी स्पेशल पावर्स से कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--मुझे आप राज्यपाल न बना दें।

*श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)--जनाबवाला, बदकिस्मती से हैदर साहब की स्पीच मुझे सुनने को नहीं मिली क्योंकि मैं नहीं था। इक़बाल का शेर है कि--

वाय नाकामी मताये कारवां जाता रहा,
कारवां के दिल से अहसासे जियां जाता रहा।

यह कहा गया कि गवर्नमेंट ने इस काम के लिये आर्डिनेन्स इस्तेमाल किया जो नहीं करना चाहिये था। एक आदमी अपनी गलती करने के बाद अगर उसका एहसास कर ले तो बड़ा अच्छा है। लेकिन मालूम होता है कि सरकार तो दूध की धुली हुई है कि उससे कोई गल्ती होती ही नहीं। या यह सरकार इतनी ज्यादा होशियार है कि वह उसे समझ नहीं पाती है और अगर समझती है तो उसकी सोचने की ताकत ज्यादा हो गई है। सबसे अच्छा देश दुनिया में वह होता है जहां लोग यह कहें कि यहां इंसाफ है और सस्ता है। अमीर व गरीब बगैर किसी दिक्कत के इंसाफ पा सकें। जहां इंसाफ की कमी है वह सरकार सरकार कहलाने की मुस्तहक नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहा गया सेशन न होने की वजह से यह आर्डिनेन्स लाया गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या २ अप्रैल को यह नहीं कहा गया था कि २० अप्रैल से सैशन फिर होने वाला है। जहां यह कहा गया था कि हाउस बहुत जल्दी बैठने वाला है उसके बाद यह आर्डिनेन्स क्यों जारी किया गया ? आर्डिनेन्स किसी एमरजेंसी में ही लाये जाते हैं जबकि गैर मामूली वाकयात पैदा हो गये हों जिनमें बगैर आर्डिनेन्स के सरकार का तसादुम हो जाय। लेकिन जब खामोशी है तब आर्डिनेन्स का लाना ठीक नहीं है। इसमें बनारस और इलाहाबाद की सरजमीन है जहां कि लोग खामोश हैं और मजालिम बर्दाश्त करने के आदी हैं, वरना सूरत दूसरी ही होती। लोग इसे मंजूर नहीं करते और हमारे सामने एक समस्या पैदा होती। लेकिन वी टेक एवरीथिन्ग फार ग्रान्टेड और हम चीजों पर गौर नहीं करते। हम मुस्कराते रहते हैं। ऐसी सूरत में मेरी समझ में नहीं आता कि हम कहां जावेंगे। हजारों लाखों मुकदमे हाईकोर्ट में और छोटी अदालतों में पड़े हुये हैं। रिट कब दायर किया जाता है ?

कासिर जवाब होता है जब अर्जे हाल से,
बनता है तरजुमान दिले बेकरार तू।

जब कहीं से काम नहीं बनता है तब रिट होता है। आप ३।।।) की जगह ५० रुपये कर रहे हैं, १६ गुना। १५ आने से इनके राज्य में १) हुआ, १) से १।) हुआ और कहते हैं कि आम जनता पर असर नहीं पड़ता है। वकला की फीस अलहदा रही, आने-जाने का खर्चा अलहदा, और उसके साथ इलाहाबाद के पन्डे रहे। ऐसी सूरत में अक्ल तो बावर नहीं करती कि कोर्टफीस बढ़ाई जाय। आपने कह दिया कि बड़ी गैर मामूली हालत पेश आ गई जिसे आप साबित नहीं कर सकते। तो आर्डिनेन्स से इस बात को करना बड़ी जबरदस्त भूल है। मैं आपके जरिये इतनी इल्तमास करता हूं कि सरकार इस पर सोंचे। हमारे सामने अजीब मंजर है। अपने पास के मुल्क को देखकर हमें सबक लेना चाहिये। हमारे देश की हालत बहुत खतरनाक है। कोई भी अच्छे और मुतमद्दन देश का नक्शा हमारे सामने रख रहे हैं।

यह बात कहने में तो बड़ी आसान है कि असेम्बली बैठी नहीं थी, जरूरत पड़ी, इसलिये आर्डिनेन्स जारी कर दिया। हमारे बाद भी तो आने वाले लोग हैं। अगर हम ऐसी चीज पेश करें जो अनडेमोक्रेटिक हो तो बाद में आने वाले लोग उससे क्या सबक हासिल करेंगे। इसलिये हमारे लिये यह गैर जरूरी था और इसको लाने से नुकसान है। अगर हमसे कोई गलती हो जाय तो उसका हमें एहसास करना चाहिये। आज महात्मा गांधी को इतना बड़ा क्यों माना जाता है ? उन्होंने अपनी जिन्दगी में कई गलतियां की लेकिन उनको मान लिया कि मुझसे गलती हुई। लेकिन इस सरकार का हाल यह है कि वह सन् ४७ से यहां आयी है और अब ५९ है इसने अपनी किसी गलती का एहसास नहीं किया। क्या यह सरकार हर गलती से मुबर्रा है ? आप कोई कानून भी बनाते हैं तो बड़ी जल्दी में बनाते हैं। ऐसा भी होता है कि सदन में सदस्य नहीं होते और आप कारपोरेशन सरीखा कानून चन्द घंटों में ही पास कर देते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**—यह आप विषयान्तर हो रहे हैं। एक बात को ही कई बार दुहरा रहे हैं। ऐसी कोई दलील दीजिये। जिसका सरकार पर असर हो। ( हंसी )

**श्री शिवराज बहादुर**—यह आर्डिनेन्स कव्ल अजवक्त है। इसके लाने के लिये गवर्नमेंट के पास कोई दलील नहीं है। इससे इंसाफ नहीं हो सकता, गरीबों को तकलीफ पहुंचेगी, इसलिये इस आर्डिनेन्स को सरकार फौरन वापस ले।

**श्री राजनारायण**—उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

**श्री राजनारायण**—श्रीमन्, मैं समझता हूं कि जो अध्यादेश रिट पिटीशन्स की फीस को बढ़ाने के लिये लाया गया है उसके बारे में शायद ही कोई सम्मानित सदस्य हो जो उसके अननुमोदन करने के प्रस्ताव का विरोधी हो। मैं समझता हूं जो भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक होंगे, जो महात्मा गांधी की रहनुमाई की तनिक भी अच्छी बातें अपने में रखते होंगे, वे सब एक ही राय के होंगे कि ५० रुपया फीस बढ़ा देना नितान्त असंगत है और एक प्रकार से संविधान के प्रति बलात्कार है। श्रीमन्, यह देखा जाय कि रिट पिटीशन्स कब दाखिल होती हैं। बहुत ही सफाई के साथ संविधान के निर्माताओं ने इस बात को मान्यता प्रदान की है कि जो भी हमारे फन्डामेन्टल राइट्स हैं, उनसे संबंधित जितनी भी बातें हैं उनको लेकर रिट पिटीशन्स की जा सकती हैं। सब को लेकर रिट पिटीशन्स किया जा सकता है। कहीं अनुचित कार्य हो रहा हो, किसी भी प्रकार के व्यक्ति द्वारा कोई अनुचित आदेश हो या किसी भी प्रकार की किसी अथारिटी द्वारा कोई कार्य हो रहा हो, उन सब को रोकने के लिये यह एक रिट पेटीशन ही हमारे पास एक साधन था जिसको लेकर हम हाईकोर्ट तक पहुंचते थे और हाईकोर्ट से यह दरख्वास्त करते थे कि फलां काम अनुचित हो रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है इसलिये हाईकोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे और हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करे। मेरी समझ में नहीं आया कि आज यह सरकार किस मुंह से यह तर्क देती है कि रिट पेटीशन के लिये ५० रुपयों की फीस अगर नहीं कर दी जायगी तो पैसे की कमी पड़ेगी, इसलिये यह बात मानी जानी चाहिये। सरकार इस प्रकार से न्याय को महंगा करती जा रही है केवल एक ही बात कह कर कि हमारे पास पैसे की कमी है।

एक तरफ श्रीमन् २ जुलाई को यह अध्यादेश जारी हुआ। पहले तो मैं इसके औचित्य पर ही आऊंगा कि क्या २ जुलाई को वह उपयुक्त समय था जब कि यह अध्यादेश जारी किया जा सकता था। जहां तक मेरी जानकारी है सम्भवतः जून के तीसरे सप्ताह में असेम्बली को बुलाने का हुक्मनामा निकल चुका था। इस नये विधान मंडल के सत्र को बुलाने की नोटिस जारी हो चुकी थी तब माननीय राज्यपाल महोदय के मस्तिष्क में यह बात साफ हो चुकी थी कि २७ जुलाई को विधान मंडल मिलने जा रहा है और वे उसका सम्बोधन भाषण भी करेंगे तो क्या आवश्यकता थी २ जुलाई को इस अध्यादेश को जारी करने की? क्या इसके लिये २५ दिन तक इन्तजार नहीं किया जा सकता था? अगर २५ दिन तक इन्तजार करके बाकायदा सदन में एक विधेयक के रूप में लाकर उस पर चर्चा करायी गयी होती तो हर प्रकार के मत आये होते और प्रकट हुए होते तो कौन सी आफत आ गयी होती? न तो आसमान ही फट पड़ता और न पृथ्वी ही धंस जाती। मगर एक अजीब तर्क सरकार की तरफ से होता है, मालूम नहीं कितना ज्यादा पैसा इस तरह से उसे मिल जायगा। तो मैं यह नहीं चाहता हूं कि सरकार की इच्छा पर कोई शुबहा करूं, और मेरी आदत भी नहीं है कि किसी के इंटेंशन पर जाऊं जो किसी मानव शक्ति के परे की बात है, वहां जाने की मैं कोशिश भी नहीं करता। यह सरकारी पक्ष के लोगों को ही मुबारक हो कि हर मौके पर वे मनुष्य की इच्छा में जाने की कोशिश करते हैं। मैं मानने के लिये तैयार हूं कि सरकार की इच्छा भले ही के लिये हो, उसकी इच्छा हो कि न्याय सस्ता हो, सुलभ हो, सब अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करें, मगर सरकार की इस इच्छा के साथ भी रिट पेटीशन के लिये ५० रुपया फीस कर देना, यह अच्छी बात नहीं थी। मैं देख रहा हूं कि सरकार जो काम कर रही है उससे न्याय महंगा हो रहा है और मौलिक अधिकार को एक प्रकार से टेढ़े तरीके से छीनने की कोशिश की जाती है। हमारे जो मौलिक अधिकार संविधान में हैं उनको लेकर श्रीमन्, हमने रात के १२ बजे भी अपने पास एक पैसा न रहते हुए भी हाईकोर्ट के जजों को जगाया है। आप जानते होंगे कि इसी लखनऊ में जब डाक्टर राममनोहर लोहिया को लखनऊ जेल में बांध कर जबरदस्ती अंगूठे का निशान लिया गया तो मैंने १२ बजे रात में जाकर हाईकोर्ट के जज को जगाया था। अब अगर हमारे पास ५० रु० न हों तो हम कैसे जा सकते हैं? अब तो हमारे

लिये आवश्यक होगा कि हम किसी सरमायेदार को ढूंढ़ें, किसी पैसे वाले को ढूंढ़े और उनसे कह कर अपने पास रुपये हासिल करें तब जाकर हाईकोर्ट में रिट दाखिल करें। यह हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है और यह बहुत जबरदस्त अन्याय हो रहा है। यह सरकार पैसे के लिये लालायित होकर क्या करने जा रही है इसको सदन के सम्मानित सदस्यों को समझना चाहिये कि हम कोई ऐसा तरीका न अख्तियार करें जो आगे चल कर हुकूमत के लिये ही बाधा बन जाय।

श्रीमन्, जैसे उदाहरण स्वरूप मैं कहूंगा कि आप जानते हैं कि १० मई को हमारे यहां सत्याग्रह चला। उस समय ऊपर से नीचे तक बड़े से छोटे तक सभी नेताओं ने कहा कि जनतंत्र में सत्याग्रह का कोई स्थान नहीं है। केरल की छोटी सी सरकार का उदाहरण हमारे सामने है . . . .

**श्री उपाध्यक्ष**—विषयांतर हो रहा है।

**श्री राजनारायण**—मैं तो प्रसंगवश कह रहा हूं। आगे कहूंगा जब मौका आयेगा इस वक्त ५० रुपया देने की बात थी। इसके अलावा अब तो ७ तारीख को अविश्वास का प्रस्ताव आ रहा है, हमें आशा है कि इस तरह की चीजों से तो हमारा प्रस्ताव पास होने में कोई कठिनाई न होगी और वह धड़ाके से पास हो जायगा। जो माननीय सदस्य अपने सिद्धान्तों और आदर्शों के विषय में वफादार होंगे वह हमारे प्रस्ताव का समर्थन करने में तनिक भी न हिचकेंगे और ७ तारीख को हमारे प्रस्ताव पर विचार करेंगे और जरूर उसे स्वीकार करेंगे। मैं यह कह रहा था कि ५० रुपया कहां से आयेंगे। उधर हाईकोर्ट में रिट दायर हुआ और फिर २ को आर्डिनेन्स जारी हो गया। हम जाते हैं रिट दायर करने एडवोकेट कहता है कि ५० रुपया लाये हो? रुपये की कमी से कितने ही रिट दाखिल नहीं हो सकते। देखना यह है कि आज की सरकार एक तरफ तो इस तरह से हर जगह फीस बढ़ाती जाती है और दूसरी तरफ किस तरह से रुपये का अपव्यय और अनर्थ होता है, वह यह भी नहीं देखते कि संविधान के सिद्धान्तों के वह अनुकूल है या प्रतिकूल है। आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें और सदन के सम्मानित सदस्य इसको ध्यान में रखें कि एक तरफ तो रिट पर ५० रुपया फीस बढ़ाई जाय और दूसरी तरफ नैनीताल में माननीय सदस्यों का वेतन बढ़ाने का फैसला किया जाय। अगर आज सरकार के पास जन कार्यों के लिये पैसा नहीं है तो किस मुंह से सरकार विधान-सभा सदस्यों का वेतन बढ़ाने की बात करती है। हमारे पास डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर की एक रिपोर्ट है, यह हमारे सवाल के जवाब में आई है, हमें दुख और अफसोस है कि यह अंग्रेजी में आई है, अगर हिन्दी में आती तो हमें आसानी होती। इसका एक वाक्य मैं अंग्रेजी में पढ़े देता हूं। मगर रहा फार्म जो मिर्जापुर में है उसके बारे में डेवलपमेंट कमिश्नर साहब लिखते हैं :

"The land acquired for the farm was purchased for Rs. 68,000 at the rate of Rs. 800 per acre. The price paid for the land appears to be inordinately excessive because the actual price of this type of land in the locality is only about Rs. 200 per acre."

मैं यह बताऊंगा कि इससे क्या सिद्ध है। धन की कमी नहीं है बल्कि धन की कमी का बहाना बनाया जा रहा है और मौलिक अधिकारों के हनन की बराबर कोशिश हो रही है। यह आपने डेवलपमेंट कमिश्नर महोदय की रिपोर्ट को अभी सुना। उन्होंने लिखा है कि मिर्जापुर का सरकारी फार्म सन् ५७ में लिया गया और २०० रु० प्रति एकड़ की जगह पर ८०० रुपया प्रति एकड़ पर खरीदा गया। इस तरह से रुपए का दुरुपयोग होता है। एक तरफ विलासिता में वैभव में पैसा बरबाद होता है और दूसरी तरफ जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करने के लिये रिट पर ५० रुपया फीस बढ़ाई जा रही है।

[श्री राजनारायण]

एक लाइन में और पढ़ देता हूं--

"The cultivators and the general public can have nothing but sheer contempt for such an agricultural Farm."

यह डिप्टी विकास आयुक्त लिखता है कि इस ऐग्रीकल्चरल फार्म के लिये जहां पर कि सरकार इतना रुपया देकर खरीदा है, जनता घृणा की दृष्टि से देखेगी ।

श्री उपाध्यक्ष--अब आप आगे बढ़िये, इसे छोड़िए ।

श्री राजनारायण--इसी तरह से कोई सवाल हो चाहे शिक्षा की नीति हो चाहे उद्योग नीति हो। उद्योग की नीति ही लीजिये। आपको आश्चर्य होगा, श्रीमन्, कि अनावश्यक तरीके से, बिना टेन्डर मंगाये हुए, बिना लोअर टेन्डर का खयाल किये हुये आर्डर दिये जाते हैं । हिन्दुस्तान कामियल कारपोरेशन को ८०/८० और ९६/९६ लाख के आर्डर्स दिये गये । कानपुर में जो कारपोरेशन बना हुआ है जिसमें ३ करोड़ रुपया लगा हुआ है । ५ लाख रुपया कर्ज दिया गया । शान्तिप्रसाद जैन को १ करोड़ ४५ लाख रुपया दिया गया। जिनका रुपया विदेश में जमा है। क्यों दिया गया उनको १ करोड़ ४५ लाख रुपया ? एक तरफ टैक्स को बढ़ाया जाय, रिट पिटीशन की फीस बढ़ाई जाय जोकि मूल अधिकारों से संबंधित है और दूसरी तरफ पूंजीपतियों को कर्ज दिलवाया जाय, मंत्रियों की सहूलियतों और ऐश-आराम को बढ़ाया जाय, नाना प्रकार की सुविधाएं दी जायं ये दोनों बातें असंगत हैं । इसलिये मैं आप के द्वारा निहायत अदब के साथ सरकार से अपील करूंगा कि सरकार जो रिट पेटीशन की फीस को ५० रुपया करने जा रही है इस इरादे को छोड़ दे और अननुमोदन करने का जो यहां पर प्रस्ताव पेश है इसको मान ले । इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर जनतांत्रिक चेतना को जगाते हुए अपील करूंगा कि सरकार सदबुद्धि अपनाएं और संशोधन को मान ले ।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--इसकी आवश्यकता नहीं है । तीन बजे तक इसे समाप्त करना है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया )--मेरा निवेदन है कि तीन बजे तक समाप्त हो जाय क्या ऐसा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हो गया है ?

श्री उपाध्यक्ष--विरोधी दल और सरकारी पक्ष में यह समझौता हो गया है ।

श्री उग्रसेन--कब हुआ, हमको पता नहीं श्रीमन् ।

श्री उपाध्यक्ष--आप गैरहाजिर थे ।

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--मैं अर्ज करूं कि मैं बोल लूं इस वक्त, तो फिर बाद में जवाब देने का मुझे आखिरी राइट होगा ?

श्री जरगाम हैदर--यह ठीक है, श्रीमन् ।

श्री उपाध्यक्ष--ज्यादा समय नहीं है । माननीय मंत्री जी को २५ मिनट में दे दूंगा ।

श्री जरगाम हैदर--मेरी गुजारिश है कि मंत्री जी पहले बोल लें, चाहे १०-५ मिनट ही बोलें तो अच्छा होगा ।

**श्री सैयद अली जहीर**--उपाध्यक्ष महोदय, मुश्किल यह है कि जो बहस हुई है उसका जो मामला जेरे बहस है उससे इतना कम ताल्लुक है कि मुझे कुछ बहुत ज्यादा उसके सिलसिले में जवाब नहीं देना है। गालिबन एक तकरीर जो इधर से हुई थी मदन मोहन वर्मा साहब की वह ऐसी तकरीर थी कि जिसमें उन्होंने जितनी जरूरी बातें थी उसमें से बहुत सी मुख्य बातें कह दीं। मुझे सिर्फ यह अर्ज करना है कि जहां तक यह आर्डीनेन्स है, यह दफा २१३ में जारी हुआ है, और इस किस्म की बहस जिसको कि माननीय सदस्यों ने बार-बार दोहराया कि नोटिस जा चुकी थी लिहाजा आर्डिनेन्स की क्या जरूरत थी उसके लिये मैं अर्ज करूंगा कि कांस्टीटूयूशन की दफा २१३ में लिखा हुआ है :--

"If at any time, except when the Legislative Assembly of a State is in session, or where there is a Legislative Council in a State, except when both Houses of the Legislature are in session, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require :"

यह इतने वाइड पावर्स हैं और इसके अन्दर कोई इस किस्म का रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं कि अगर नोटिस जारी हो गई तो आर्डिनेन्स नहीं होना चाहिये। यहां तक पावर्स में है कि अगर दोनों हाउसेज में से एक हाउस भी सेशन में नहीं है तो गवर्नर साहब एम्पावर्ड हैं कि इस तरह के आर्डिनेसेज ला सकते हैं।

**श्री टीकाराम पुजारी** (जिला मथुरा)--श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

**श्री सैयद अली जहीर**--तो इस वजह से आर्डिनेंस के जारी होने और उसके आपर्वेन होने का जहां तक सवाल है मेरे खयाल में इसमें किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिये कि वह ठीक था।

अब सवाल उसूल का है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि यह फैसला हाईकोर्ट का नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर्स को यह पावर्स हैं कि वह हाइकोर्ट तक और जो दूसरे किस्म की अदालतें हैं उन सबके लिये जो भी मुनासिब समझे वह कोर्ट फीस लागू करे। चुनांचे इसी सिलसिले में एक कोर्ट फीस बिल इस सदन में आया और वह मंजूर किया गया। उसी में यह भी तय पाया गया कि पहली अप्रैल सन् १९५९ से वह लाग कर दिया जाय।

उसके शिडयल में यह भी लिखा हुआ है :--

| | | |
|---|---|---|
| "Application or Petition when presented to a High Court. | (1) Under the Companies Act, 1956, for the winding up of a company. | One hundred Rupees. |
| | (2) Under Article 226 of the, Constitution, not being for a writ in the nature of Habeas Corpus. | |
| | *Or* | |
| | Under Article 227 of the Constitution. | Fifty Rupees. |
| | (3) For probate or letters of administration to have effect throughout India. | Twenty-five Rupees. |

[श्री सैयदअली जहीर]

अब उसमें जहां तक लेजिस्लेचर की मंशा का ताल्लुक है जिस वक्त वह कानून पास हो गया उसके माने यह थे कि लेजिस्लेचर ने गवर्नमेन्ट को अथराइज किया कि पहली अप्रैल १९५९ से लागू किया जाय। वह लागू कर दिया गया।

उसके बाद जब वह हाईकोर्ट में गया तो यह एतराज हुआ कि सेक्शन ४ में जो अल्फाज हैं उसके मातहत जो कांस्टीटूयूशन के दफा २२६ की जो ऐप्लीकेशंस हैं वह उसमें नहीं आ सकती। उसके अल्फाज जिसके ऊपर अपोजीशन हुआ वह यह थे :—

दफा ४ यह कहती है :—

"No document of any of the kind specified in the first or second schedule of this Act, as chargeable with fees, shall be filed, exhibited or recorded in, or shall be received or furhished by any of the said High courts.

(सेड कोर्ट्स तो बोर है—मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट से है)

in any case coming before such court in the exercise of ordinary or its extraordinary original civil jurisdiction."

ये अल्फाज उसमें थे। तो ला डिपार्टमेन्ट की यह राय हुई कि एक्स्ट्रा आर्डिनरी सिविल जूरिस्डिक्शन जो है उसमें रिट एप्लिकेशंस ज्यादा आ जाती हैं और उसकी वजह यह थी कि आर्डिनरी सिविल जूरिस्डिक्शन लोअर कोर्ट्स में हैं और सिर्फ एक्स्ट्रा आर्डिनरी सिविल जूरिस्डिक्शन की एप्लिकेशंस हाईकोर्ट में आती हैं और इसकी वजह यह समझी गयी कि एक्स्ट्रा आर्डिनरी सिविल जूरिस्डिक्शन के अल्फाज ऐसे हैं जिनमें रिट एप्लिकेशंस २२६ की दाखिल हो सकती हैं और गवर्नमेन्ट को यह खयाल हुआ कि इसमें कुछ न कुछ असलियत है, चुनांचे यह मामला हाईकोर्ट में गया। उन्होंने कहा कि यह तो एक नया जूरिस्डिक्शन है जो हाई कोर्ट को मिला है २२६ से और वह एक्सट्रा आर्डिनरी सिविल जूरिस्डिक्शन कन्फर किया गया है हाईकोर्ट के ऊपर। कुछ कोर्टस इसके विरुद्ध है और कुछ इसी प्वाइंट आफ व्यु के फेवर में हैं कि यह मामला साफ नहीं है। तो यह कहा गया कि दफा ४ में टैक्स बढ़ाने का जो अधिकार है वह हमें नहीं है तो इस वजह से शेडयूल में जो बढ़ाया गया है वह लागू नहीं होगा २२६ के ऊपर। जो आर्डिनरी एप्लिकेशंस ३ रुपये १२ आने की थीं उसको बढ़ा कर ५ रुपया कर दिया गया। यह ५ रुपया तो बढ़ाया जा सकता है जो आर्डिनरी हर एप्लिकेशन पर है लेकिन ५० रुपये उसको नहीं किये जा सकते। इस वजह से उन्होंने यह अपील एलाऊ की और गवर्नमेन्ट के खिलाफ फैसला दिया और यह फैसला हुआ था जहां तक मुझे याद है हाईकोर्ट के बन्द होने के दो-तीन दिन पहले, फिर हाईकोर्ट बन्द हो गया। जाहिर है जब छुट्टियां होती हैं तो रिट एप्लिकेशंस हाईकोर्ट में नहीं जातीं, लेकिन जब हाईकोट खुलता है तो बड़ी तादाद में ढाई महीने की रिट एप्लिकेशंस वहां दाखिल होती हैं इसलिये यह खयाल हुआ कि इस फैसले के बाद अगर इस कानून को नहीं बदलते हैं तो लेजिस्लेचर की जो मंशा है कि पहली अप्रैल से रिट एप्लिकेशंस पर ५० रुपया फीस हो जाय वह मंशा पूरी नहीं होगी। हमको यह खयाल हुआ कि नहीं करेंगे तो गालिबन माननीय सदस्य यह एतराज करेंगे कि इस हमारी मंशा के बावजूद पहली अप्रैल से फीस बढ़ जाय हाईकोर्ट का ऐसा फैसला होने पर उसके खिलाफ आपने कोई कार्यवाही नहीं की। चुनांचे उसी गरज को पूरा करने के लिये जिसे इस माननीय सदन ने पहले जाहिर कर दी थी लेजिस्लेशन पास करके कि रिट एप्लिकेशंस पर ५० रुपया कोर्ट फीस होगी—यह आर्डिनेन्स प्रोमुलगेट किया गया और यह लागू हुआ।

अब जहां फीस बहुत ज्यादा है इस पर एतराज हुआ। मुझे इस पर कुछ ज्यादा नहीं कहना है। जाहिर है कि यह आर्डिनन्स एक मुद्दत तक लागू रहेगा और उसके बाद एक बिल

आयेगा तो बिल को मंजूर करना या नामंजूर करना इस सदन के माननीय हमने न्याय के लिये सदस्यों को अधिकार होगा । लेकिन यह खुली हुई बात है कि जो कहा गया कि बिलकुल दरवाजा बन्द कर दिया तो वाक्या यह है कि जितनी रिट एप्लिकेशंस फाइल होती हैं उनमें से १०–१५ फीसदी से ज्यादा मंजूर नहीं होती । ज्यादातर खारिज हो जाती हैं जो बेकार होती हैं । तो जाहिर है कि जो ऐसी एप्लिकेशंस दाखिल करेगा तो उनका खर्चा उसको देना होगा । लेकिन अगर उसकी एप्लीकेशन ऐसी है कि वह मन्जूर करने के काबिल है तो ओरिजिनल भार चाहे उस पर पड़ता हो, लेकिन जब कास्ट लगाई जाती है तो फरीकसानी उसको अदा करता है। तो यह कहना कि इतनी फीस लगा कर हम लोगों का अधिकार छीन रहे हैं या एक बाधा डालना चाहते हैं, सही नहीं है इसी सिलसिले में यह भी अर्ज कर दूं कि हम ही ने यह कोई अनोखी बात नहीं की है जहां तक मुझे मालूम है आन्ध्र प्रदेश में रिट एप्लीकेशन की फीस १०० रुपये है और वह वहां पर लागू है और कोई बहुत ज्यादा एतराज भी सुनने में नहीं आया, कम से कम अखबारों में नहीं आया । यह जो किया गया वह इसीलिये कि जो बहुत ज्यादा तादाद फ्रिवोल्स एप्लीकेशन्स की होती है वह कुछ हद तक रुक जायगी वरना अगर किसी का लेजिटिमेट राइट इन्फ्रिन्ज होगा तो यकीनन उसके लिये ५० रुपये मोहय्या करना कोई बड़ी चीज नहीं है । वैसे तो १ रुपया भी फीस हो तो उसे कही जा सकती है, लेकिन जहां तक हमारे देश में कोर्ट्स का ताल्लुक है उसके लिये फीस मुकर्रर करना कोई गलत चीज नहीं है । तो इस बात पर एतराज करना कि न्याय बिल्कुल मुफ्त क्यों नहीं है कम से कम ये सब बहसें इस स्टेज पर बिल्कुल इर्रेलीवेन्ट हैं ।

इन चन्द अल्फाज के साथ मैं यह अर्ज करूंगा कि यह जो अननुमोदन का रेजोल्युशन आया है इसमें किसी किस्म का फोर्स नहीं है और मुझे यकीन है कि हाउस इसे मन्जूर नहीं करेगा ।

*श्री जरगाम हैदर––श्रीमन्, जिन लोगों ने हमारे इस प्रस्ताव का समर्थन किया उनका और जिन लोगों ने इसकी मुखालिफत की उन सब का मैं बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने तस्वीर के दोनों रुख इस सदन के सामने रख दिये, जिससे सदन को यह बात बहुत वाजह हो गयी और आसानी के साथ फैसला किया जा सकता है कि आया इस आर्डिनेन्स को पास किया जाय या नहीं । माननीय मंत्री जी ने जो बातें इसके जवाब में कहीं उसमें एक बात उन्होंने यह कही कि जो इस तरफ से यह बात कही गयी कि चूंकि असेम्बली का सेशन बुला लिया गया था इसलिये आर्डिनेन्स गलत जारी हुआ, अगर मंत्री जी की मुराद इससे यह है कि इधर के लोगों का यह मतलब था कि माननीय राज्यपाल को आर्डिनेन्स जारी करने का अख्तियार नहीं था तो यकीनन ऐसी बात नहीं है। मक्सद सिर्फ यह था कि जब असेम्बली का सेशन इतने करीब था और आपने खुद उसकी तारीख मुकर्रर कर दी थी तो उस वक्त कोई एक्स्ट्राआर्डिनरी इमर्जेन्सी नहीं रह गयी थी जिसकी वजह से बगैर आर्डिनेन्स जारी किये हुये बहुत ज्यादा नुकसान हो जायगा । सिर्फ १४–१५ रोज का फर्क था । तो इतने दिनों में कोई जमीन आसमान नहीं फट जाता, कोई इन्कलाब ऐसा नहीं आ जाता कि जिसके बगैर आपकी सरकार का काम बिल्कुल रुक जाता ।

दूसरी बात जिसका उधर से तजकिरा किया गया वह यह है कि १०–१५ फीसदी से ज्यादा रिट्स मन्जूर नहीं होती । इस सिलसिले में मुझे यह निवेदन करना है कि रिट्स दो किस्म की होती हैं । एक तो बिल्कुल साफ और वाजह है कि इसलिए होती हैं कि जो एक नाजायज काम होने वाला होता है उसमें जो एक इंटेरिम स्टे-एलाऊ होता है उसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जरगाम हैदर]

वजह से बहुत बड़ा इन्साफ और बहुत बड़ी तकलीफ जो किसी शख्स को होती है वह रुक जाती है। मिसाल के लिये जैसे आपका लैंड एविक्शन ऐक्ट था जिसके जरिये से हजारों काश्तकार नैनीताल, रामपुर, तराई भाबर के इलाके में आप एविक्ट करना चाहते थे।

इस ऐक्ट को रोकने के लिये, नोटिसेज दिये, लोगों ने रिट दाखिल किये और टेम्पोरेरी इंजेक्शन्स की दरख्वास्तें दी गईं कि जब तक फैसला न हो जाय तब तक इस आर्डर का निफाज न हो। अगर रिट्स दाखिल न होती तो कितना नुक्सान हो जाता। अब यह नजीर देना कि ९० परसेंट रिट्स खारिज हो जाया करती हैं इसलिये कोर्ट फीस लगा दी जाय यह कहां का करीने इंसाफ है।

हमारे मंत्री जी ला मिनिस्टर रह चुके हैं और इसके अलावा हमारे सूबे के एक नुमायां वकील भी रह चुके हैं। वह जानते हैं कि जो क्रिमिनल अपील गवर्नमेन्ट की तरफ से दाखिल होती हैं उसमें हमारे मिनिस्टर साहब इस बात को मंजूर करेंगे कि ९५ फीसदी अपील उनमें से खारिज हो जाती हैं। मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या इसके माने यह हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की इस दफा को ही निकाल दिया जाय या गवर्नमेन्ट की अपीलों के दाखिल होने के लिये कोर्ट फीस लगा दी जाय या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेन्डमेन्ट कर दिया जाय कि स्टेट अपील खारिज हो जाती हैं लिहाजा यह जरूरी है कि एक्यूज्ड पर कोई फाइन किया जाय।

अभी परसों की बात है कि एक सवाल पैदा हुआ था उसमें एक स्ट्रिक्चर मुल्ला का पढ़ा गया था जिसमें लिखा था कि अगर कानून में स्टेट को पैनेलाइज करने का प्रविजन होता तो हम जरूर पैनेलाइज करते। हम पूछना चाहते हैं कि महज इस बिना पर कि रिट्स का आपके माफिक फैसला नहीं होता है इसलिये कोर्ट फ़ीस बढ़ा दी जाय यह कहां का इंसाफ है? फिर जैसा कि कहा गया है। वह एक बुनियादी उसूल पर कहा गया है। उसका बुनियादी उसूल यह है कि हमको स्पीडी और चीप रिमेडी मिल जाय। श्रीमन्, हम अपनी बात की तरफ ध्यान नहीं दिलाते हैं और हम कहते हैं कि मंत्री जी हमारी बात पर ध्यान न दें। लेकिन वह इस पर ध्यान दें कि ला कमीशन नें रिपोर्ट दी थी कि रिट पैटिशन्स पर जो नामीनल फी ३ रुपये १२ आने थी उसके लिये यह रिकमेंड किया था कि इनकी नामिनल फी होनी चाहिये। यह जो ३ रुपये १२ आने फीस थी उसके मुताल्लिक उसकी यह राय थी कि यह काफी है। लेकिन मंत्री इसका कोई जवाब नहीं देते हैं।

दूसरी चीज यह है कि स्पेशल अपील प्रिफर कर रखी है जब कि मामला सबजूडिस है ..

**श्री उपाध्यक्ष**—उन्होंने इत्तला दी है कि अपील नहीं की है।

**श्री जरगाम हैदर**—श्रीमन्, इसमें लिखा है।

**श्री सैयद अली जहीर**—इसमें स्पेशल अपील हुई है।

**श्री जरगाम हैदर**—श्रीमन्, एक स्पेशल अपील की गयी है जो कि हाई कोर्ट के रूल्स के मुताबिक बेंच में पेश होगी। कल मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि कम्प्लेंट फाइल हो गई है इसलिये इंक्वायरी रोक दी गई है। उसी की बिना पर मैं कहता हूं कि जब मामला सबजूडिस है तो आप ऐसी सूरत में क्या कानून बना सकते हैं? यह देखने की चीज है कि आप कोर्ट फीस बढ़ा सकते हैं या नहीं और जब आप नहीं बढ़ा सकते हैं तो आप ने आर्डिनेन्स इश्यू क्यों किया। जब आपको काम करने का अखतियार नहीं था तो नहीं करना चाहिये था। दूसरी तरफ हाई कोर्ट में मामला है और आपने आर्डिनेन्स इश्यू कर दिया है यह कहां का इंसाफ है। आप आर्डिनेन्स इश्यू नहीं कर सकते। उसी तरीके के मुताबिक होना चाहिये। स्टेट को कोई एक्स्ट्रा आर्डिनरी प्रिविलेज नहीं होना चाहिये। मंत्री जी ने कोई खास बात जवाब में नहीं कही इसलिय मैं फिर रिक्वैस्ट करता हूं कि इस आर्डिनेन्स को नामंजूर कर दिया जाय।

**श्री सैयद अली जहीर**—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ यह अर्ज करना है कि लेजिलेचर का फंक्शन और हाई कोर्ट का फंक्शन बिल्कुल अलग-अलग है। हमारा यह फंक्शन है कि हम कानून को बनायें। उनका फंक्शन है कि जैसा कानून हो उसका निफाज करें। आपने देखा कि हमने कानून बनाया। एक हाई कोर्ट के जज की राय है कि उसमें कोई लेकुना रह गया है। हम उसको रफा कर रहे हैं। यह दूसरी बात है कि हमने उसी के साथ-साथ अपील भी किया है। हम यह समझते हैं कि शायद एक जज का जो फैसला है, उस पर बेंच की यह राय हो कि वह फैसला सही नहीं है, लेकिन वह दूसरा मामला है। किसी किस्म का इंटरफियरेन्स उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं है। जहां तक एक जज का फैसला है वह हमारे लिये बाइंडिंग है और जब तक हम अपने कानून को न बदलें हम बाउंड हैं। हम पूरी रेस्पेक्ट हाई कोर्ट को पे करते हैं। उनको ध्यान में रखते हुए हमने यह किया है कि अगर किसी किस्म का लेंकुना रह गया है तो उसे आर्डिनेन्स के जरिये से रफा कर दें। यह सिम्पिल प्रासेस है। कोई बात सबजूडिस की नहीं है जिसका उन्होंने हवाला दिया। वह बिलकुल एक मुख्तलिफ चीज है। जैसा मैंने अर्ज किया कोई बहुत ज्यादा फीस बढ़ायी नहीं गयी। बाज सूबों में पचास नहीं बल्कि १०० रुपये इसी तरह के रिट पेटिशन्स पर है। हम ने सिर्फ ५० रुपये ही किये हैं। इसमे कोई ज्यादती नहीं कही जा सकती।

**श्री उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि यह सदन कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९५९ का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

## उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ के अननुमोदनार्थ संकल्प

**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अध्यादेश, १९५९ का अननुमोदन करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, संविधान की धारा २१३ के अन्तर्गत राज्यपाल को इस बात की सुविधा प्राप्त है कि जिस समय सदन सत्रावसान में हो तो वह कोई ऐसा अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिसकी वह आवश्यकता समझते हों। लेकिन उसी धारा में जो शब्दावली है वह भी इस बात का संकेत करती है कि वह कौन-कौन सी परिस्थितियां हैं जब इस तरह का कोई अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। उसमें कहा गया है "कि ऐसे समय को छोड़कर जब कि राज्य की विधान सभा तथा विधान-परिषद् वाले राज्य में विधान मंडल के दोनों सदन सत्र में हों यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जाय कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिए उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों।" तो मान्यवर, जिस अध्यादेश के संबंध में यह अननुमोदन का प्रस्ताव है उसके संबंध में सब से पहले इस बात की आवश्यकता है कि यह देखा जाय कि क्या वह अध्यादेश जिन परिस्थितियों में निकाला गया, वह परिस्थितियां अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए औचित्यपूर्ण थीं, और उसके साथ ही साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि हम इस पर भी विचार करें कि क्या वह सामयिक था?

मान्यवर, इस अध्यादेश को प्रख्यापित करते हुए यह बताया गया कि वित्तीय वर्ष १९५९–६० के बजट भाषण में यह घोषित किया गया था कि औद्योगिक प्रयोजनों के लिए खपत में आने वाली बिजली पर १ अप्रैल, १९५९ से विद्युत शुल्क नहीं लिया जायगा। उपर्युक्त घोषणा को कार्य रूप में परिणत करने के लिए उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ का संशोधन करना आवश्यक था। विधान मंडल के समक्ष इस अधिनियम का संशोधन रखने के पूर्व ही विधान मंडल का सत्रावसान हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि १ अप्रैल, १९५९ के बाद भी बिजली

[श्री भगवती सिंह विशारद]

के औद्योगिक उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क लिया जाता रहा जिसके कारण उद्योगपतियों में काफी रोष (रिसेंटमेंट) की भावना उत्पन्न हुई। अतएव, बिजली की औद्योगिक खपत पर विद्युत शुल्क का लिया जाना समाप्त करने के निर्णय को तुरन्त कार्यन्वित करना इष्टकर समझा गया। इस उद्देश्य की पूर्ति उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अध्यादेश, १९५९ प्रख्यापित करके की गई। तो मान्यवर, जो इसमें कारण दिया गया, वह यह बताया गया कि वित्त मंत्री जी जिस समय अपना ५९–६० का बजट भाषण दे रहे थे तो उन्होंने यह संकेत किया था कि औद्योगिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बिजली पर जो एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ली जाती है उससे उद्योगतियों को मुक्त करना है और उसके लिए जिस समय यह सत्र चल रहा था कोई संशोधन अधिनियम न आ सका, इसलिए यह अध्यादेश निकाला गया। मान्यवर, १ अप्रैल से इसको लागू करना था और हम २ अप्रैल तक इस सदन में बैठकर काम करते रहे, तो अगर उनको एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के शुल्क से मुक्त करना था तो २ तारीख को भी हम इस तरह का कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते थे, सरकार इस तरह का कोई विधेयक तब तक ला सकती थी और खास तौर से जबकि यह बताया गया कि वित्त मंत्री जी ने जब अपना बजट भाषण दिया था तो उन्होंने इसका संकेत किया था।

मान्यवर, आपको भी और इस सदन को भी अच्छी तरह से ज्ञात है कि वित्त मंत्री जी ने १३ फरवरी, १९५९ को अपना बजट प्रस्तुत किया था और उस समय से वह उनकी जानकारी में था बल्कि उससे कुछ समय पहले से भी उनकी जानकारी में यह हो सकता हो। तो १३ फरवरी से २ अप्रैला तक ऐसी कोई कार्यवाही की गई जिससे कि कोई संशोधन विधेयक यहां पर प्रस्तुत किय जाता? और उसके बाद २ अप्रैल से ६ जुलाई तक इस बात की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई कि इस तरह का प्रबन्ध किया जाय जिससे औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिये जो बिजली इस्तेमाल की जा रही है और उसके ऊपर जो ड्यूटी ली जा रही है उससे उद्योगपतियों को मुक्त किया जा सके। लेकिन उसके लिये ७ जुलाई को एक आर्डिनेन्स लागू कर दिया गया। जब कि २७ जुलाई से सदन बैठने वाला था। मान्यवर, अभी सदन में कुछ पहले कोर्ट फीस के संबंध में प्रख्यापित अध्यादेश के संबंध में चर्चा हो रही थी। उस पर बहस हुई। अभी उसकी प्रतिध्वनि यहां पर गूंज रही है। अभी यह बताया गया कि हमको कोर्ट फीस से बहुत लास हो रहा था उस लास को पूरा करने के लिए यह अध्यादेश लागू किया गया है और दूसरी तरफ एक दूसरा अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है। उसमें यह कहा जाता है कि पूंजीपतियों के रोष से उत्पन्न भावना का आदर करते हुये यह आर्डिनेन्स लागू किया गया। बड़े खेद की बात है कि हमारी सरकार को पूंजीपतियों के रोष का इतना आदर करने की आदत पड़ती जा रही है। एक तरफ प्रदेश की जनता परेशान है और दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार उनके रोष का आदर करने के लिये ऐसा अध्यादेश जारी कर देती है जिससे १, २ नहीं लाखों और करोड़ों रुपये का रेवेन्यू पर असर पड़ेगा।

मान्यवर, इस अध्यादेश में इस बात की सुविधा प्रदान की गई है कि ऐसे तमाम उद्योग धन्धे जो कि यहां पर चलते हैं उनको एक शिड्यूल में शामिल कर दिया जाय और उस शिड्यूल में शामिल करने का तात्पर्य यह होगा कि उनके ऊपर बिजली की ड्यूटी चार्ज नहीं की जायगी अगर उस शिड्यूल को देखा जाय तो उसमें १६४ चीजें हैं और लगभग ३८ तरह के कल कारखाने हैं। अगर इन कल कारखानों में बनने वाली चीजों को देखा जाय तो उसमें ऐसी बहुत कम चीजें हैं जिनका जन साधारण के लिए कोई प्रयोजन हो। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लगजरी गुड्स ने आती हैं। ऐसी चीजों के बनाने वाले उद्योगपतियों को बिजली की ड्यूटी से मुक्त करना कुछ समझ में नहीं आता। उसी बात को अधिनियम में प्रोवाइड करने के लिये यह आर्डिनेन्स जारी किया गया। पहले जब यह अधिनियम यहां पर पारित किया गया था तो उसको प्रस्तुत करते हुए

हमारे वित्त मंत्री ने उस समय भी कुछ कारण बताये थे। अगर उन कारणों को आज देखा जाय तो बड़ा ही दिलचस्प मामला प्रस्तुत होगा। उस समय उन्होंने यह कहा था कि :

"The minimum programme of development which this State must carry out within the next three or four years for the attainment of the objective of a Welfare State is set out in the Five-Year Plan drawn up by the Planning Commission. This Plan provides for an expenditure of 13.58 crores of rupees on power development projects. Such a huge expenditure cannot be met from our present resources. It is however, essential for the welfare of the people that the expenditure should be incurred and that nothing should be allowed to stand in the way of the progress of the plan. Additional resources have therefore to be found, the bulk of which can be raised only by means of fresh taxation.

A tax on the consumption of electrical energy will impose a negligible burden on the consumer and is a fruitful source of additional revenue. The Bill has been so prepared as to ensure that the tax payable by a person will be related to the quantity of electricity consumed by him. The Bill is being introduced with the above object."

मान्यवर, सन् १९५२ में प्लानिंग का काम प्रारम्भ हुआ उसको पूरा करने के लिये और उसको आगे बढ़ाने के लिये इस सरकार ने यह एलेट्रिसिटी ड्यूटी बिल यहां पर पेश किया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आज हमारे प्रदेश में जो नियोजन का कार्य चल रहा है वह सब पूरा हो गया है ? मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या अब नियोजन के कार्यों के लिये धन की आवश्यकता नहीं रही है ? मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि जो एलेक्ट्रिसिटी के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लगने वाले थे क्या वह सब के सब पूरे हो गये हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से इस तरह से बड़े-बड़े उद्योगों को मुक्त करने के बाद सरकार के पास कोई नया रिसोर्स इस तरह का पैदा हो गया है कि अब वह उससे इस कमी को पूरा करेगी ? मैं यह भी सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इस एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से बड़े-बड़े उद्योगों को मुक्त करने के बाद जब जन-साधारण के ऊपर कोई नया टैक्स वह लगाने जा रही है ? यह हमारी शंका है और मैं समझता हूं कि यह सही है कि कोई न कोई टैक्स इस मुक्ति के बाद जनसाधारण पर जरूर लगेगा।

मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि आज से करीब ६ महीने पहले या इससे कुछ अधिक समय हुआ हो, यहां पर एलेक्ट्रिसिटी के चार्ज को वसूल करने के सिलसिले में १९५२ के ऐक्ट में एक संशोधन पेश हुआ था और जिसमें यह कहा गया था कि इस प्रदेश के बहुत से ऐसे उद्योगपति और दूसरे लोग हैं कि जो ऐलेक्ट्रिसिटी चार्ज तथा एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का सही सही भुगतान नहीं कर रहे हैं और उसकी वसूली के लिये सरकार को इस बात की आवश्यकता है कि उसके हाथ में इस तरह के अधिकार दिये जायं कि वह लैन्ड रेवेन्यू की तरह उसको वसूल कर सके। और उस समय जानकारी करने पर मालूम हुआ था कि प्रदेश में लगभग २७ लाख रुपया उद्योगपतियों पर ऐसा बाकी है कि जो एलेक्ट्रिसिटी तथा एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के अन्तर्गत आता है और उसका सही सही भुगतान नहीं हो रहा है और उसकी वसूली के लिये ही सरकार इस तरह का संशोधन कर रही है। मान्यवर, आज तो हमें बड़ा अचम्भा हो रहा है। क्या सरकार ने उस ड्यूटी की वसूली के लिये जो अख्तियार लिये थे उनका इस्तेमाल किया ? २७ लाख रुपया, जो अब तक बढ़ते बढ़ते उससे दुगना और तिगुना हो गया होगा, वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कोई कार्यवाही की ? जो अधिकार हमने दिये थे इसने उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया ? और अब इस अध्यादेश के द्वारा एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को निःशुल्क करने जा रहे हैं बड़े-बड़े उद्योगों के ऊपर से, तो

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

मान्यवर, एक अधिकार अपने हाथ में लेकर, उसका उपयोग करने क बजाय इस प्रकार की छूट देना, यह बात मेरी समझ में नहीं आती ।

मान्यवर, एक तरफ तो यह कहा गया कि हम इस तरह का काम इसलिये कर रहे हैं कि हम प्रदेश में बड़े-बड़े उद्योगों को फैलाना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो बड़े-बड़े उद्योग-पति है, पूंजीपति हैं, जब वह पैसा नहीं देते, जब वह पैसा न देने की हठधर्मी करते हैं और सरकार के सामने अपना रोष प्रकट करते हैं तो सरकार कहती है कि हम इस ड्यूटी से तुमको मुक्त कर देंगे । तो इस तरह से न हमारे प्रदेश का औद्योगीकरण हो सकता है और न कोई काम प्लानिंग का चल सकता है । एक बार किसी खास टैक्स को लगा कर किसी खास लोगों के कहने से उसे वापस लिया जाय और उसके लिये दूसरी तरफ गरीब लोगों को टैक्स किया जाय, यह बात उचित नहीं है ।

मान्यवर, इसी अध्यादेश में एक गुंजायश रखी गयी है । जिन उद्योगों का हवाला दिया गया है, उतना ही काफी नहीं है । सरकार अगर यह समझती है कि कोई उद्योग बाकी रह गया है, जिसका किसी खास उद्योगपति से ताल्लुक है, तो उसके लिये भी वह अपने हाथ में अधिकार रखना चाहती है कि आवश्यकता पड़ने पर वह उसको भी शेड्यूल में शामिल कर सके । इसलिये इस बात की गुंजायश इस आर्डिनेन्स के द्वारा रखी गयी है कि इस सूची में अन्य उद्योग-धंधों को सरकार बढ़ा सकती है, लेकिन गृह उद्योगों के नाम पर दूसरे उद्योगों को इसमें शामिल करने का बहाना लिया जा रहा है । आवश्यकता इस बात की थी कि जहां शेड्यूल में १६४ उद्योग इस तरह के शामिल किये गये थे वहां पर सरकार का यह कर्त्तव्य था कि वह उस शेड्यूल में गृह-उद्योग-धंधों से बनने वाली चीजों का हवाला देती । लेकिन उसने कोई हवाला उनका नहीं दिया और उनके नाम पर वह एक ऐसी शक्ति अपने हाथ में लेना चाहती है कि चाहे जिस समय उनके नाम पर या उनके सहारे दूसरे उद्योगों को वह इस सूची में शामिल कर दे ।

मान्यवर, अभी तक एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऐक्ट जो प्रचलित है उसके अनुसार बिजली कम्पनी को, जिसको सरकार ने लाइसेंस दे रखा था, उसके ऊपर इस बात का उत्तरदायित्व था कि वह एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी सरकार को अदा करे, लेकिन जैसा कि मैंने प्रारंभ में निवेदन किया कि पूंजीपतियों का दबाव सरकार पर दिन-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है और उसी के कारण सरकार अब इस अध्यादेश के द्वारा यह संशोधन भी करने जा रही है कि अब बिजली कम्पनी की जिम्मेदारी नहीं होगी कि बिजली का शुल्क वह अदा करे । अब इसमें यह शब्द जोड़ा जा रहा है कि कंज्यूमर से लेकर अदा करेगी । अभी तक बिजली कम्पनी पर यह बन्धन था कि चाहे कंज्यूमर एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी दे या न दे, लेकिन वह अवश्य सरकार को बिजली शुल्क अदा करेगी । लेकिन इस अध्यादेश में एक संशोधन लगाकर इस बात की गुंजायश पैदा कर दी गयी है कि अब बिजली कम्पनी तभी अपना बिजली शुल्क अदा करेगी जब वह कंज्यूमर से वसूल कर लेगी । तो इस प्रकार जो यहां पर अध्यादेश प्रस्तुत किया गया है और जिसके अननुमोदन का प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है उसके औचित्य को संक्षेप में सदन के आदरणीय सदस्यों के सामने प्रकाश में लाया । मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य इन सब चीजों को ध्यान से देखेंगे और जो मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको अवश्य स्वीकार करेंगे ।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो मैं भी मानता हूं कि यदि कुछ ज्यादा सावधानी बरती गयी होती तो अप्रैल तक जब कि सत्र समाप्त हुआ, इस विषय में विधेयक आ सकता था और कदाचित् इस आर्डिनेन्स की आवश्यकता न पड़ती, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ माननीय सदस्य की उन दलीलों को सुनकर जो उन्होंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अननुमोदन के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय दीं। आज हमारे प्रदेश में जो मौलिक प्रश्न है वह यह है कि हमारे प्रदेश की उन्नति के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए इंडस्ट्रीज को किस तरह से बढ़ाया जाय। आज मैं समझता हूं, चारों तरफ से यह मांग है और सही तौर से कहा जाता है कि हम इंडस्ट्रीज की दौड़ में, प्रगति में दूसरे प्रदेशों से पीछे हैं। हमारे बराबर के प्रदेश पंजाब में भी हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज की प्रगति हमारे यहां से तेजी से हो रही है। इसका एक मात्र कारण यह है कि सरकार की ओर से उतना उत्साह इंडस्ट्रीज को नहीं मिल सका जितना कि मिलना चाहिए था। तो मैं तो यह समझता था कि जब एक ऐसा प्रस्ताव सदन के सामने आयेगा जिसके द्वारा किसी भी मात्रा में इंडस्ट्रीज को सुविधा देने की बात होगी तो उसका तो चारों ओर से स्वागत होगा ही। कहा गया कि अभी कोर्ट फीस के बारे में बात होते समय सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि सरकार अगर ऐसा आर्डिनेन्स न लाती तो कुछ रुपया जो वसूल किया जा सकता था वह वसूल न होता। यहां तो रुपया छोड़ने की बात थी। इस दलील को भी मैं नहीं समझा। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, न्यायोचित बर्ताव ही तो होना चाहिए। अगर लेने की बात है तो वहां पर भी वही कर्त्तव्य प्रेरणा देता है और जहां छोड़ने की बात है वहां पर भी वही उसूल सामने रहने चाहिए। प्रश्न तो मौलिक यह है कि इस माननीय सदन का जो फैसला है उसको कार्यान्वित करने की सरकार जिम्मेदार है। इस माननीय सदन का फैसला था कि यह छूट दी जाय और उसको कार्यान्वित करने की उसकी जिम्मेदारी थी और उसको जो संकेत दिया गया था उसके अनुसार वह अवश्य कार्य करती। इसलिए मैं समझता हूं कि यह छूट पहली अप्रैल से किसी भी नियम द्वारा करना तो आवश्यक था ही।

दूसरे, श्रीमन, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि आज जो मैं अभी कह रहा था इंडस्ट्रीज की तरक्की की दौड़ के बारे में, इसकी जो लिस्ट सामने है इससे यह कहा जाय कि यह तो बड़े-बड़े उद्योगों को केवल छूट देने की बात है, लेकिन अगर इस लिस्ट को देखा जाय तो यह चिल्ला-चिल्ला कर बता सकती है कि ये वह उद्योग हैं जिनका जन साधारण से संबंध है।

श्रीमन्, इसमें एक शब्द उद्योगपति इस्तेमाल हो गया है, जो उद्देश्य दिये गये हैं उसमें, कदाचित उससे बड़ी परेशानी पैदा हो गई। मैं तो समझता हूं कि एक दफा यह बात तय हो जाय इस सदन में कि औद्योगीकरण के बारे में हमारी क्या नीति है। अगर अपने प्रदेश में उद्योगों को सहारा देना है, प्रोत्साहन देना है तो उद्योगपति शब्द तो जहां उद्योग शब्द इस्तेमाल होगा वहां यह भी प्रयोग किया जायगा। अगर उद्योगों को सहारा देना है तो उद्योगपति को भी सहारा देना पड़ेगा। जैसा कि माननीय नेता सदन ने उस दिन कहा था कि हम उद्योगपति शब्द से हर वक्त चौंके नहीं, बल्कि उस शब्द को निकाल कर उद्योग का शब्द रखना चाहिए। प्रश्न यह है कि आज आप क्या निश्चय करना चाहते हैं। आपके प्रदेश में १६८ चीजें बनाने वाले जो उद्योग हैं, ३८ जिनके वर्गीकरण हैं, उनको रेलीफ मिले या नहीं। मैं तो समझता हूं कि जो उद्योग आपके प्रदेश में पनप रहे हैं उनको आंध्र की सरकार ज्यादा सहूलियत देने के लिये तैयार है, पंजाब की सरकार ज्यादा सहूलियत देने के लिये तैयार है। आज आपके प्रदेश में जो उद्योग स्थापित हैं उनके सामने यह प्रश्न है कि वह आपके प्रदेश में उद्योग चलायें या दूसरे प्रदेश में चलायें। अगर सरकार की नीति में परिवर्तन न हुआ और उनका उत्साह नहीं बढ़ाया गया तो ऐसी स्थिति आयेगी कि हमारे यहां के उद्योग बार्ड्र्स की तरफ खसकने लगेंगे।

इस दृष्टिकोण से मैं इसका स्वागत करता हूं कि एक अप्रैल से यह छूट देना, जोकि इस माननीय सदन की मंशा थी, उसको लाने में कदाचित देर हुई और यह पहले आ सकता था, लेकिन इसलिये अननुमोदन का प्रस्ताव लाना कि इसका आमूल विरोध किया जाय, इससे मुझे विस्मय हुआ और इस समय इसका विरोध करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्तमान उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अध्यादेश, १९५९ में दो तीन बातें कही गई हैं। एक तो मंत्री जी का यह कहना है कि औद्योगिक खपत में जितनी बिजली लगती है उस पर से वह शुल्क हटाना चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने यह फर्माई है कि उद्योगपतियों को बहुत बड़ा रोष हो गया है, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने इसी वर्ष के बजट भाषण में यह कहा था कि एक अप्रैल, १९५९ से यह शुल्क हटा दिया जायगा, लेकिन अब तक न हटाने से बहुत बड़ा रोष पैदा हो गया है पूंजीपतयों में। इन कारणों को देखते हुए माननीय मंत्री जी ने और सरकार ने राज्यपाल को यह सलाह दी कि अविलम्ब इस अध्यादेश को निकालना चाहिये।

जैसा कि हमारे साथी भगवतीसिंह जी ने भी कहा कि इस सदन में बार बार आया है कि कानपुर के पूंजीपतियों ने जिस बिजली को कन्ज्यूम किया है, इस्तेमाल में लाये हैं उन पर २७ लाख से ज्यादा बकाया है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि यह कानून बने कि जिस तरह से मालगुजारी की वसूली होती है बजरिये कुर्की या वारन्ट उसको वसूल किया जाय, लेकिन उसका आज तक कोई नतीजा नहीं निकला।

अग्रवाल जी ने फर्माया कि बड़ा भ्रम हो रहा है उद्योगपति कहते हैं, उद्योग शब्द कहना चाहिए। श्रीमन्, मैं अग्रवाल जी से सिद्धान्त की बात कहना चाहता हूं कि जब तक कन्टेन्ट न बदले, खाली नाम बदल देने से कुछ नहीं होता है। चाहे राम तेल कहिये या नारायण तेल, चाहे बोतल में गंगा जी का पानी ही वैद्य जी की दुकान में क्यों न हों, नाम बदल देने से बुनियाद नहीं बदल सकती। आप पहले तत्व को बदलें। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह शेड्यूल में जो छूट दी गई है प्राइवेट सेक्टर की बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज को बिजली के सामान के लिये क्या उसका मुनाफा पब्लिक सेक्टर को होगा? यह छूट पब्लिक सेक्टर में दी जा रही है या प्राइवेट सेक्टर में? मैं माननीय अग्रवाल जी को और सदन के माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि किसी समय नेता सदन ने इस सदन में कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह जो प्राइवेट उद्योगपति हैं वह मुनाफे की प्रवृत्ति रखते हैं और मुनाफा चाहते हैं। मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ माननीय मुख्य मंत्री जी से ऐसी बात सुनकर। मुझे साहू केमिकल में जाना हुआ। शान्तीप्रसाद जैन ने मुझसे कहा कि ३२–३३ लाख रुपये का लोहा ब्लेक मार्केटिंग से लेकर लगाया लेकिन अगर उनको इस समय खरीदना पड़ता तो ५०, ६० लाख का खर्चा ज्यादा करना पड़ता। अब इस मुनाफे का पैसा किसको जायगा। सरकार के पास तो आने वाला है नहीं। अगर कुछ सहूलियत आज दी जाती है तो वह प्राइवेट सेक्टर को जायगी, जो नहीं जानी चाहिए। अगर आपको कुछ करना था तो इस सदन के सामने विधेयक लाना था, आदरणीय सदन बैठने वाला ही था, उस समय माननीय सदस्यों को उनके बारे में कहने का मौका मिल जाता। इस प्रकार से हिन्दोस्तान के पूंजीपति जो पहले से ही खा-खा कर मोटे हो रहे थे, खून चूस रहे थे, उनको और खिला देने की क्या जरूरत हुई। इसलिये मैं अग्रवाल जी के भाषण को समझ नहीं सका। वह यह कह कर बच नहीं सकते कि उद्योगपति के बजाय अगर उद्योग रख दिया जाता तो ठीक हो जाता।

सरकार को पूंजीपतियों के रोष की बड़ी फिक्र है। बड़ा भरोसा है उनका। इसी रोष के डर से मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि मिल मालिकों पर केन सेस और किसानों के गन्ने का २४९ लाख रुपया बकाया है। ५ करोड़ पहले का कर्जा था। वह सब बकाया चलता चला आ रहा है, वसूली का नाम निशान नहीं। उनकी तो श्रीमन्, यह हालत है। और इधर देखिये सलेमपुर, तेहसील देवरिया में १० अक्टूबर, सन् ५४ को एक आदेश जाता है कि जिन लोगों से ५१, ५२, ५३ की तकावी वसूल नहीं हुई वह रेमिट कर दी जाय। इस तरह से १५४ हजार रुपया रेमिट हुआ। लेकिन डंडे से मार-मार कर माफ की हुई रकम जिला अधिकारी ने वसूल कर लिया और हम जबाब भी

न दे सके। कल मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जबाब दिया था। मेरा प्रश्न था "चंद्रिका पांडेय ग्राम धौला, तहसील सलेमपुर को पकड़ लिया गया जब कि उसकी चाची मर गयी थी और उसके लिये वह कफन लेने जा रहा था।" चाची के लिये कफन न लाने दिया गया। लेकिन माननीय मंत्री जी ने जबाब दिया कि उनकी चाची नहीं वह तो गांव भर की चाची थी। गांव भर की चाची के भतीजों के साथ इस प्रकार का बरताव किया गया। मैं सन् ५० से उत्तर प्रदेश में हूं। मैं स्वयं जानता हूं कि इस कांग्रेस राज में किसानों के ऊपर जैसा डंडा चलाया गया, उतना अंग्रेजों के काल में भी नहीं चलाया गया था। उनके कोई कायदे कानून तो थे। अगर अकाल पड़ा तो उन्होंने फेमीन का कानून बनाया, उसके अनुसार टैस्ट वर्क्स चलाये लेकिन यह सरकार डंडे बरसाती है। लेकिन जो सिद्धान्त किसानों पर यह सरकार लागू करती है वह पूंजीपतियों पर नहीं करती है।

कहा जाता है कि शुल्क इसलिये छोड़ा गया जिससे प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन मिले। मैं अभी इलाहाबाद गया था, मुझे नैनी स्टेट को देखने का मौका मिला। मिस्टर बैश से मुलाकात हुई। उन्होंने बिजली के लिये सन् ५६ में आर्डर दिया था। मशीन उनकी लगी हुई थी, मैंने पूछा कि मशीनें चलती क्यों नहीं है। ३००-३०० रुपया महीना वह किराये के देते हैं लेकिन उनको बिजली अभी तक नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली, उन्होंने वादा किया था कि रिहन्ड डाम से बिजली दी जायगी। रिहन्ड डाम से बिजली देने के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के सामने सफाई दी, लेकिन माननीय विधायक बहुत सी बात भूल गये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि सन् ५४ में सी० बी० गुप्ता साहब ने एग्रीमेंट कर लिया। मैं पूछना चाहता हूं कि सर्विस एरिया को क्यों नहीं छांट दिया गया? मुझे मालूम है कि ५६, ५७, ५८ में सर्विस एरिया का नक्शा छपा है जिसमें इंजीनियर ने लिखा है कि इससे पूरब के १६ जिलों को बिजली मिलेगी, लेकिन इलाहाबाद के लोग बिजली के लिये टाप रहे हैं। पंडित नेहरू के जिले के लोग टाप रहे हैं और उनके लिये बिजली नहीं है। कहा जाता है कि मार्टिन कम्पनी को १ करोड़ रुपया दे दिया गया लेकिन मार्टिन कम्पनी कहती है कि इंडस्ट्रियल स्टेट और प्राइवेट सेक्टर में जयपुरिया फैक्टरी, ई० सी० फैक्टरी तथा और भी कई फैक्टरियां खुल गयीं उनको हम बिजली क्यों दें और कहां से दें जबकि इसके लिये पहले से हमको नोटिस ही नहीं दी गयी थी। कहा यह जाता है कि कारखाने वालों को बिजली १० बजे रात से सुबह के ६ बजे तक मिलेगी। अब यह सोचने की बात है कि कौन कारखाना १० बजे रात के बाद चल सकेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों को बिजली क्यों नहीं मिली? मैं ओबरा को जानता हूं.....

**श्री उपाध्यक्ष**--आपने रिहन्ड के बारे में थोड़ा सा कह दिया। अब सम्बन्धित विषय पर ही बोलें।

**श्री उग्रसेन**--मेरे कहने का मतलब यह था कि बिजली कर में छूट देने के लिये जो यह अध्यादेश जारी किया गया है इससे गरीबों का कोई लाभ नहीं होगा बल्कि इससे तो व्यक्तिगत मुनाफाखोरों का अपना पेट भरेगा। इसलिये मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यह अध्यादेश जो है वह मुनाफाखोरों के लिये जारी किया गया है इसलिये इसको हम नामंजूर कर दें। छोटे मोटे उद्योग पूर्वी जिलों में है तथा पश्चिमी जिलों में भी हैं जिनके लिये सरकार को चाहिये कि वह सस्ती बिजली दे। इस अध्यादेश के द्वारा तो एक वर्ग विशेष को ही फायदा पहुंचने वाला है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सदन इसको बिलकुल ही नामंजूर कर दे। इन शब्दों के साथ मैं श्री भगवती सिंह विशारद के अननुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तावित अननुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, यह अध्यादेश जो आपके सामने है, इसको रखने की आवश्यकता सरकार को कैसे महसूस हुई, इस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह अध्यादेश गजट में ७ जुलाई को प्रकाशित हुआ। ३० जून को हम लोगों के पास सरकार की तरफ से सूचना मिली कि सत्र बुलाने की तारीख महामान्य राज्यपाल ने २७ जुलाई मुकर्रर की है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार को यह जाहिर था और उसी इरादे से हम लोगों को सूचना भी दी थी। ७ दिन पहले उनको जाहिर था कि २७ जुलाई को अधिवेशन बुलाया जायगा। उसके बाद ठीक ७ दिन बाद सरकार की तरफ से अध्यादेश जारी हो गया। क्या इससे भी अधिक और कोई पक्का सबूत हो सकता है कि इस आर्डिनेन्स को जारी करने के लिये सरकार ने अपने मन की बात पूरी कर ली। हमारे विधान में जो स्पष्ट लिखा है उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपका ध्यान संविधान की धारा की तरफ दिलाऊंगा उस में लिखा है कि आर्डिनेन्स का जारी करना तभी सम्भव होगा जबकि विधान सभा के बुलाये जाने की निकट भविष्य में आशा न हो।"

"shall be laid before the Legislative Assembly of the State or where there is a Legislative Council in the State, before both the Houses, and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassembly of the Legislature. Or if before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by the Legislative Assembly and agreed to by the Legislative Council, if any, upon the passing of the resolution or as the case may be, on the resolution being agreed to by the Council".

इससे साफ जाहिर है कि असेम्बली को निकट भविश्य में बुलाने की कार्यवाही करना चाहिये थी परन्तु यहां संविधान की मन्शा के ठीक विपरीत किया गया है। आर्डिनेन्स में जो मन्शा बताई गई है उसमें साफ लिखा है कि सरकार द्वारा बजट में कुछ घोषणाएं की गई थीं और उन को सरकार पूरा करना चाहती थी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि यह बात सही है कि बजट में इस बात की घोषणा थी कि बिजली के स्केल में छूट की जायगी, लेकिन यह भी आप देखें कि यह बजट जो फरवरी में हमारे सामने रखा गया और फरवरी के आखिर तक यह पास भी हो चुका था और पूरा मार्च का महीना हमारे पास था परन्तु उस समय में भी सरकार की तरफ से कोई बिल हमारे सामने नहीं लाया गया। जब यह १ अप्रैल से लागू होने वाला था तो २ अप्रैल से सदन को प्रोरोग करना कौन सी बुद्धिमानी थी। सरकार एक सप्ताह सदन को और बिठा सकती थी क्योंकि पहले से घोषणा भी थी कि सदन २० अप्रैल तक चलेगा, परन्तु उसे न चलाकर २ अप्रैल को बन्द कर दिया गया। इसके माने यह है कि सरकार के सामने निजी कार्यों की अधिक महत्ता है और जो आवश्यक कार्य हैं उनकी कम है। होता यह है कि अनावश्यक समय में असेम्बली प्रोरोग की गई जबकि सरकार को उसका लाना आवश्यक था, उसको न लाकर यह आर्डिनेन्स लाया गया।

अब इसमें इसको लाने की जो आवश्यकता दिखाई गई है कि थोड़े से उद्योगपतियों के विरोध का संवरण करने के लिये यह किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उद्योगपतियों के रोष से सरकार क्यों भयभीत होती है? इसका एक ही कारण हो सकता है कि सरकार को यदा-कदा चुनाव आदि के समय उद्योगपतियों से मदद मिलती है और सब जानते हैं और यह ओपेन सीक्रेट है कि पिछले एलेक्शन में ३० लाख रुपया टाटा कम्पनी द्वारा दिया गया। उसको स्वयं कांग्रेस अधिकारियों ने १० लाख का पाना स्वीकार भी किया था इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक कानून भी लाया जा रहा है कि कोई लिमिटेड कम्पनियों से चुनाव में चन्दा न प्राप्त कर सके। तो उद्योगपतियों की रोष की भावना का संवरण करने के लिये यह लाना पड़ा है यानी सेशन का इंतजार भी न किया जा सका और आर्डिनेन्स ला दिया गया। यह आर्डिनेन्स तो उद्योगपतियों के प्रति सरकार का प्रेम भाव दिखाता है। इसके अलावा इसके अन्दर कुछ और भी बातें हैं। अब आप यह भी देखें कि इस शिड्यूल में विशेष तौर से कंज्यूमर को लाया

गया है। हमारे सामने विचित्र व्यवस्था रखी गई। अभी यही उद्योगपति हमारे सामने इस रूप में आये थे कि २७ लाख रुपया एरीयर था। साथ ही साथ हम इलेक्ट्रिसिटी कानून की इस धारा को भी पढ़ें कि एरीयर्स को सरकार चाहे तो एरीयर आफ लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल कर सकती है। यह दफा ७ है:—

"Any sum due on account of electricity duty, if not paid at the prescribed time and in the prescribed manner, shall be recoverable by the State Government as an arrear of land revenue—"

दफा ७ में यह दिया हुआ है और सरकार ने यह कबूल किया कि २७ लाख रुपया एरियर है, लेकिन उसको वसूल करने की चिन्ता नहीं की। बल्कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स को सुविधा देने के लिये सरकार बहुत चिन्तित है क्योंकि वह रुष्ट हैं। अब इसके साथ ही कंज्यूमर को भी पेशबन्दी में रखना चाहते हैं और कंज्यूमर को रख कर वह चाहेंगे कि यह एरियर किसी दूसरे के मत्थे डाला जाय।

इसके साथ ही एक बात और आश्चर्य की है। इस शिड्यूल में कुछ ऐसी भी चीज रखी गई है जिसको हम कह सकते हैं कि सरकार कहना चाहती है कि काटेज इंडस्ट्रीज के वर्द्धन के लिये हम ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि इसके अन्दर जो दफा ३ नई रखी जा रही है उसमें लिखा हुआ है कि:—

"3-B. (1) The State Government may, where it is of the opinion that, it is necessary or expedient to do so—

(*a*) having regard to the maintenance of supplies essential to the life of the community and development of, or the increase of production or distribution of goods in, a particular industry or class of industries, including a cottage industry; or

(*b*) in the public interest ;

by notification in the official *Gazette*, add to, or delete from, the schedule any such industry, and thereupon the schedule shall be deemed to have been amended accordingly."

मालूम होता है कि इन्हीं छोटी-छोटी दस्तकारियों के हित के लिये सरकार चिन्ता कर रही है। लेकिन इस शिड्यूल में बहुत थोड़े से ऐसे आइटम्स मिलते हैं जो काटेज इंडस्ट्रीज के अन्तर्गत आते हैं। विशेष, वह बिग इंडस्ट्रीज के संबंध में हैं जिसमें बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स ही लगे हुए हैं। तो इस इलेक्ट्रिसिटी के वितरण में यह बड़े-बड़े उद्योगपतियों को जो लाभ या मुनाफा देने में प्रगति हो रही है और इसलिये कि वह क्रोधित न हों, इससे सरकार की मनोवृत्ति दिखाई पड़ती है।

यह अध्यादेश लाना एक बहुत चिन्ता की बात है और हम इसमें यह देखना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हमारे सैकड़ों, लाखों किसानों के प्रति कोई अहितकर चीज होने वाली थी और जिसके निवारण के लिये वह बहुत चिन्तित थी और अध्यादेश लाना पड़ा एक भी किसान या निर्धन इसके साथ लगा हुआ नहीं है। अगर लगे हुए हैं तो उद्योगपति हैं और उसी के निवारण के लिये सरकार ने वह विशेष अस्त्र इस्तेमाल किया है कि जो कि विशेष परिस्थिति में प्रयोग किया जा सकता है, जबकि हमारा सदन न बैठ रहा हो। हमारा सदन होने वाला था और उसकी सूचना थी तब भी यह अध्यादेश लाया गया। मालूम होता है कि यह सरकार इसके लिये बहुत चिन्तित थी। जब हमारे सामने यह विधेयक लाया जाएगा तब हम सारी बातें कहेंगे, लेकिन अध्यादेश के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें चिन्ता विशेष तौर पर सामूहिक जनसमूह के लिये करनी है। यह सरकार उसके विरुद्ध है और कुछ थोड़े से उद्योगपतियों के लिये चिन्ता करके ही यह अध्यादेश जारी किया गया है।

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भाषण मैंने माननीय सदस्यों के सुने, उनमें ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि आध्यादेश क्यों लाया गया, न कि इस बात पर कि ड्यूटी घटाई जा रही है। ड्यूटी के सम्बन्ध में हमें यह देखना है कि उसके

[श्री श्रीकृष्ण गोयल]

घट जाने के बाद जो रेट हमारे यहां एलेक्ट्रिसिटी के होंगे क्या वह अन्य जगहों से कम हैं या ज्यादा। मैं कहूंगा कि ड्यूटी घट जाने में बावजूद हमारे यहां के रेट बम्बई, अहमदाबाद से ज्यादा हैं। आज कम्पटीशन का युग है और उसके अन्दर हम तभी ठहर सकते हैं जबकि हमारे यहां भी सारी चीजें कम्पेटीटिव रेट्स पर लोगों को मिल सकें। उसमें इस चीज पर बड़ा जोर दिया गया है कि बड़ी इंडस्ट्रीज को फायदा होगा और प्राइवेट सेक्टर को फायदा होगा। इसके सम्बन्ध में हमें दो बातें देखनी होंगी। क्या हमारा प्रदेश इस हालत में है कि सारी इंडस्ट्रीज को हम पब्लिक सेक्टर में सफलतापूर्वक चला सकें। मैं समझता हूं कि वह हालत अभी हमारे यहां उत्पन्न नहीं हुई है। एक तो हमारी सरकार के पास इतना रुपया नहीं हैं कि वह सारे उद्योगों को ले सके और न इतना टेक्नीकली ट्रेन्ड स्टाफ ही हमारे पास है कि वह उनको सफलतापूर्वक चला सके। ऐसी सूरत में यह आवश्यक है कि प्राइवेट सेक्टर को भी थोड़ा बहुत इंसेंटिव दिया जाय। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि ऐसा न हो कि बहुत नाजायज फायदा उठा सकें।

जहां तक एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का सवाल है इस सदन में दोनों ओर से कई दफा यह आपत्ति उठाई गई है कि हमारे यहां एलेक्ट्रिसिटी रेट्स और प्रदेशों से ज्यादा है। अगर सरकार ने काटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिये यह कदम उठाया है, पब्लिक सेक्टर के लिये तो वह जो कुछ कर सकती है कर रही है, लेकिन हमारे यहां अनएम्लायमेंट की समस्या को हल करने के लिये यह लाभ इंडस्ट्री को दिया है तो मेरी समझ में नहीं आता कि उसमें विरोध की कौन सी बात है।

कुछ सज्जनों ने इस बात पर जोर दिया है कि जो इसमें सूची लगी हुई है उसमें काटेज इंस्डस्ट्रीज की कोई बात समझ में नहीं आती। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि उसे जरूर गौर से पढ़ें। मेरा जहांतक खयाल है अधिकतर चीजें उसमें काटेज इंडस्ट्रीज की हैं।

एक और समस्या उसमें उठाई गई है कि रियलाइजेशन आफ एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जल्दी हो। मैं कहूंगा कि रियलाइजेशन दूसरी चीज है और ड्यूटी को कम करना दूसरी चीज है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को जल्द से जल्द लोगों से वसूल किया जाय। इसमें न इधर के लोगों को एतराज होगा और न उधर के लोगों को एतराज होगा और सरकार पूरी तरह से इस बात की कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द लोगों से ड्यूटी रियलाइज की जावे। एक चीज की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि एक ओर तो ड्यूटीमाफ की गयी है इसलिये कि काटेज इंडस्ट्रीज और स्मालस्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाय लेकिन साथ ही मैं अभी इस किस्म के आर्डर्स जारी हो गये हैं या जारी होने वाले हैं कि जितने भी लोगों का दस, दस पांच पांच सात सात और पन्द्रह पन्द्रह हार्स पावर के कनेक्शन मिले थे वह अब नहीं दिये जा रहे हैं। एक ओर यह पालिसी और दूसरी ओर यह पालिसी कि जिन लोगों ने, चाहे उन्होंने ऐग्रीकल्चरल परपज के लिये कनेक्शन लगाये हों या इंडस्ट्रीज के लिये लगाये हों, उनका सामान आ जाने पर या ट्यूबवेल की बोरिंग होने पर उनसे कहा जाता है कि अब कनेक्शन नहीं दिया जायगा यह उचित नहीं है।

इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव श्री भगवतीसिंह जी की ओर से किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं।

**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गोयल जी के व्याख्यान को बड़े आदर और ध्यानपूर्वक सुन रहा था लेकिन मुझे ऐसा लगा, वह माफ फरमायेंगे कि बातें जैसे गला रुक रुक कर आ रही थीं क्योंकि दिल तो गवाही नहीं देता। इसकी क्या वजह है। उन्होंने यह फारमाया कि जो बातें यह कर रहे हैं वह सिर्फ इस दृष्टि से कि एक प्रस्ताव पास हो चुका है उसको कार्यान्वित करने के लिये यह कर रहे हैं।

इधर से हमारे मित्र भगवतीसिंह जी ने यह कहा था कि अगर उनको कर डालना होता तो वे इन्तजार न करते अब तक वह कर डालते। लेकिन हमें अब सब बातों का खुलासा करना पड़ेगा।

जब इसमें यह था कि पहली अप्रैल से इसके लागू हो जाना चाहिये था तो क्या कारण है कि जब २ अप्रैल तक असेम्बली बैठी तो वह कार्यान्वित नहीं हुआ । अभी तक तो यह अफवाह थी कि ४ सितम्बर तक यह सेशन चलेगा, लेकिन अब यह अफवाह है कि २५ या २६ अगस्त तक असेम्बली खत्म करने का इरादा सरकार कर रही है । इसलिये कि अप्रैल में उधर से चरण सिंह जी का स्टेटमेंट आने वाला था लेकिन वह स्टाप कर दिया गया था । स्टेटमेंट के अब फिर से आने की गुंजायश है तो फिर वही उपाय किया जा रहा है । बात यह है कि सरकारी पार्टी को अब देश की भलाई का कोई ख्याल नहीं है । बस केवल तिकड़मबाजियाँ होती हैं । और फिर कुछ काम करते हैं तो जनता को दिखाने के लिये । बड़े बड़े लेक्चर्स दिये जाते हैं और ऐसी सुहावनी बातें कही जाती हैं जैसे इन्द्रायणी का फल होता है-जो बाहर से बड़ा सुहावना होता है लेकिन काटो तो ऐसा खोखला निकलता है जिसे देखने में घृणा लगती है । उसी तरह से यहां गांधी जी के नाम पर, गरीब के नाम पर बातें की जाती हैं लेकिन होता है उसका उलटा । सरकार यहां पर अपने बहुमत के जरिये प्रस्ताव पास कराती है क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुमत ही सब कुछ होता है चाहे एक ही वोट से क्यों न हो । सन् ५२ में जैसा कि भगवती सिंह जी ने कहा इसका कानून का उद्देश्य उल्टा था और कहा गया था कि बिजली का खर्चा नामिनल बढ़ेगा जो कंज्यूमर्स से लिया जायगा । ५२ के इलेक्शन में उधर के सदस्यों की संख्या ३९० थी और फिर अब वे करीब २८६ के रह गये । पहले जहां हमारी संख्या ४० थी अब वह १४४ हो गई । पहले वाली बात जो उन्होंने ज्यादा भारी बहुमत के वक्त कही थी वह ज्यादा गलत थी और उस वक्त ज्यादा गलती करते थे । अब जब बहुमत कम रह गया है तो कम गलती करते हैं और हम लोग जो अल्पमत में हैं वे सदा ठीक बातें कहते हैं । कांग्रेसी पक्ष के अनुसार ज्यों ज्यों बहुमत कम होता गया उनकी राय सही होती गयी और हम अल्पमत वाले जो बात कहते हैं वे जनता के हित की बात कहते हैं । तो ये चीजें हैं ।

अभी यह भी कहा गया है कि हम बंगाल, कलकत्ता और मद्रास से पिछड़े हुये हैं । हमारे यहां के बिजली के रेट बहुत ऊंचे हैं । इसी से नतीजा निकाला जा सकता है कि कितना बढ़िया आपका एक्जिक्यूशन है । आपके प्रोजेक्टस् कितने खर्चीले बनते हैं जिससे बिजली की दरें बहुत ऊंची हो जाती हैं । आपका राज्य बराबर सन् १९४७ से कायम है और उसके बाद आप किस मुंह से कहते हैं कि हमारी बिजली बड़ी महंगी पड़ती है । रिहन्द बना । आपको याद होगा कि ३५ करोड़ से ४७ करोड़ का तखमीना आ गया तो बिजली की दर बढ़ेगी या घटेगी ? इसी तरह खटीमा पावर हाउस की बड़ी चर्चा है । साढ़े ३ करोड़ का एस्टीमेट था लेकिन ७ करोड़ से यानी दूने से ऊपर हो गया । अपोजीशन जब कहता है कि ईंटें सैकिंड क्लास लग रही हैं, पावर हाउस में दरारें आ गई हैं, अखबारों में यह बात शाया होती है कि यहां बिजली जितनी महंगी है उतनी किसी और प्रान्त की नहीं है और जितना खर्चा यहां के बिजली के प्रोजेक्टस् में होता है उतना किसी अन्य प्रान्त में नहीं होता । लाखों के पुर्जे गायब हो जाते हैं और हम चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता क्योंकि कांग्रेस वालों के पास हाथ उठाने को ज्यादा हैं जो हर चीज पास करा लेते हैं । हालांकि बाद में उनको अपनी राय बदलनी होती है और अभी और बदलनी होगी । मैं बहुमत वालों से यह अर्ज करना चाहता हूं कि सिर्फ बहुमत के बल पर कोई चीज वे न पास करा लिया करें, बल्कि उसको नाप तौल कर, देख भाल कर, जांच-पड़ताल करके व जनता का हित ध्यान में रखते हुये पास कराया करें । अभी जैसा कि संकेत किया गया उनके दो रुख हैं बात करने के । जब गरीबों के रिट पेटीशन की बात आई और सरकार को पैसे की कमी पड़ गई तो उसे खींचा जाना चाहिये गरीब से । यह भी वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया कि रिट पेटीशन में जो वह ५० रुपये खर्च करेगा तो उसका कोई नुकसान नहीं है क्योंकि बाद में वसूल हो जायगा । लेकिन हमारा कहना था कि जब ५० ही नहीं होंगे और वह अदालत में जा ही नहीं सकेगा तो वसूल किससे करेगा । वसूल करेगा वह सेठ जो मुकदमा दायर कर सकेगा, जिसके पास रुपया होगा वही रिट दाखिल कर सकेगा । तो उसके तो वसूल भी हो जायेंगे लेकिन गरीब तो उस अदालत में जा ही नहीं सकता, वसूल होने का सवाल ही कहां आता है ।

[श्री गोविन्द सिंह विष्ट]

श्रीमन् एक तरफ तो यह कहा जाय कि गरीब से हम रुपया लेंगे क्योंकि योजना के लिये पैसे की कमी है और दूसरी तरफ उसी सांस में दे ब्लो हाट एंड कोल्ड इन दि सेम ब्रेथ (They blow hot & cold in the same breath ) वे कहते हैं कि इन इन सेठों को छूट दो रुपया बहुत ज्यादा हो गया है । भाग्यवश ये दोनों बिल आज एक साथ आ गये हैं । एक मिनट में इस सरकार का सिद्धान्त बदल जाता है । अगर इतनी जल्दी थी तो क्यों नहीं इसके बिल को अप्रैल में ही ले आये ? आप सेशन को बढ़ा सकते थे। बात यह है कि अध्यादेश से एक्स्ट्राआर्डिनरी ताकत लेना चाहते हैं ! यानी, इनके लिये जैसे लेजिस्लेचर कोई चीज नहीं है । इस आदरणीय सदन की शक्ति एग्जीक्युटिव अपने हाथ में लेना चाहती है । जब जी चाहा जिसे छूट दे दी, जब जी चाहा जिसकी छूट वापस ले ली। यानी सेठों को खुश कर उनसे कांग्रेस के चन्दे का इन्तजाम वे करना चाहते हैं । श्रीमन्, आप जानते होंगे कि डालमिया ने कहा था कि मुझ से लाखों रुपया ले लिया, मूंदड़ा ने कहा कि मुझसे इतने लाख रुपये ले लिये । केरल की सरकार को हम इसलिये दोष दें रहे हैं कि सब कुछ काम वह अपनी पार्टी के लिये करती थी । लेकिन वही दोष यहां भी है । इसलिये केरल में जो हुआ है उसको याद रख कर काम किया जाय । इन शब्दों के साथ में कहना चाहता हूं कि अब भी बहुमत दल वाले सोचें और इस तरह के आर्बिट्रेरी काम न करें बल्कि ऐसा करें जिससे जनता की अधिक से अधिक भलाई हो ।

**श्री रामहेत सिंह** (जिला मथुरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह अध्यादेश सदन के सामने उपस्थित है कि गृह उद्योग पर ड्यूटी कम हो ताकि उनको बढ़ावा मिले उसके लिये जैसा विष्टजी ने कहा कि ऐसी लुभावनी और मनमोहनी बात सदन के सामने रखते हैं यह मेरी समझ में नहीं आया । ड्यूटी कम करने की बात इसलिये है ताकि हमारे यहां का माल दूसरे मार्केट्स में जा सके, उसका उत्पादन बढ़ सके और दूसरी जगहों के माल के मुकाबले में सस्ता हो। इसमें कौन सी मनमोहनी और लुभावनी बात है यह समझ में नहीं आया । मैं तो यह समझता हूं कि शुभ कार्य को तो कभी भी शुरू कर दिया जाना चाहिये । आखिर जिस समय सदन नहीं था और राज्यपाल की तरफ से कोई बात हुई और वह आपके सामने रखी तो कौन सी ऐसी बात हो गई यह मेरी समझ में नहीं आया । दूसरी बात यह है कि ड्यूटी कम करना तो अच्छा है लेकिन यदि हम बिजली नहीं बढ़ा सकें तो हमारे उद्योग नहीं पनप सकते हैं । आज बहुत से हमारे गृह उद्योगी बिजली की मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं । उनकी एप्लीकेशन्स पड़ी हुई हैं और हम बिजली नहीं दे पा रहे हैं ।

श्रीमन्, एक समय था १९५३-५४ में जब पंजाब हमको सस्ते दामों पर बिजली देने के लिये तैयार था। उस समय हमारी सरकार का जवाब था कि हम बहुत जल्दी इतनी बिजली पैदा करने जा रहे हैं कि उसकी खपत कैसे कर पायेंगे । लेकिन आज वह स्थिति आ गई है कि हमारे यहां के लोग बिजली न मिल सकने के कारण बाहर जाकर गृह उद्योग कायम कर रहे हैं और हम इतनी बिजली नहीं पैदा कर पाते कि उनको बिजली दे सकें । यह अध्यादेश तो अपनी जगह पर बहुत अच्छा है लेकिन जब तक हम अधिक बिजली पैदा न करें तब तक हमारे उद्योग धंधे उतनी सफलता से नहीं चल सकते हैं जितना कि हमारा इरादा है। कौसीकंला से पलवल में इसलिये ही कारखाना लगाया गया कि उनको वहां बिजली न मिल सकी। दूसरे पलवल में रेट ३ आने यूनिट है और हमारे यहां १२ आने यूनिट है । इसके अलावा उन्होंने और भी रियायतें दे रखी है । आज उनके यहां बिजली की कमी पड़ गई है यानी ५-६ साल पहले जो स्टेट दूसरों को बिजली देने के लिये तैयार थी उसने अपने यहां इतनी काटेज इंडस्ट्रीज पनपाईं कि उसके यहां बिजली की कमी हो गई ।

हमारा इरादा था कि १९५८ तक हरदुआगंज से बिजली बढ़ा कर उसके आस पास के जिलों को बिजली दे सकेंगे लेकिन उसकी पूर्ति हम नहीं कर पाये। यमुना हाई डिल की स्कीम तो खत्म सी है ही । अगर हम छोटी छोटी स्कीमों के द्वारा बिजली पैदा न कर सकें तो हमारे यहां गृह उद्योग कभी भी नहीं पनप सकते । इसलिये बिजली पैदा करने में हमें अपनी पूरी ताकत लगा देना चाहिये । जब हम गृह उद्योगों को बिजली दे सकेंगे तभी हमारे प्रदेश को लाभ होगा ।

मेरी समझ में नहीं आया कि कहां से इसमें चन्दे की बात आ गई, कहां से डालमिया का सवाल आ गया । यह तो सीधा-साधा सवाल है कि यदि हम बिजली पैदा करके उद्योगों को दे सकेंगे तो प्रदेश को ज्यादा लाभ होगा । इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं ।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने जो अननुमोदन का प्रस्ताव भगवतीसिंह जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । प्रश्न यह नहीं है कि अध्यादेश का समय था या नहीं । प्रश्न यह है कि हम इस स्थिति में कहां तक नुकसान उठा सकते हैं और हमारे देश की स्थिति इतनी अच्छी है या नहीं कि इस अभाव में भी हम जो छूट दे रहे हैं उससे कुछ फायदा होगा या नहीं ? मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं है कि जिस आधार पर लम्बे पैमाने पर हम बिजली में छूट दे रहे हैं उससे फायदा होगा । मैं आपसे निश्चित तौर पर कहता हूं कि इस प्रकार दोबारा कोई संशोधन आयेगा और इसका जनाजा निकलेगा । कल माननीय मुख्य मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि हमारा ४८ रुपये खर्चा है और ५० रुपये पर बिजली सप्लाई करते हैं । और प्रान्तों के मुकाबले में हमारी बिजली महंगी है । तो हम इतने बड़े पैमाने पर छूट क्यों दे रहे हैं ? इसमें एक अनुसूची है जिसमें ३८ शीर्षक हैं और करीब १६० मदें हैं । मुझे अफसोस इस बात से हुआ कि सरकार जहां उद्योगपतियों के भय से, दबाव से बिजली में इतनी छूट दे रही है वहां वह बराबर कर्ज खाती है विदेशों से । हमारा दावा है कि आज करीब ६०—७० करोड़ रुपया प्रति वर्ष सूद की मद में इस देश को देना पड़ता है । इस स्थिति में यह जो हम छूट दे रहे हैं इसका फायदा कहां तक पहुंचेगा ।

अगर हम अनुसूची को देखें तो मालूम होगा कि सिगरेट बनायें, ईंट बनायें तो उस पर भी बिजली में छूट है । एक तरफ अगर फैक्टरी बीड़ी सिगरेट बनायें तो उस पर भी छूट है लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई किसान ट्यूबवेल से बिजली लेता है तो कोई छूट नहीं है । हमारे सामने अन्न भुखमरी की समस्या है । लेकिन इतनी बड़ी लिस्ट में कहीं नहीं देखा जहां कृषि में छूट हो, केवल ट्रैक्टर के नाम पर है । आज हमारी यह स्थिति नहीं है कि उन पूंजीपतियों के दबाव से हम इतने बड़े पैमाने पर छूट दे सकें । आर्थिक दृष्टि से यह प्रदेश इतनी बड़ी छूट सहन करने योग्य नहीं है । मंत्री जी इस बात का जवाब दें कि आज उनके जिम्मे बिजली का कितना बकाया है और इस छूट से प्रदेश को प्रति वर्ष कितना नुकसान होगा । अगर आप उनके भावों पर कंट्रोल नहीं रख सकते जैसा कि इस सदन के गन्ने का मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव पास करने के बाद भी उसने गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया लेकिन चीनी के दाम पर कोई नियंत्रण नहीं है, न इस सरकार की शक्ति में है कि उपभोक्ताओं को सही दाम पर चीनी दिला सके । इसी प्रकार लोहा, कपड़ा और अन्य चीजों को ले लीजिये । यह जो आप छूट दे रहे हैं अगर इसका फल उपभोक्ताओं को सही कीमत पर सामान दिलाना हो सके तो कोई बात नहीं है । लेकिन बिजली की छूट का नाजायज फायदा उद्योगपति उठायेंगे । उसमें कुटीर उद्योग इसलिये जोड़ दिया गया ताकि किसी विरोधी को कहने का मौका न मिले कि सबको समान रूप से छूट नहीं दे रहे हैं । आज की स्थिति में उद्योगपतियों का नैतिक स्तर इतना ऊंचा नहीं है कि उद्योगपतियों के प्रभाव में आकर सरकार इतना बड़ा नुकसान करने जा रही है । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का अध्यादेश किसी प्रकार पास न करें । इससे कोई विशेष फायदा इस प्रदेश को होने वाला नहीं है । मैं इसके साथ यह भी कहूंगा कि आज की स्थिति में आप समझ रहे हैं कि उनकी मनोवृत्ति केवल मुनाफे पर उद्योग चलाने की है न कि सामान पैदा करके मुल्क की समस्या को हल करने की है । तो केवल मुनाफा कमाने के लिये आप उनको इतना बढ़ावा देते जायं और दूसरी ओर श्रीमन्, समाजवादी समाज के ढांचे की स्थापना का ढोंग भी रचें, यह दोनों बातें साथ साथ कैसे चल सकती हैं ।

अभी हमारे एक सदस्य ने उधर से कहा कि उनकी समझ में नहीं आया कि इसमें टाटा और बिड़ला का कहां फायदा है ? आपकी समझ में कभी नहीं आयेगा और न आज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

तक आया । आप समझते कहां हैं, न समझने की कोशिश करते हैं कि मुल्क कहां जा रहा है, आपकी नीति क्या है और उद्योगपति क्या चाहते हैं । आपकी समझ में यही आता है कि आप उनको छूट देते जाइये और इस मुल्क को गड्ढे में गिराते जाइये । मैं श्रीमन्, आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों का यह कर्त्तव्य है कि अगर समाजवादी समाज के ढांचे की रचना करनी है तो किसी भी तरह से, किसी भी हद तक उद्योगपतियों को व्यक्तिगत मुनाफा कमाने में रियायत नहीं करनी चाहिये । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं माननीय भगवती सिंह विशारद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ के ऊपर काफी समय से बहस हो रही है । श्रीमन्, मुझे याद है और जैसा कि इस अध्यादेश में भी दिया हुआ है कि जब हमारे सामने बजट आया था सरकार ने इस बात की घोषणा की थी कि पहली अप्रैल से जो हमारे प्रदेश के कुछ उद्योग हैं, जिनकी सूची दी हुई है उन पर से एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म कर दी जायगी । उसके बाद उसी को कार्यान्वित करने के लिये यह अध्यादेश लाया गया । मैं यह महसूस करता हूं कि जब बजट में इस बात का आश्वासन दिया गया था और बजट बहुत पहले से ही हम तैयार कर लेते हैं तो यह फर्ज था सरकार का कि जो ड्यूटी खत्म होने की बात पहली अप्रैल से इस प्रदेश में चालू होने को थी, और जब कि हमारा सदन २ अप्रैल तक बैठा तो इसके सम्बन्ध में कानून ३१ मार्च, तक आ जाना चाहिये था और पास हो जाना चाहिये था । अभी तक जितने भाषण हुये, उनमें तथा मेरे साथी जगदीशशरण जी ने भी इस बात को माना कि अच्छा यही होता कि इस अध्यादेश के लाने की आवश्यकता न पड़ती और ३१ मार्च तक इस सम्बन्ध में कानून बनकर इस सदन से पास हो गया होता । लेकिन चूंकि कानून पास नहीं हुआ लिहाजा मजबूरी है । मगर अब उसका उत्तर तो माननीय मंत्री जी देंगे कि क्या वजह थी, क्या विशेष परिस्थितियां उनके सामने थीं कि वह उसका कानून नहीं लाये ।

मैं केवल एक बात का संकेत करना चाहता हूं और वह यह कि इससे यह बात साबित होती है कि आर्डिनेन्सेज के जारी करने का जो अधिकार या शक्ति सरकार को संविधान के अन्तर्गत प्राप्त है उसका सही प्रयोग नहीं होता । मैं समझता हूं कि आर्डिनेन्सेज के इश्यू करने में जितनी सावधानी बरतनी चाहिये उतनी शायद बरती नहीं जाती है । विभाग यह समझता है कि जो चाहेंगे करा लेंगे और सदन में तो जो सरकार की तरफ से बात होगी वह हमको पास करनी ही होगी । लेकिन इससे कोई अच्छा इम्प्रेशन लोगों पर पड़ता नहीं है और यों सिद्धान्ततः भी यह बात है कि आर्डिनेन्सेज के इश्यू करने का जो अधिकार है उसका जनतंत्र में कम से कम इस्तेमाल होना चाहिये । इस बात को मानते हुये, इतनी गलती सरकार ने की है, इसके बाद जो उसकी मेरिट में जाकर बहुत-सी बातें कही गईं, केरल की बात, उद्योगपतियों की बात और न जाने कितनी बातें कही गईं, मैं उन बातों को रिपीट करना नहीं चाहता, पर उनसे सहमत नहीं हूं । इस समय यह एक विधेयक की शक्ल में जो आर्डिनेन्स है वह मेरे पास है । मैंने उसमें लिस्ट को देखा है । यह सही है कि कुछ उद्योगपतियों को भी इससे फायदा पहुंचेगा । यदि सूची को देखा जाय तो अधिकांश इसमें वह आइटम्स हैं जो काटेज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के अन्तर्गत आते हैं और आयेंगे ।

एक बात और भी सोचने की है जिस पर कि हम लोगों को स्पष्ट होना चाहिये । मेरे साथी जानते हैं कि मैं कुछ प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा हामी नहीं हूं लेकिन साथ ही साथ यह भी जानता हूं कि उत्तर प्रदेश बावजूद इतनी बड़ी आबादी के और उसका इतना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान इस देश के अन्दर होते हुये भी इस प्रदेश में औद्योगीकरण अभी तक नहीं हो सका है और उद्योग के मामले में यह बहुत पिछड़ा हुआ है । तो आज हमको इस बात को तय करना है कि आखिर इस प्रदेश में औद्योगीकरण कैसे हो, चाहे वह स्माल इंडस्ट्री से हो या काटेज इंडस्ट्री से हो । उसके लिये यह ड्यूटी माफ होना उचित ही है । अब प्रश्न यह है कि यदि इस सिलसिले में २, ४ उद्योगपतियों को फायदा हो गया हो या १०, २० को फायदा हो गया तो वह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे प्रदेश में कोई बहुत अधिक उद्योगपति भी नहीं हैं । इसलिये आप

विचार करें कि उनको फायदा न पहुंचने की वजह से हम ड्यूटी न घटायें यह कहां तक उचित है ? मैं इस प्रश्न को अपने साथियों के सामने रखता हूं ।

दूसरी बात यह है कि जब तक हम प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल ही बन्द न कर दें कि हमको प्राइवेट सेक्टर की जरूरत नहीं है तब तक केवल पब्लिक सेक्टर पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता। कोई बहुत बड़े उद्योग हमारे प्रदेश में नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं यह समझता हूं कि जब हमको प्राइवेट सेक्टर को रखना ही है और उसके लिये बढ़ाने की बात भी सोचना है तब उसके लिये कुछ सुविधा भी देना जरूरी है। इसी के साथ यह भी है कि जिन उद्योगों का इसके अन्दर वर्णन किया गया है वह मेरा विश्वास है कि ८० फीसदी और ९० फीसदी पब्लिक सेक्टर में नहीं आते हैं। तो इस तरह की जो बातें आईं, मैं समझता हूं, वह जिस समय यह विधेयक के रूप में आवे कि हमारी नीति प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने की हो या पब्लिक सेक्टर को बढ़ाने की तो उस समय कहना सही होगा । मैं भी इस बात का हामी हूं कि पब्लिक सेक्टर हमारा बढ़े, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो बातें कही गईं इस विधेयक के सम्बन्ध में उनका कोई वास्ता इस समय इससे नहीं था । बहरहाल मैं भी इस बात को मानता हूं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कि जब सरकार घोषणा कर चुकी है तो उसका कर्त्तव्य था कि यह पहली अप्रैल से ड्यूटी खत्म हो जाय । सरकार की यह जिम्मेदारी थी कि उससे पहले इस तरह का विधेयक आवे और वह पास हो । अगर वह किसी वजह से गलती हुई तो उसको पूरा करने की ही यह बात है चाहे वह आर्डिनेन्स के तरीके से हो या और तरीके से हो । परन्तु जहां तक मेरिट की बात है उससे मैं सहमत हूं ।

(इस समय ४ बजकर ९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

*श्री भजनलाल (जिला इटावा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री भगवतीसिंह विशारद के संशोधन पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। अभी हमारे भाई ने कहा कि उद्योगों के लिये बिजली की अति आवश्यकता है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि उद्योग उसी हालत में सफलीभूत हो सकते हैं जबकि पहले हम अपने जीवित रहने की व्यवस्था कर लें। इस बात की आवश्यकता है कि देश के अन्दर जो खाद्य समस्या उलझी हुई है वह जल्दी से जल्दी सुलझाई जाय। जब तक यह नहीं सुलझती है तब तक जीवित रहना मुश्किल है। उसके बाद अगर हम उद्योगों की तरफ बढ़ें तो बेहतर होगा। मैं देखता हूं कि अभी हमारे किसान भाइयों के ५०० बिजली के कनेक्शन बाकी हैं, उनको रोक दिया गया है। १२ मई को यह आदेश दिया गया है कि किसानों को बिजली नहीं दी जायगी। इसका परिणाम क्या होगा ? इसका परिणाम यह होगा कि देश की पैदावार घटेगी और देश में पैदावार कम होने से देश में बेकारी बढ़ेगी और हम लोग भूखों मरेंगे। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि उद्योगों की तरफ न जाकर अगर हम खाद्य उत्पादन की तरफ बढ़ें तो देश का कल्याण हो सकता है और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके फलस्वरूप इटावा जिले के पश्चिम जमुना और चम्बल के बीच जो मैदान है वहां पर जिस साल पानी नहीं बरसा तो वहां की जनता की रक्षा मुश्किल हो जाती है, वहां पर ५० लाख एकड़ जमीन इन नदियों के कटाव में है जहां पर सिंचाई ट्यूबवेल से हो सकती है और पैदावार अधिक बढ़ाई जा सकती है। इसलिये इस सम्बन्ध में मेरा आपसे निवेदन है कि अगर दक्षिण के साइड जो एरिया पड़ता है वहां पर ट्यूबवेल की योजना लागू कर दी जाय तो वह समस्या हल हो सकती है। वहां पर काफी गल्ला पैदा होकर वहां की जनता महफूज रह सकती है।

दूसरी बात यह है कि उद्योगपतियों को बिजली दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, औरैया वाला एक मसला पड़ा हुआ है, वहां की जनता ने ६ लाख रुपया खर्च करके, सरकार से सिफारिश करके वहां पर बिजली चालू करायी, लेकिन वहां की जनता को इतना महंगा टैक्स अदा करना पड़ रहा है कि वह बोझ से उसके दबी जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि कानपुर से आगे पुखरायां तक बिजली गयी है और वहां से औरैया १५, २० मील पड़ता है। मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भजनलाल]

माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अगर वहां से बिजली औरैया नगर को दे दी जाय तो वहां की जनता का भार कम हो सकेगा।

जहां तक उद्योगपतियों का मसला है, श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि इसमें उनका व्यक्तिगत फायदा है। कोई सार्वजनिक फायदा नहीं है। उनको छूट देकर बिजली देना अधिक तादाद में और सिंचाई के लिये बिजली को रोक देना, देश के और राज्य के उत्थान का अच्छाई का नमूना नहीं है। मैं कहूंगा कि क्योंकि बेकारी बढ़ी है, मजदूरों की तादाद बढ़ी है इसलिये अगर हम छोटे-छोटे उद्योगों के लिये बिजली दें तो देश की बेकारी और गरीबी की समस्या काफी हद तक हल हो सकेगी। इस सम्बन्ध में मेरा मंत्री जी से यह निवेदन है कि वह यह न समझें कि वह उद्योगपतियों को बिजली देकर राष्ट्रोत्थान कर सकेंगे। राष्ट्र तभी उत्थान के रास्ते पर जा सकता है जब कि हमारे देश में बेकारी न रहे और भुखमरी की समस्या हल हो जाय। इसलिये आवश्यक है कि अपने उत्तर प्रदेश में जो ३६ लाख बेकार हैं उनको छोटे-छोटे उद्योगों में लगा दिया जाय तो उनकी यह समस्या हल हो सकती है। मेरा विशेष जोर कला, कुटीर उद्योग-धंधों पर है और अगर इनके लिये बिजली दी जाय तो अन्न और गरीबी की समस्या हल हो सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि अभी २७ लाख रुपया बिजली की ड्यूटी का बकाया एक ही कंपनी पर पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ उनको छूट भी दी जा रही है और अधिक बिजली भी दी जा रही है, इसके माने क्या हैं? यह खुली और साफ बात है कि यह सरकार पूंजीपतियों को बिजली दे रही है और उन्हीं का फायदा चाहती है। रिहन्द बांध की ५० लाख किलोवाट बिजली सीधे टाटा, बिरला को न दे कर अगर सीधे जनता को दी जाय तो उससे मैं समझता हूं कि राष्ट्र का काफी फायदा हो सकता है। हम लोगों की नीति है कि एक उद्योगपति की तिजोरी में पैसा न बन्द होकर जनता में फैले, यही समाजवाद का उद्देश्य है। उसका स्वरूप हमारे सामने होना चाहिये, आना चाहिये। समाजवाद और है ही क्या। बड़े-बड़े पूंजीपतियों को उनके फायदे के लिये हम अधिक बिजली दें। छूट दें, क्या यही हमारा समाजवाद है? अगर आप बड़े-बड़े उद्योगपतियों की ओर विशेष ध्यान न देकर देश की ओर प्रदेश की गरीब जनता पर, उसके हित पर अधिक ध्यान दें तो बेहतर होगा।

मेरा अन्तिम निवेदन यह है कि इस प्रकार की जो गड़बड़ियां हो रही हैं, उद्योगपतियों को जो छूट दी जा रही है, यह आज के समय को देख कर गलत तरीका है और मैं मांग करूंगा कि आप उनको बिजली न देकर छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बिजली दें जैसे आटा की चक्की है, धान या तेल की मिल हैं। उनके लिये आज बिजली है ही नहीं। मेरा मतलब है कि आप इनकी तरफ विशेष ध्यान दें। इससे देहात के भाइयों की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें। उद्योगपतियों को अधिक बिजली न देकर देहात की गरीब जनता को अधिक बिजली दें जिनके आधार पर हम और आप यहां आये हैं। हम यदि ऐसा नहीं करते तो उस जनता के पास जाकर क्या कहेंगे? एक उद्योगपति का हित करने के लिये हम असेम्बली में बैठे थे या प्रदेश की अधिक गरीब जनता के हित के लिये यहां भेजे गये थे? अगर यही दृष्टिकोण रहा तो चलने दीजिये, सन् ६२ में मैदान साफ हो जायगा।

*श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न आज हमारे सामने पेश है और जिस पर हम विचार कर रहे हैं उसके सिलसिले में जो स्पीचेज अभी हुई हैं मैं उनको सुनकर ताज्जुब में रह गया। ऐसा मालूम होता है कि इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने यह समझा है कि आज का जो विषय है उसका तात्पर्य यह है कि जराअत के शोबे में उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दिया जाय। बिजली देने के मामले में मैं समझता हूं यह गलत है, इस किस्म का कोई सवाल हमारे सामने नहीं है कि हम ऐग्रिकल्चरल परपजेज को बिजली

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न देकर यह रोक-थाम करें और उसके मुकाबले में उद्योगों को बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों को बिजली दें। इस समय जो मोशन हमारे सामने है वह यह है कि हमने बजट पास करते वक्त यह तय किया था कि हम कुछ उद्योगों के सिलसिले में जो बिजली की मौजूदा दर है उसको कम कर देंगे और चूंकि उसके बाद वक्त नहीं था, सेशन हमारा खत्म हो गया था और जो हम पहले निर्णय कर चुके थे उसको कार्यरूप में लेना था, इसलिए जरूरत इस बात की थी कि एक आर्डिनेंस के जरिये से पहले निश्चय को कार्यान्वित करें। इतनी-सी बात है कि जो सवाल आज हमारे सामने है।

अभी हमारे साथी ने यह कहा कि उद्योगों में सस्ती बिजली दे करके समाजवाद की स्थापना का जो हमने निश्चय किया है उसकी हम अवहेलना कर रहे हैं या खिलाफ जा रहे हैं। मैंने यह समझा कि अगर उद्योगों में ज्यादा रेट की बिजली दी जाय तो शायद उनके मतलब के अनुसार हम समाजवाद की स्थापना में सही तरह से आगे बढ़ेंगे। मेरे खयाल से यह गलत है। अध्यक्ष महोदय, उद्योगों का ताल्लुक जितने लोग इस सूबे में रहते हैं उनके हर शोबे से है, उनके हर वाक आफ लाइफ से है। क्या तालीम के मामले में और आगे बढ़ाने के सिलसिले में हम उद्योगों को एक तरफ छोड़ देंगे? और अगर हम अपने हेल्थ और सैनीटेशन के मामले को देखें तो क्या जितनी चीजों की, औजारों की या सामानों की पब्लिक हेल्थ को कायम रखने के लिए जरूरत पड़ती है वह उद्योगों के जरिये से नहीं बनाये जाते? मैं तो यह कहता हूं कि जहां तक जराअत का ताल्लुक है, क्या जराअत के मामले में भी उद्योगों को एक तरफ रख कर के हम जराअत को आगे बढ़ा सकेंगे? मेरा ख्याल यह है कि नहीं। अगर हम जराअत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हम उद्योगों को भी साइड बाई साइड आगे बढ़ायें तो इस तरह से उद्योगों और जराअत को भी साथ लेकर चलना होगा। सभी मामलात से जिनका मनुष्य के जीवन से ताल्लुक है, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठ सकता है, एजूकेशन ऊंची हो सकती है, जिससे हम तन्दुरुस्त हो सकते हैं, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे खयाल से गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई कोताही नहीं है कि उसने आर्डिनेंस क्यों निकलवाया और उसके पेश्तर कानून क्यों नहीं बना दिया। अब कानून के बनाने का मौका आया है और अगर इस सेशन में यह न आता तब यह बात कही जा सकती थी और कांस्टीट्यूशनली इस सेशन में आना ही था। कांस्टीटयूशन के खिलाफ कोई चीज नहीं हो रही है और न वाकयात के खिलाफ ही। मैंने कांग्रेस बेञ्चेज की तरफ से भी एक स्पीच सुनी जिसमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया कि गवर्नमेंट को चाहिये था कि इस बिल को पहले पास करा लेती, उसने देर कर दी है, यह लाजिक भी मेरी समझ में नहीं आयी। इन शब्दों के साथ अपोजीशन बेञ्चेज की तरफ से जो तरमीम आई है उसकी मैं मुखालिफत करता हूं और ओरीजिनल मोशन जो हाउस के सामने है, उसकी ताईद करता हूं।

*श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि जब आज सुबह इस बिल पर बहस शुरू हुई तो बदकिस्मती से मेरी कुछ तबीयत खराब होने की वजह से मैं हाउस में नहीं आ सका और इस वक्त तक क्या बहस हुई उस बारे में मुझे कुछ ज्यादा इल्म नहीं है कि कौन-सी बातें कही जा चुकी हैं। हो सकता है कि जो बातें कही जा चुकी हों उनको शायद मैं दोहरा दूं, उसके लिये माफी चाहता हूं।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरा बिल मैंने पढ़ा। उसमें एक लम्बी लिस्ट है। जिस तरह से कि कोई मदारी जब कोई मजमा लगाता है तो एक सांस में सैकड़ों, हजारों बातें गिना जाता है, उसी तरह से इसमें १८७ चीजें दिखाई गई हैं। जिनके ऊपर मंत्री जी बोले कि एलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कभी इस पर भी गौर किया जायगा। उन्होंने कहा कि हम यह काम करेंगे और जो उद्देश्य इसमें छपा हुआ है, जहां तक अध्यादेश की बात है, उसमें लिखा है कि एक अप्रैल, १९५९ से विद्युत् शुल्क नहीं लिया जायगा और फिर अफसोस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवप्रसाद नागर]

जाहिर करते हैं, वह अफसोस यह है कि असेम्बली एडजर्न हो गई जिसके कारण उस चीज को कार्यान्वित नहीं कर सके। मुझे दूसरा अफसोस है। उन्हें अफसोस यह है कि असेम्बली एडजर्न हो गई और मुझे अफसोस यह है कि २ अप्रैल तक असेम्बली बैठी और पहली अप्रैल से अध्यादेश लागू हुआ और इस असेम्बली में, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह एनाउन्स करा लिया कि २० अप्रैल से असेम्बली फिर बैठेगी। एक अप्रैल से इसको लागू कर रहे हैं। मेरी यह मंशा है कि एक अप्रैल से सरकार की नियत लागू करने की थी, चाहे यह नियत पहले की हो या बाद की। लेकिन यह साफ जाहिर है इस अध्यादेश से कि एक अप्रैल से यह ड्यूटी छोड़ देनी चाहिये उन उद्योगपतियों पर और यह भी साफ जाहिर है कि २ अप्रैल तक असेम्बली बैठी और आपके द्वारा यह एनाउन्स करा लिया कि २० अप्रैल से फिर असेम्बली बैठेगी। मुझे बड़ा अफसोस है व उन्हें अफसोस है कि अप्रैल से इसलिये नहीं लागू कर सके क्योंकि असेम्बली बैठ नहीं पायी और मुझे अफसोस है कि उनके दल में लतियाउज शुरू हो गया। उनकी नियत साफ है कि एक अप्रैल से ड्यूटी छोड़ देनी चाहिये, इससे और भी साफ है क्योंकि वह यह कह भी चुके हैं। मगर मुझे ऐसा दिखाई पड़ा कि एक अखाड़ा लखनऊ में खुदा और एक बनारस में खुदा, यहां की कुछ कुश्तियां देखीं और फिर बनारस की कुश्तियां देखीं और एक जोड़ नैनीताल में भी पहुंचा कि वहां फैसला हो जाय। नैनीताल में फैसला होने की बात रखी गई तो मालूम यह हुआ कि लोग अखाड़े से बाहर हो गये, कोई पहलवान लड़ने वाला नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, सब से बड़ी चीज यह थी इस कशमकश में कि यह पता नहीं लगा कि असेम्बली कभी बैठ पावेगी या नहीं बैठ पावेगी। अध्यक्ष महोदय, हमको बड़ी ग़लतफहमी हुई, हम लखीमपुर से सारा कारोबार छोड़ कर भागे आये, यह हमारी खेतीबाड़ी का समय था। मगर २० अप्रैल को यहां आये और यहां आकर मालूम हुआ कि असेम्बली एडजर्न हो गई, क्या आपको नोटिस नहीं मिला। हमने कहा कि नहीं मिला। एक फायदा तो जरूर हो गया कि भत्ता मिल गया। वह इसलिये मिल गया कि १ अप्रैल से करोड़ों रुपया उद्योगपतियों को छोड़ना था। तो उन्होंने सोचा कि १०, २० रुपया दे कर इसका मुंह बन्द करो।

बहुत अन्दाजे लगाये गये, सवाल हुये, कभी कुछ उत्तर आया और कभी गलत भी आया जिसका बाद में शोधन हुआ। मिल मालिकों पर जो बकाया है उसके पीछे बहुत झगड़े होते हैं। तो सोचा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसलिये चलो इसे खत्म ही करो और माफ कर दो। चुनांचे अध्यादेश लाये और फिर बिल ले आये। जैसे आज ड्यूटी की बकाया पर माफी दी जाने वाली है, हमको तो डर मालूम होता है कि कहीं केन सेस का जो ४ करोड़ रुपया बाकी है उसका भी न माफीनामा यहां आ जाय। उद्योगपति चिल्लाते हैं कि उन्हें घाटा हो रहा है और सरकार कहती है कि उनको तकलीफ़ है और यह कि वह उनसे रेवेन्यू की तरह वसूल करती है। हमने तो किसी उद्योगपति की कभी बन्द होते नहीं देखा और न किसी के आंसू कभी दिखाई दिया। हां, किसान रोज बन्द किये जाते हैं। सरकार ने सोचा कि दुधारू गाय की दो लातें भलीं, इसलिये चलो इस रुपये की माफी ही कर दो। बस अध्यादेश निकाला और कह दिया कि हम ६ महीने से सोच रहे थे इसके लिये और केन सेस के लिये।

इसमें लिखा है, और बात तो बढ़िया है। जिसके कलेजे में हृदय होगा जरूर उसे तरस आवेगा। लिखा है "इसका परिणाम यह हुआ कि १ अप्रैल, १९५९ के बाद भी बिजली के औद्योगिक उपभोक्ताओं से विद्युत् शुल्क लिया जाता रहा जिसके कारण उद्योगपतियों में काफी रोष की भावना उत्पन्न हुई"। कागज में भी ऐसा नहीं है लेकिन सरकार के कहने के अनुसार है। क्या किसी उद्योगपति ने सरकार को कभी कोई पत्र लिखा या कहा कि हमें रोष है? क्या उनके कभी एक आंसू आया? अगर किसी ने सरकार को लिखा होता तो हम विधायकों से भी तो कहते। हमारी भी उनसे साहब सलामत होती है, भले ही हम उनके साथ चाय न पीते हों या सोफासेटों पर न बैठते हों। मगर मोटरों पर तो मुलाकात हो ही जाती है। हमको तो किसी में भी रोष नहीं दिखाई पड़ा हां, रोष गन्ना उत्पादकों

में दिखाई पड़ा। उन्होंने कहा कि तुम यह उद्योगपतियों की हिमायत कर रहे हो, उनके ३० रुपये से ३६ रुपये दाम कर दिया, हमारा भी बढ़ा दो। १ रुपया ७ आने के बजाय १ रुपया ९ आना कर दो, ११ आना कर दो या १३ आना करो। हमने भी सर्वसम्मति से १ रुपया १२ आना असेम्बली से पास कर दिया, मगर वह उनको नहीं मिला। जब सरकार ने यह रेट नहीं माना तो हड़तालें हुईं, लोग जेलों में गये, गोलियां चलीं, खून बहे और लोग मरे। राजनारायण जी चिल्लाये, गेंदासिंह जी चिल्लाये और उधर के कांग्रेस के लोग भी दिल में गोली भींच कर चुप बैठे रहे, मगर बेचारे कह नहीं सके। दर्द से कराहते रहे लेकिन कह नहीं सकते हैं। यह रोष है। इसको रोष कहा जाता है। भूत तो वह है जो सिर पर चढ़ कर बोले। इसको कैसे रोष कह सकते हैं? न किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी, न किसी का शिकवा ही रहा। वह कोई पोशीदा रोष हो सकता है। हो सकता है किसी बड़े मिल मालिक ने बुलाया या उनके किसी एसोशियेशन ने बुलाया हो और यह बात कही हो कि आप तो अप्रैल से छोड़ने की कह रहे थे लेकिन अभी तक नहीं छोड़ा, अब सन् १९६२ में देख लेंगे। अगर ऐसी बात है तब तो कहा नहीं जा सकता। मैं किसी पर चार्ज नहीं लगाता हूं, केवल अन्दाजा ही लगा सकता हूं क्योंकि उनका कोई रोष न तो पब्लिक में दिखायी दिया, सड़क पर, मोटर में, कारों में, और होटलों में कोई रोष हमें तो दिखायी नहीं दिया। रोष तो गन्ना उत्पादकों में दिखायी दिया, खाद्य आन्दोलन में दिखायी दिया, जिनमें सैकड़ों आदमी ही नहीं, १० हजार आदमी उत्तर प्रदेश की जेलों में भर दिये गये। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसका कोई आदमी जेल में न गया हो। कांग्रेस वाले भी जब होटलों आदि में मिल जाते थे तो कहते थे कि बात तो तुम्हारी ठीक है लेकिन कांग्रेस का होने के कारण मुंह नहीं खोल सकता हूं। सरकार बड़ा गलत काम कर रही है। इसको रोष प्रकट करना कहा जा सकता है। लेकिन उनको तो आप थाली परोसना ही चाहते थे और जब आपसे पूछा गया तो कहते हैं कि वह तो बड़े भूखे थे।

नैनीताल में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी उसमें हमें बताया गया कि बिजली के महकमे को दो करोड़ रुपये का घाटा है, हर साल का बताया गया था या हर महीने का, शायद हर साल का बताया गया था, लेकिन अब जब आप ड्यूटी छोड़ देंगे, तो मैं आपकी आज्ञा से यह जरूर जानना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की ६ करोड़ जनता यह जानना चाहेगी, कि फिर बिजली के महकमें को कितना घाटा होगा। तिस पर आप कहते हैं कि यह कामर्शियल डिपार्टमेंट है। यह घाटा वसूल किया जाता है खेत-खेत से, मेंड़-मेंड़ से, दाने-दाने से, सीकुर-सीकुर से। वसूल किसानों से किया जाय और माफ उद्योगपतियों को किया जाय। अभी तो दो करोड़ का घाटा देना पड़ता है और जब माफी हो जायगा तो कितना घाटा उनको देना होगा। पता नहीं वह कितना घाटा होगा।

स्टैंडिंग कमेटी में एक बात और जान कर बड़ी हैरत हुई कि २४ करोड़ यूनिट बिजली तो आप पैदा करते हैं और उसमें से ६ करोड़ यूनिट लीकेज हो गयी। कोई दूकानदार हो जो २४ बोतल तेल लाया हो, ६ बोतल उसका लीकेज हो जाय। अब बाजार में उससे कोई कहे कि दामों में कमी कर दो तो वह कहेगा कि आगे चलो, यह तो मेरा रोजगार है। खाऊंगा क्या? मुनाफा ही मुझे क्या होगा? इसी प्रकार आपका ६ करोड़ यूनिट तो लीकेज हो गया, २ करोड़ रुपये का आपको नुकसान हो रहा है, तिस पर भी तुर्रा यह कि आप कहते हैं कि ड्यूटी छोड़ रहे हैं, उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं। खाद्य समस्या को हल करने के लिये कदम क्यों नहीं उठाया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में माननीय मंत्री जी जो बैठे हुए हैं उन्होंने कहा था कि उद्योग-पतियों को बिजली देने से रिटर्न बहुत ज्यादा होता है। एग्रीकल्चर से उतना रिटर्न नहीं होगा जितना कि उद्योग से होता है। देखने की बात है कि जब करोड़ों रुपये दिये जाते हैं तो उससे कितना रिटर्न होता है। रिहान्ड डाम की बिजली सारी की सारी बिड़ला को दे दी गयी ताकि उससे रिटर्न ज्यादा होगा कामर्शियल डिपार्टमेंट के लिहाज से, मगर जो पैसा पैदा होगा वह जायेगा कहां? मेरे खयाल से बड़े-बड़े उद्योगपति जो करोड़ों रुपये पैदा कर रहे हैं उसके लिये हिन्दुस्तान में मार्केट नहीं है पैसा खर्च करने के लिये। वह

[श्री शिवप्रसाद नागर]
पैसा खर्च होता है इंगलैन्ड में, अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, जावा में, सुमात्रा और बोर्नियो आदि में। मिसाल के तौर पर इसकी जीती जागती मिसाल श्री शान्तिप्रसाद जैन का पालम हवाई अड्डे पर पकड़ा जाना है। उनका हिसाब-किताब जो पकड़ा गया उससे मालूम हुआ है कि करीब ५० लाख रुपया उनका फारेन बैन्क में जमा है। वे सब उद्योगपति डरते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन पी० एस० पी० की गवर्नमेंट आ जाय तो जमींदारी एबालिशन की तरह से ऐसे-ऐसे उद्योगपतियों का भी नेशनलाइजेशन कर दिया जाय। इस डर से बड़े-बड़े उद्योगपति इस बिजली के जरिये पैसा पैदा करके उनको दूसरे मुल्क में जमा करेंगे ताकि किसी की नजर उस पर न पड़ जाय। और इस तरह से वे श्री शान्तिप्रसाद जैन की तरह से बच कर फारेन मुल्क की डिपाजिट से वहां अपना उद्योग करेंगे।

एक बात यहां कही गयी कि सरकार कुटीर उद्योग में बड़ी दिलचस्पी रखती है और वह उसके लिये बिजली देगी। लेकिन मुझे मालूम है कि अब तक एक भी छोटा कनेक्शन किसी को नहीं मिला है। सारे के सारे कनेक्शन उद्योग विभाग की तरफ से रिजेक्ट कर दिये गये हैं। उद्योग विभाग ने कुटीर उद्योग के लिये किसी को ५, किसी को १० और १५ हजार का कर्जा दिया है। ऐसे लोग भी अपनी दरख्वास्तें लिये घूमते फिरते हैं पावर मोटर के लिये लेकिन उनकी दरख्वास्तें भी खारिज पर खारिज होती जाती हैं।

**श्री अध्यक्ष**—आपका समय समाप्त।

**श्री भगवतीसिंह विशारद**—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव के संबंध में वाद-विवाद में भाग लिया। कुछ विशेष सदस्यों ने कुछ विशेष बातें उठायीं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप जानते ही हैं कि यह संसदीय परम्परा है कि जो माननीय सदस्य किसी विवाद में भाग लें तो उनको सदन में उस समय तक अवश्य ही रहना चाहिये जब तक कि उस विवाद पर बहस चल रही हो। मुझे दुःख है कि जिन माननीय सदस्यों ने कुछ प्रश्न उठाये थे वे अब यहां पर उपस्थित नहीं हैं। इसलिये मैं यह आवश्यक नहीं समझता हूं कि उनके उन प्रश्नों का कोई उत्तर दूं। लेकिन फिर भी एक विशेष सदस्य जो कि बरेली जिले से आये हैं और उन्होंने वहां की आबहवा को स्थायी रखने के लिये, वहां के नाम को रोशन रखने के लिये जो विचार व्यक्त किये थे उनकी एक दो बातों का उत्तर अवश्य दूंगा।

अपनी बहस के दौरान में कई माननीय सदस्यों ने बतलाया कि जब यह एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ कर दी जायगी तो उससे हमारे प्रदेश में तमाम नये-नये उद्योग-धंधे खड़े हो जायेंगे और उन नये-नये उद्योग धंधों के खुलने से हमारे यहां की बेकारी बिलकुल दूर हो जायगी। मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सन् १९५२ में इस सरकार को इतनी अक्ल नहीं थी जब यह कानून बना तो ये जो ३८ प्रमुख उद्योग हैं उनके ऊपर एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी न लगावें। तो हमारे प्रदेश का काफी औद्योगीकरण हो सकेगा, लेकिन अब ७ वर्ष के बाद यह तो उनकी समझ में आया कि अगर हम बिजली पर ड्यूटी चार्ज न करें तो हमारे यहां अधिक उद्योग खुल सकते हैं और बेकारी की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है। मेरा विश्वास है कि उनके इस तरह के माफीनामे से न तो उद्योग धन्धे खुलेंगे और न बेकारी ही दूर होगी।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस बिजली के द्वारा जितनी चीजें बनेंगी उनका जन-साधारण के जीवन से बड़ा गहरा संबंध है। मैं उनसे जानना चाहता हूं, वह मेहरबानी करके बतायें कि इस प्रदेश के ६–७ करोड़ नागरिकों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में टाइल्स लगे हैं, जिनके घरों में बिजलियां लग रही हैं, जिनके यहां रेडियो और टेलीफोन लग रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको सिगरेट बिना जीवित रहना दुश्वार हो रहा है, या अगर आर्म्स एन्ड एम्युनिशन हमारे यहां डिफेंस इंडस्ट्री में नहीं बनाये जायंगे तो क्या प्रदेश का जन-जीवन दुश्वार हो जायगा? जो ग्लास वूल की फैक्टरी लगेगी और जो बिजली की शक्ति पैदा होगी उससे जनता का क्या लाभ होगा? सिनेमा फिल्म्स, फोटो मेटीरियल

आदि से जनसाधारण का क्या गहरा संबंध है ? इस तरह से उद्योगपतियों की रियायत के लिये जनसाधारण को साथ जोड़ा जाता है। हमारे यहां एक कवि ने कहा है कि "कहने की बातें और और, मुंह की बातें कुछ और और"।

कहने के लिये तो जनसाधारण को शामिल किया जाता है लेकिन असल में एक संकल्प को लेकर आर्डिनेन्स जारी किया गया है और वह यह है कि प्रदेश के उद्योगपतियों के साथ एक विशेष रियायत करनी थी। कुछ लोगों ने कहा कि इस आर्डिनेन्स का लागू किया जाना बहुत जरूरी था क्योंकि १ अप्रैल से हमें उद्योगपतियों को और कुछ और लोगों को छूट देनी थी। अगर इस तरह से हमारे प्रदेश में आर्डिनेन्सों की बाढ़ आती रही तो भविष्य में बहुत बड़ा खतरा दिखाई पड़ता है। श्रीमन्, आपको और सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि केरल में डेढ़ मास से अधिक तक झगड़ा चला और उसमें १ लाख ४० हजार आदमी जेल गये लेकिन जब उसका औचित्य देख लिया तभी वहां आर्डिनेन्स जारी किया गया। परन्तु यहां कौन-से ऐसे औचित्यपूर्ण कारण थे कि एक मास के अन्दर चार-चार आर्डिनेन्स लागू किये गये ? पड़ोस में पाकिस्तान है, वहां पर भी इसी तरह से अयूब खां रूल से पहले आर्डिनेन्स जारी किय गये थे और उन्हीं का यह नतीजा हुआ कि बड़े मंत्री और बड़े अफसरों को जेल भेजा गया है। और अगर यही परम्परा हमारे प्रदेश और देश में रही तो वह दिन दूर नहीं है जब अखबारों में हम समाचार पढ़ेंगे कि मंत्रिगण जेलखाने के पीछे बैठाल दिये गये हैं। तो इस तरह से आर्डिनेन्स जारी करना जब कि सदन चल रहा हो और विधेयक प्रस्तुत न किया जाय---यह बड़ी गलत बात है। जिस अनुच्छेद के अनुसार यह आर्डिनेन्स लागू किया गया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि "राज्यपाल का समाधान हो जाय कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं"। अगर इस बात का ज्ञान था कि आर्डिनेन्स जारी करने की जरूरत है तो मैं निवेदन करूंगा कि २ अप्रैल को ऐसी परिस्थिति थी जिस दिन कि वह आर्डिनेन्स लागू करते, लेकिन उस दिन सदन चल रहा था और उस दिन सरकार की तरफ से विधेयक प्रस्तुत होना चाहिए था।

मान्यवर, कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि बिजली का रेट यहां पर बहुत ज्यादा है। जिस समय एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी यहां पर लग रही थी तो हमारी ओर से यह कहा गया था कि हमारे प्रदेश के बिजली के चार्जेज बहुत ज्यादा हैं और अब अगर ड्यूटी भी इसके ऊपर लगाई गई तो रेट हाई हो जाएंगे। तो हमें उस समय एक लिस्ट सुनाई गई थी। सारे प्रदेशों का कम्पेरीजन करके बताया गया था कि हमारे प्रदेश में बिजली की कीमत सबसे कम है। लेकिन आज जब उद्योगपतियों को माफी देने जा रहे हैं तो हमको यह बताया जाता है कि हमारे प्रदेश में बिजली की कीमत बहुत ज्यादा है। तो एक बात एक समय में कम कही जाय और दूसरे समय में उसी की कीमत को बढ़ाया जाय। यह बात मैं इस सरकार के मुंह से ही सुन रहा हूं, आज तक ऐसी बात और कहीं नहीं सुनी।

मान्यवर, यह भी कहा गया कि सरकार को ऐसे अधिकार दिये जा रहे हैं जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर गृह उद्योगों को भी शामिल कर लें जिससे कि प्रदेश का और भी औद्योगीकरण हो सके। इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि इस सदन ने इस सरकार को बहुत बड़ा ऐसा अधिकार दिया था कि वह उसके द्वारा जितने एरियर्स बाकी हैं उसकी वसूली लैन्ड रेवेन्यू के एरियर्स की तरह से कर सकती है। लेकिन इस सरकार ने एक भी उद्योगपति से लैण्ड एरियर्स की तरह से बिजली की कीमत वसूल नहीं की। उसके प्रतिकूल साधारण नागरिकों के बिजली के कनेक्शन काटे गये हैं। जिनकी आमदनी कम थी, बिजली कंज्यूम करते थे, और समय पर बिजली का पैसा अदा नहीं कर सके, उनके कनेक्शन काटे गये हैं। लेकिन मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि कानपुर में सरकारी बिजली कम्पनी है और उसका कानपुर के उद्योगपतियों के ऊपर लाखों रुपया बाकी है, लेकिन न सरकार की हिम्मत है और न बिजली कम्पनी के मैनेजर की हिम्मत है कि उनका कनेक्शन काट दे। जो लाखों

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

रुपया उन लोगों पर बाकी है उसकी वसूली भी लैन्ड रैवेन्यू के एरियर्स की तरह से नहीं की गई। जो अधिकार सरकार को हमने दिया उसका उपयोग नहीं किया गया, और नये अधिकार चाहते हैं। मैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के खिलाफ हूं। किसी भी सरकार को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर आवश्यकता है तो सदन के सामने विधेयक लाया जाय और उस विधेयक के द्वारा इस सदन का काम है कि वह सरकार को इस प्रकार की सुविधा प्रदान करे। तो जिन उद्देश्यों को लेकर आर्डिनेन्स लागू किया गया है उन उद्देश्यों में और जिन उद्देश्यों से एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाई गयी थी उनमें जमीन आसमान का अन्तर है।

आज यह कहना कि औद्योगीकरण करने के लिये ड्यूटी माफ की जा रही है, गलत है। जिस समय इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लागू की गई थी उस समय कहा गया था कि हम प्रदेश के प्लानिंग के कामों को आगे बढ़ाने के लिये लगा रहे हैं, लेकिन आज इसको माफ किया जा रहा है, तो कहा जाता है कि औद्योगीकरण होगा। मैं समझता हूं कि यह गलत है। इसमें एक बात सबसे बड़ी है कि उद्योगपतियों से जो सरकार की सांठ-गांठ है उसका यह परिणाम है कि इस तरह का आर्डिनेन्स लागू किया गया है और इस तरह के जो कारण बताये गये हैं उनमें भी इस बात को स्पष्ट स्वीकार किया गया है। सरकार ने एक ही बात अच्छी की है कि उसने जो कारण थे उनको भी सफाई के साथ स्वीकार कर लिया है। अच्छा है तो "मेरे तसलीमखम है जो मिजाजे यार में आये"। सरकार उनके सामने बाऊ डाउन हुए जा रही है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योगपतियों के रोष से जनता का रोष ज्यादा है। जो सेल्स टैक्स लगा हुआ है और दूसरे जो टैक्स लगाये गये हैं उससे जनता रुष्ट है और जिस दिन उस रोष की लहर उठेगी उस दिन इस सरकार को निश्चय ही झुकना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ जो संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं पुनः इस सदन से अपील करूंगा कि वह इसको अवश्य स्वीकार करे।

**राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)**---अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्री भगवतीसिंह जी विशारद ने प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करता हूं।

बहुत से माननीय सदस्यों ने जहां तक इस आर्डिनेन्स का संबंध है बहुत-सी असंगत बातें कहीं हैं। किसी ने रेट्स का जिक्र किया, किसी ने थोड़ा रिहन्द का जिक्र कर दिया जिनका कि इस ड्यूटी से कोई संबंध नहीं था। बजट को प्रस्तुत करते समय सरकार ने निर्णय किया था कि पहली अप्रैल से जो कुछ भी अभी तक ड्यूटी उद्योग धंधों पर चली आती है उस पर सरकार एक्जेम्प्शन देगी। उसमें उद्योगपतियों का नाम, एलेक्शन और तरह-तरह की बातें करना, या यह कहना कि उद्योगपतियों ने इनसे वादा कर लिया है एलेक्शन के लिये, इस तरह से बहुत-सी बातें कहीं गयीं जिनसे इस अध्यादेश का कोई संबंध नहीं था।

जहां तक आर्डिनेन्स का संबंध है यह कहा गया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी और दूसरी अप्रैल तक जब कि हाउस बैठा था और जब कि पहली अप्रैल से इसको लागू होना था तो इस एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के एक्जेम्प्शन के संबंध में कानून आ जाना चाहिये था। जहां तक एक्जेम्प्शन की बात है उसकी आवश्यकता थी और पहली अप्रैल से लेकर अब तक सरकार के पास बहुत से रेप्रेजेन्टेशन आये या बहुत से जो छोटे-छोटे उद्योग करते थे उनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है भी या नहीं और अगर नहीं है तो किस रूप में नहीं है। जहां तक आर्डिनेन्स का संबंध है वह ठीक लगाया गया है, उसकी आवश्यकता थी क्योंकि जो लोगों में एक अनसर्टेनटी चली आती थी, छोटे उद्योगों में और बाजारों में अनसर्टेनटी चली आती थी वह आर्डिनेन्स से समाप्त हो गयी। अब यह कहना कि सरकार की आदत-सी पड़ गयी है, उचित नहीं।

जहां तक आर्डिनेन्स का संबंध है सरकार कभी नहीं चाहती लेकिन जब-जब भी विशेष परिस्थितियां इस प्रकार की आती हैं जिसके कारण बहुत बड़े लोगों पर एफेक्ट होने वाला हो तभी आर्डिनेन्स आया करता है।

तो इस प्रकार के लांछन लगाये गये कि पहली अप्रैल तक कानून बन जाना चाहिये था। जैसा आप देखेंगे कि अगर इंडस्ट्री की डेफीनीशन ली जाय तब भी कितना समय लगेगा। इसके अतिरिक्त मैं नहीं समझ सका कि २७ मार्च तक तो हमने बजट पास किया। उसके बाद वह कौंसिल गया और वहां से पास हुआ। तब फिर किस प्रकार से यह संभव हो सकता था कि पहली अप्रैल तक यह कानून लाकर पास किया जा सकता।

इसके अतिरिक्त उद्योगपतियों की बात कही गयी। मैं नहीं जानता कि जहां तक इस लिस्ट का सम्बन्ध है अगर माननीय सदस्य इसको देखने का कष्ट करेंगे तो इसमें १३६ उद्योगों में से ५० के करीब काटेज इंडस्ट्रीज से सम्बन्धित हैं जो इसके शिड्यूल में जोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ मीडियम साइज की इंडस्ट्रीज हैं। थोड़ी बहुत इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं जिनके बारे में चारों तरफ से हायतोबा होने लगी कि यह विधेयक केवल उद्योगपतियों के लिये लाया गया है। केवल शब्दों की भावुकता में आ जाना और पूरी तरह से लांछन लगा देना और उन असंगत बातों का सम्बन्ध पूरे विधेयक के उद्देश्य से बता देना बिलकुल गलत बातें हैं। इसमें कहा गया है जहां तक इस लिस्ट का सम्बन्ध है, जिसमें कि यह लांछन लगाया गया कि सरकार ने अपने हाथ में इस बात की शक्ति ले ली है जिसके मातहत उद्योगों पर अच्छी ड्यूटी लगा सकती है और वह ड्यूटी सरकार छोड़ भी सकती है। तो क्या इस तरह की अनसर्टेनटी वह जनता को देती ? सरकार ने अपने हाथ में ताकत ले अवश्य ली है लेकिन जैसा मुनासिब होगा वैसा किया जायगा। क्योंकि जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है माननीय सदस्यों को यह ज्ञात होना चाहिये कि आज जो इंडस्ट्री है वह कल को इंडस्ट्री नहीं रह सकती और जो कल इंडस्ट्री है वह आज इंडस्ट्री नहीं रह सकती। तो जहां तक इन बातों का सम्बन्ध है मैं इन पर अधिक समय नहीं लेना चाहता। इधर के बैठने वालों ने सभी बातों का जबाब दे दिया है। यह जो अध्यादेश लाया गया था उसका अभिप्राय यही था कि हमारे यहां के छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे पनपें और जो छोटे-छोटे उद्योग धन्धे नष्ट हो गये हैं उनको राहत मिले। इसी अभिप्राय से यह लाया गया है।

**श्री अध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

**श्री अध्यक्ष**--अब २-३ मिनट रह गये हैं। मैं समझता हूं कि आगे की कार्यवाही कल होगी। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
३ अगस्त, १९५९।

## नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७५ पर)

खानाबदोश पशु पालकों की आर्थिक दशा सुधारने की योजना (Nomadic Cattle Breeders Scheme) के अन्तर्गत जनवरी, १९५९ तक निम्नलिखित कार्य किए गए : —

१—एक पशु औषधालय, लाल कुंआ (नैनीताल) में स्थापित किया गया जिसमें १,३४६ पशुओं की चिकित्सा की गई तथा ३२ पशु बधिया किए गए ।

२—पीपल पड़ाव और बोरखाता (नैनीताल) में स्टाकमैन केन्द्र खोलने के लिए आवश्यक भूमि प्राप्त कर ली गई है और भवनों का निर्माण हो जाने पर केन्द्र स्थापित कर दिया जाएगा ।

३—पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए ४ मुर्रा तथा १ हरियाना सांड़ विभाग द्वारा दिए गए थे । हरियाना सांड़ की मृत्यु हो गई है, मुर्रा सांड़ के द्वारा नस्ल सुधार का कार्य हो रहा है ।

४—२ पशु चिकित्सकों और २० पशु सेवकों की एक टोली ने १५ दिनों के दौरे में इन पालकों के पशुओं के मान रोग से बचाव का टीका लगाया ।

५—इन पशुपालकों को प्रोत्साहन देने के निमित्त एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें २०० खानाबदोश पशुपालकों तथा उनके पशुओं ने भाग लिया । इस प्रदर्शनी में लगभग ४०० रु० के इनाम इन पालकों को बांटे गए ।

६—इस योजना पर जनवरी, १९५९ तक १२,५३९ रु० का व्यय किया गया ।

उत्तर प्रदेश संसदीय

## नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७६ पर)

### अलीगढ़ जिले में जलमग्न क्षेत्रों में खोली गयी सस्ते गल्ले की दूकानों की तहसीलवार सूची

| तहसील का नाम | दुकान की स्थिति | संख्या | तहसील का नाम | दुकान की स्थिति | संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| खैर .. | खैर | २ | कोयल | जलाली | १ |
| | चंदौस | १ | | बरौठा | १ |
| | टप्पल | २ | | | |
| | वंकनेर | १ | हाथरस | लखनाओ | १ |
| | पहावती | १ | | देवीनगर | १ |
| | पिसावा | १ | | हाथरस जं० | १ |
| | गौमत | १ | | सासनी | १ |
| | जटारी | १ | | मुरसान | १ |
| | गमाना | १ | | | |
| | वीरपुरा | १ | सिकन्दराराव | हसायन | १ |
| | | | | सुहावली | १ |
| इगलास .. | इगलास | १ | | | |
| | टोचीगढ़ | १ | अतरौली | छर्रा | १ |
| | गोंडा | १ | | | |
| | विसवांन | १ | | | |
| | | | | कुल योग .. | २६ |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८० पर)

## तालिका १

उत्तर प्रदेश में सरकारी तथा गैर-सरकारी कृषि प्रशिक्षण देने वाली संस्थायें निम्नलिखित हैं :

१--राजकीय कृषि विद्यालय, गोरखपुर।
२--राजकीय कृषि विद्यालय, चिरगांव, झांसी।
३--राजकीय कृषि विद्यालय, बुलन्दशहर।
४--कृषि विद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरद्वार।
५--कृषि विद्यालय (जाट कालेज), मुजफ्फरनगर।
६--कृषि विद्यालय, राजघाट, वाराणसी।
७--कृषि विद्यालय, समोधपुर, जौनपुर।
८--मुन्शी लैन्ड इन्स्टीट्यूट, सरोजनी नगर, लखनऊ।

---

## तालिका २

### कृषि विद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरद्वार तथा कृषि विद्यालय, राजघाट, वाराणसी को गत वित्तीय वर्षों में दी गई सहायता का विवरण

| विद्यालय का नाम | प्रदत्त सहायता की धनराशि | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | १९५६-५७ | | १९५७-५८ | | १९५८-५९ | |
| | आवर्त्तक | अनावर्त्तक | आवर्त्तक | अनावर्त्तक | आवर्त्तक | अनावर्त्तक |
| | रु० | रु० | रु० | रु० | रु० | रु० |
| १--कृषि विद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरद्वार .. | १६,७७५ | .. | ११,६४९ | १३,४६३ | ५,०७३ | २,३३७ |
| २--कृषि विद्यालय, राजघाट, वाराणसी .. | ३७,४१५ | ६६,००० | २९,६३५ | ४२,१०० | १६,८८० | .. |

# नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८१ पर)

## तालिका 'अ'

## राज्य में राजकीय कृषि यांत्रिक फार्मों की सूची

१—चक गंजरिया, लखनऊ ।
२—भरारी, जिला झांसी ।
३—सैदपुर, जिला झांसी ।
४—माधुरीकुंड, जिला मथुरा ।
५—नीलगांव, जिला सीतापुर ।
६—मंझरा, जिला लखीमपुर-खीरी ।
७—अन्देशनगर, जिला लखीमपुर-खीरी ।
८—निबेलेट, जिला बाराबंकी ।
९—बाबूगढ़, जिला मेरठ ।
१०—हस्तिनापुर, जिला मेरठ ।
११—आराजी लाइन, जिला वाराणसी ।
१२—हेमपुर, जिला नैनीताल ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## सूची ब'

### राजकीय कृषि यांत्रिक फार्मों में से प्रत्येक पर होने वाले १९५५–५६, १९५६–५७ तथा १९५७–५८ में व्यय तथा आय की सूची

| फार्म का नाम | व्यय | | | आय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | १९५५–५६ | १९५६–५७ | १९५७–५८ | १९५५–५६ | १९५६–५७ | १९५७–५८ |
| १—चक गंजरिया, लखनऊ. . | १,४१,१५० | १,५४,८४३ | १,८६,८४० | १,७४,१७८ | १,७१,९१२ | १,९५,२६९ |
| २—भरारी, झांसी . . | २,६९,६४९ | २,८३,९३७ | १,३५,५७३ | २,९३,४०६ | २,६८,३४२ | २,००,८४९ |
| ३—सैदपुर, झांसी . . | १,८४,०५५ | १,८३,९९७ | १,४२,९५६ | १,१९,९४८ | २,२४,८८० | १,४५,३०३ |
| ४—माधुरीकुंड, मथुरा . . | ३,९४,१८९ | ४,२०,३७० | ४,१८,८५१ | ३,७९,१८३ | ४,३३,१८९ | ४,३६,६५९ |
| ५—नीलगांव, सीतापुर . . | २,११,२३६ | १,४४,६८६ | १,३०,४७३ | १,९३,५९६ | १,३६,४१८ | ८२,४२६ |
| ६—मंझरा, लखीमपुर-खीरी | २,५०,१९१ | २,७४,६११ | २,२२,०३१ | २,५५,८१९ | २,६३,५८७ | २,४३,९०८ |
| ७—अन्देशनगर, लखीमपुर-खीरी | १,९६,४७४ | १,८६,१३० | १,५७,७५३ | २,५८,०६५ | २,५४,७२५ | १,८४,३२० |
| ८—निबलेट, बाराबंकी . . | ८५,३६४ | ७४,८९१ | ६७,७९३ | १,०१,८९२ | ७५,५१६ | ९१,७६९ |
| ९—बाबूगढ़, मेरठ . . | ४,६८,७७२ | ५,१४,९१५ | ४,३०,६०३ | ५,५१,९६८ | ६,४१,५२७ | ५,२०,२८० |
| १०—हस्तिनापुर, मेरठ . . | ५,७५,९१५ | ४,६१,८९४ | ३,८४,५५० | ५,७०,९२२ | ४,७३,९३३ | ३,७६,४०२ |
| ११—आराजी लाइन, वाराणसी | १,२६,२३५ | १,३२,१०७ | १,३७,७४९ | १,२८,५४७ | १,१७,६५८ | १,१७,७८६ |
| १२—हेमपुर, नैनीताल . . | ८,३४,७३० | ८,५०,१६८ | ७,८७,५५२ | ७,६९,००८ | ६,५४,०१३ | ५,९१,१९१ |

अनुपूरक सूची

## सूची 'स'

### राजकीय कृषि यांत्रिक फार्मों में से प्रत्येक पर १९५५–५६, १९५६–५७ तथा १९५७–५८ में होने वाले व्यवस्था खर्च तथा प्रत्येक फार्म पर कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल

| फार्म का नाम | व्यवस्था खर्च | | | कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| | १९५५–५६ | १९५६–५७ | १९५७–५८ | |
| १—चक गंजरिया, लखनऊ . . | ३२,३५४ | ३२,८२० | ३१,२३५ | ५००.०० |
| २—भरारी, झांसी . . | ३१,४०० | ३२,१०० | ३२,४३५ | १०००.०० |
| ३—सैदपुर, झांसी . . | १८,३३० | १९,२०० | १९,९८२ | ११७५.०० |
| ४—माधुरीकुंड, मथुरा . . | २९,१०२ | २९,४०५ | २९,८६६ | ७९७.०० |
| ५—नीलगांव, सीतापुर . . | २१,५०० | २२,४०० | २२,९६१ | ६००.०० |
| ६—मंझरा, लखीमपुर खीरी | २६,२०० | २५,९०८ | २६,०१५ | ६५०.०० |
| ७—अन्देशनगर, लखीमपुर खीरी | ३७,३०९ | ३८,३०७ | ३८,२३१ | ८५९.०० |
| ८—निबलेट, बाराबंकी . . | १०,४०० | १०,९०८ | ११,८०३ | २००.०० |
| ९—बाबूगढ़, मेरठ . . | ३८,६१२ | ३९,४०० | ३९,२३९ | ८०६.२४ |
| १०—हस्तिनापुर, मेरठ | ३८,३०५ | ३७,४८० | ३८,५०१ | १५४१.७९ |
| ११—आराजी लाइन, वाराणसी | १७,६४८ | १८,२०० | १८,७५८ | ३१०.०० |
| १२—हेमपुर, नैनीताल . . | १,३४,२०५ | १,१७,६०५ | १,०७,१४२ | २९००.०० |

उत्तर प्रदेश सरकार

## नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८८ पर)

### खीरी उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत मार्च, १९५८ तक का खर्च

| | रू० |
|---|---|
| १—आफिस तथा कर्मचारियों का वेतन तथा अन्य भत्ते .. .. | ५,२४,२८१ |
| २—ट्रैक्टर्स से जमीन तोड़वाई का खर्चा .. .. | ४,०९,८०९ |
| ३—ले आउट डीमार्केशन, डौलबंदी इत्यादि .. .. | १,३०,००० |
| ४—अस्पताल की दवाएं तथा औजार इत्यादि .. .. | ४५,९१८ |
| ५—एन्टीमलेरिया की दवायें स्टीरप पम्प तथा अन्य सामान .. | ३७,७६३ |
| ६—पुर्नवासितों को मकान के लिये अनुदान .. .. | ३,१७,५०० |
| ७—ट्रक, जीप, फर्नीचर, आफिस इक्यिूपमेन्ट, ट्रैक्टर पेट्रोल, डीजल इत्यादि | ३,५९,८०५ |
| ८—पुर्नवासितों को बैल तथा कृषि यंत्र खरीदने के लिये ऋण .. | ३,५३,००० |
| ९—पुर्नवासितों को मकान के लिये ऋण .. .. | ४,७६,२५० |
| १०—पलिया, खजूरिया तथा सुमेरनगर, वलंक फीडर रोड तथा कच्ची तथा पक्की सड़कों पर पुल और पुलियों के निर्माण पर .. | १७,८८,९०४ |
| ११—फैन्सिग, पंचायतघर एवं प्राइमरी स्कूल एवं बीज भंडार, कर्मचारियों के निवास स्थान, अस्पताल, पशु अस्पताल, जूनियर हाई स्कूल तथा छात्रावास, ट्यूबवेल्स, गहरे पानी के नल, कुएं, पुर्नवासितों के मकान, सिंचाई के प्रबन्ध इत्यादि कार्यों के निर्माण पर .. .. | १६,७७,५५६ |
| योग .. | ६१,२०,७८६ |

विधान सभा उत्तर प्रदेश

# नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९५ पर)

## Inspection note by Dy. Development Commissioner (East) Varanasi on October 28, 1958

I inspected the Government Agricultural Farm at Magurahi to-day on October 28, 1958. The farm opened in March, 1957 and it has an area of 85.3 acres. The area is not compact and consists of long irregular strip of land. The farm buildings have been located at one end of this long strip of land. This is certainly a poor example for progressive farmers.

The land acquired for the Farm was purchased for Rs. 68,000 at the rate of Rs. 800 per acre. The price paid for the land appears to be inordinately excessive because the actual price of this type of land in the locality is only about Rs. 200 per acre.

The staff at the farm consists of a Farm Superintendent, one clerk and four permanent ploughmen. There is no proper housing arrangement for this staff, and the Superintendent is living in a sort of temporary hutment of bricks. There are seven pairs of bullocks on this Farm and the floor of the shed for the bullocks is unpaved and not very clean. The four ploughmen have been allotted space of about 8'X15' in this shed for their residence and I do not think that they live at the farm at night. I noticed only one charpai in the shed.

There is no well near the Farm buildings and there is no well within one mile of this building, so far as I could see, there is no arrangement for healthy drinking water for the farm staff and for the bullocks. They all obtain the drinking water from ponds or a tank. This indeed is a great hardship on the farm staff and the provision of a well near the farm building is an urgent necessity.

The balance sheet of 1957-58 shows that the total capital assets were Rs. 93,944 and the total revenue assets were Rs. 3,828 . The loss of the year was Rs. 12,873. It will thusbe seen that the farm has been running at a huge loss. I was told by the Superintendent that in the Kharif of 1957-58 an area of 72 acres had been sown, but the total produce was only 7 mds. of grain. The area sown in the last rabi was 53.5 acres and the area sown in the last kharif was 40 acres.

Two hundred bags of cement have been lying in the Farm shed since March, 1957. It appears that the cement was purchased by the District Agricultural Officer, Mirzapur for making pucca channels at the Farm. The cement is now completely spoild and thus about Rs. 1,500 have been completely wasted on account of the whim of an officer.

Out of seven pairs of the bullocks at this Farm, only five pairs are working in the fields to-day. Two pairs are idle , because hired labour was not available. The rate sanctioned for hired labour is Rs. 1 per day, which appears rather low. In my opinion it should be increased to Rs. 1-4 per day.

I also found about five bags of Dhaincha, seed lying in the Farm shed. The Superintendent told me that this Dhaincha seed was sent to his Farm in May last by the basic seed store, Robertsganj as rejected stuff. It appears that these bags of seed have been shown as auctioned but these very seeds were sown on this farm in kharif last with the result that the Dhaincha crop failed on this farm.

The cultivators and the general public can have nothing but sheer contempt for such an Agricultural farm.

S. N. VERMA, I. A. S.,
*Deputy Development Commissioner, (E) Varanasi.*

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

## नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९५ पर)

### उत्तर प्रदेश के प्रमुख बाजारों में जून, १९५९ के दूसरे सप्ताह में गेहूं व चना के प्रतिमन थोक भाव

| बाजार | सरकार द्वारा लागू किये गए १० मन से ऊपर बिक्री के थोक नियंत्रित भाव गेहूं (सफेद) | चना |
|---|---|---|
| | रु० न० पै० | रु० न० पै० |
| १—हापुड़ .. .. | १४.०० | १३.१९ |
| २—सहारनपुर .. .. | १४.०० | १३.२५ |
| ३—मुजफ्फरनगर .. .. | १४.०० | १३.२५ |
| ४—बुलन्दशहर .. .. | १४.०० | १४.०० |
| ५—अलीगढ़ .. .. | १४.०० | १३.५० |
| ६—हाथरस .. .. | १४.०० | १३.०० |
| ७—कासगंज .. .. | १४.०० | १२.७५ |
| ८—मुरादाबाद .. .. | १४.०० | १३.५० |
| ९—चन्दौसी .. .. | १४.०० | १३.२५ |
| १०—शाहजहांपुर .. .. | १४.०० | १३.०० |
| ११—हरदोई .. .. | १४.०० | १३.६१ |
| १२—सीतापुर .. .. | १४.०० | १२.८० |
| १३—बांदा .. .. | १४.०० | १२.३१ |
| १४—कालपी .. .. | १४.०० | १२.५४ |
| १५—उरई .. .. | १४.०० | १२.०८ |
| १६—इटावा .. .. | १४.०० | १३.३३ |
| १७—फर्रुखाबाद .. .. | १४.०० | १३.९१ |
| १८—गोंडा .. .. | १४.०० | १४.५० |
| १९—बलरामपुर .. .. | १४.०० | १३.०० |
| २०—बहराइच .. .. | १४.०० | १४.२५ |
| २१—मेरठ .. .. | १४.०० | १३.२५ |
| २२—आगरा .. .. | १४.०० | १३.०० |
| २३—बरेली .. .. | १४.०० | १४.२२ |
| २४—लखनऊ .. .. | १४.०० | १३.९१ |
| २५—कानपुर .. .. | १४.०० | १३.३३ |
| २६—इलाहाबाद .. .. | १५.५० | १४.२५ |
| २७—वाराणसी .. .. | १६.०० | १४.५० |
| २८—गोरखपुर .. .. | १५.५० | १५.०० |

अशोक मेहता संसद प्रदर्शन

## प्रदेश के प्रमुख बाजारों में जून, १९५९ के दूसरे सप्ताह में ज्वार के प्रति मन थोक भाव

| बाजार | ज्वार | बाजार | ज्वार |
|---|---|---|---|
| | रू० न० पै० | | रू० न० पै० |
| १---कालपी .. | १३.९१ | ८---महोबा .. | ११.०० |
| २---उरई .. | १२.५५ | ९---हापुड़ .. | १५.५० |
| ३---ललितपुर .. | १३.०० | १०---कानपुर .. | १२.३० |
| ४---मऊरानीपुर .. | ११.६४ | ११---झांसी .. | १२.५५ |
| ५---बांदा .. | ११.०० | १२---इलाहाबाद .. | १३.२५ |
| ६---मौदहा .. | ११.६४ | १३---वाराणसी .. | १२.०६ |
| ७---भरवा सुमेरपुर .. | ११.४३ | १४---गोरखपुर .. | १५.५० |

पी० एस० यू० पी० ए० पी०---१०७ एल० ए०---१९५९-८४५ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा